राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 14

बुधवार;

10 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री नन्दलाल मीणा।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के राशन कार्ड

340. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की 1 जनवरी, 2002 से पहले तक पहचान करके उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा हर परिवार को प्रति माह पच्चीस किलो अनाज वितरित करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2002 को राज्य में कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों में से कितनों को राशन कार्ड उपलब्ध करवा दिये हैं? जिलेवार उक्त परिवारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में चयनित प्रति परिवार पच्चीस किलो अनाज की दर से कितना अनाज भारतीय खाद्य निगम से माह जनवरी एवं फरवरी, 2002 में उठाया गया एवं कितना अनाज वितरित किया गया? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी हां। राजस्थान में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 1997 व 1998 में ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की पहचान कर ली गई थी तथा उनको भारत सरकार के निर्देशानुसार 25 किलो गेहूं प्रति माह वितरित किया जा रहा है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 22,81,261 (बाईस लाख, इक्यासी हजार, दौ सौ इकसठ) परिवारों में से 22,66,816 (बाईस लाख, छियासठ हजार, आठ सौ सोलह) परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवा दिये हैं। जिलेवार परिवारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री रामकिशन वर्मा)

(2) राज्य में चयनित परिवारों को प्रति परिवार 25 किलो ग्राम अनाज उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम से माह जनवरी एवं फरवरी, 2002 में 90210 (नब्बे हजार दौ सौ दस) मीट्रिक टन अनाज उठाया गया तथा 84154 (चौरासी हजार एक सौ चौबन) मीट्रिक टन अनाज उठा कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया। जिलेवार संख्या सूची प्रश्न के भाग एक की सूची के साथ ही सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के भाग–1 में स्पष्ट पूछा गया है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की 1 जनवरी, 2002 से पहले तक पहचान करके उनको राशन कार्ड जारी कराने के बारे में निर्देश थे? अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है, राजस्थान में भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वर्ष 1997–98 में ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2002 से पहले कितने परिवारों को चयनित किया गया और 25 किलो के हिसाब से कितना गेहूं आबंटित किया गया? माननीय मंत्री महोदय ने इस सवाल का जवाब तो टाल दिया और यह बता दिया कि 1997–98 में हमने सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वालों को आइडेंटिफाई किया था, उनको 25 किलो के हिसाब से गेहूं आबंटित किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल जो मैंने किया था उसके उत्तर का समावेश यहां नहीं किया गया है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इन दो महीनों में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय हुआ उससे पहले यह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे।

श्री नन्दलाल मीणा : गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन...(व्यवधान) जनवरी, 2002 के पूर्व में करना था जबकि इन्होंने 1997–98 में किया, बीच के 3–4 साल का जो समय गुजरा, अध्यक्ष महोदय, उसमें और भी लोग बिलो पावर्टी लाइन के नीचे आ गये हैं, उनका समावेश नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कितना गेहूं आबंटित किया और एफ.सी.आई. से राजस्थान सरकार को कितना उठाया? इसमें किसी प्रकार का कोई हवाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में जो नाजायज तौर पर बंगलादेशी निवास कर रहे हैं क्या राजस्थान सरकार ने उनको

(श्री नन्दलाल मीणा)

बी.पी.एल. की सूची में सम्मिलित किया है, और उनको किस तरह के गेहूं का वितरण किया जा रहा है? (व्यवधान) 1997-98, 2001 का...(व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : 1997-98 की चयन सूची के आधार पर ही हर व्यक्ति को, जो इसमें शामिल हो गया है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं और उनको हम राशन वितरण करने जा रहे हैं। प्रति परिवार 25 किलो अनाज उनको दिया जाता है। नई सूची, जब हमारे दो अभियान चले ''प्रशासन शहरों में संग और ''प्रशासन गांवों के संग,'' जिन लोगों ने हमको एप्लाई किया उनके हमने राशन कार्ड बनवाये हैं। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चालू है। ''प्रशासन शहरों के संग'' के साथ-साथ पंचायत समितियों द्वारा राशन कार्ड वितरण किये जा रहे हैं और उनके रंग पलट दिये गये हैं। पहले हरे राशन कार्ड थे उनको... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) **:** रंग तो आप मत पलटो। आप तो इतना ही बता दो कि भारत सरकार ने 25 किलो के आधार पर जितना आबंटित होना चाहिए था आपने लिफ्टिंग क्यों नहीं की? पांच लाख मीट्रिक टन, अध्यक्ष महोदय, इनका उठाव उतना होना चाहिए। उत्तर में यह कह रहे हैं इन्होंने 90210 मीट्रिक टन उठाया है। झगड़ा इस बात का है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिए। बीच में व्यवधान क्यों कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें राशन कार्ड के रंग से मतलब ही नहीं है। रंग कैसा भी हो, चाहे किसी भी रंग का बना दो हमें उससे मतलब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंटरी पूछ लेना। आप बीच में...(व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल अकाल के तहत काम के बदले अनाज योजना भी चली। लोगों के पास खाने का अनाज इकट्ठा हो गया। उन लोगों ने अनाज उठाने में आनाकानी की और वह अनाज बच गया। उस वजह से वितरण व्यवस्था में भी कमी आई है। हमने हमारी तरफ से कोई कौताही नहीं बरती है। कहीं कोई हमारे को शिकायत नहीं मिली। कोई शिकायत आएगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। उसका हम समाधान करेंगे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप शिकायत पर चले गये। हमारा मूल सवाल इतना है कि जितना आपको अनाज भारत सरकार से उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उठाव होना चाहिए उसका आधे से कम भी नहीं उठाया इन्होंने। सवाल तो वही है। अब आप शिकायत पर चले गये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आप सुन लीजिए। इस प्रश्न के दो भाग हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चौहान साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यह 1997-98 में चयनित परिवार किये गये यह अलग सूची है। अब उसके बाद में यह सूची वापस उच्चतम न्यायालय के आदेश से होनी चाहिए। इसके बारे में आप रिप्लाई दे नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उसी बिन्दु पर रिप्लाई दे रहे हैं आप।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूची हमारे पास उपलब्ध थी उसके अनुसार राशन कार्डों का वितरण किया गया। पहले जो 1997-98 में राशन कार्ड वितरण हुए वह हमारे कार्यकाल में वितरण नहीं हुए। लेकिन उसका भी हमने अनाज उपलब्ध करवाया। मोहर लगवा दी गयी आपके द्वारा, आपने लगाई, हमने भी लगाई। आने वाले जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिन्होंने हमको एप्लाई किया है उनके राशन कार्ड बनवा रहे हैं। हमने पूरा सामान उठाया है। पूरा उठाव किया है। लेकिन वितरण पूरा नहीं होने से जो बचा हुआ सामान है, जो हमारे एफ.पी.एस. की दुकाने हैं, उनके पास बच जाता है। उनके पास वह है। अगले महीने उठा कर उसको शामिल कर लेते हैं। कहीं पर कोई चोरी हुई हो, बेईमानी हुई हो। आप मुझे बतायें मैं उसका सीधा इलाज करूंगा और जो आप कहेंगे उनकी जांच करवाऊंगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कोई बेईमानी हुई तो वह मुझे बतायें आप।

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी बेईमानी और चोरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मूल सवाल है जनवरी, 2002 में उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश किया उसकी पालना हुई या नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री हीरासिंह चौहान : खाद्य मंत्रीजी ने अभी कहा "प्रशासन गांवों के संग" कार्यक्रम में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हीरासिंह चौहान : हमने परिवार चयनित किये। एक भी परिवार चयनित नहीं किया। हम दावे के साथ कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मेरा मूल सवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जनवरी, 2002 से पहले तक पहचान करके उन्हें राशन कार्ड

(श्री नन्दलाल मीणा)

जारी करने के बारे में है। अब यह तो कह रहे हैं कि हमने 1997-98 में जो सर्वे किया था उसका बिलो पावर्टी लाइन की बता रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जनवरी, 2002 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर कितने लोग राजस्थान में बिलो पावर्टी लाइन के थे।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : यह है मूल प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा : यह तीन साल, दस साल पहले, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उससे इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री रामकिशन वर्मा : राशन कार्ड बन गये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद क्या आपने राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का सर्वे कराया है? यदि हां, तो बताइये कि कौनसी तारीख को, कौनसे महीने में अभियान चलाया और उस सर्वेक्षण के आधार पर कितने लोगों का चयन किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण ही बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करना जरूरी है या नहीं? इतना ही बता दो आप।

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, बी.पी.एल. परिवारों का जो सर्वे होता है...

श्री नन्दलाल मीणा : आप मंत्री नहीं हैं, मंत्री महोदय बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो इतना ही बता दो। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : हां, वही बता रहा हूं, आप बैठ जाओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आप ही की बात कह रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : यह बी.पी.एल. के चयनित परिवारों का है, आपके पांच साल में जो चयनित करने का प्रोग्राम है, वह किस तारीख से है? सवाल इतना सा है, यह नहीं है कि पांच साल तक चयनित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अन्दर क्या आपने पुनः उन चयनित परिवारों को लिस्ट को देखा है कि उनकी कम्प्लाइंस हुई है था नहीं? इट इज द क्वेश्चन आफ आनरेबल मैम्बर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसे बढ़ाने वाला नहीं, हटाने वाला है, अगर कोई व्यक्ति गलत चयनित हो गया है तो नाम हटाने वाली बात है, बढ़ाने वाली बात नहीं है, बढ़ाने का तो कोई निर्देश ही नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : गलत चयन आपने किया है, यह बढ़ाने वाली बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं हुई। दूसरा, मंत्रीजी, आपने किस बिहाफ पर यह कह दिया कि जो गेहूं आबंटित हुआ वह गेहूं पूरा आपने उठाया। आपने अपने उत्तर में लिखा है कि एफ.सी.आई. ने अनाज का उठाव 90210 मीट्रिक टन, आपने जो बेनिफिशरीज बताये हैं, आपने अपने खुद के उत्तर में वह है 22,81,261, इनको 25 से गुणा करो तो 5,70,000 मीट्रिक टन गेहूं आपको उठाना था, आपने नहीं उठाया। इसी तरह आपको चूरू के अंदर 9082 मीट्रिक टन गेहूं बांटना था, आपने 3011 मीट्रिक टन बांटा है। आप राजस्थान के गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपके पास उत्तर है नहीं, आप उत्तर दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कौनसी कैटेगरी में आने वाले लोगों को अन्त्योदय अन्न योजना में रखा गया है, और यह आपकी चयन की प्रक्रिया कब चालू की गयी है। (व्यवधान) इसी से रिलेटेड है, इसी से सम्बन्ध है।

श्री रामकिशन वर्मा : गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों में से चयन किया जाता है, अन्त्योदय योजना में।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न की भावना का मुलाहिजा फरमाएं। मैं पूछ क्या रहा हूं और जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलालजी, आप बार-बार उठ रहे हैं, एक बार पूछ लो। मंत्रीजी, इनको उत्तर दीजिए।

श्री मदन दिलावर : बार-बार क्या साहब, अध्यक्ष महोदय, उत्तर ही नहीं आ रहा है। प्रश्न की मूल भावना को ही खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल नहीं।

श्री मदन दिलावर : खा गये। सारे खा गये। सारी भावनाओं का सत्यानाश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्ड नहीं होगा। अंकित नहीं हो। आप धमकाते हो यहां पर आसन को?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिये, यह व्यवधान नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : xxx

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी। श्री जीतमलजी खांट ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। अब उन्होंने पूछा है प्रश्न उसका जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब तो देने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभाओं के द्वारा इन परिवारों का चयन होता है, यह पंचायतों में चला गया, अब हमारे विभाग से चयन नहीं होता इसलिए जो वहां से सूची बन कर आती है। उसी के राशन कार्ड बनाये जाते हैं और उसी के अनुसार उठाव होता है। किसी तरह का उठाव ज्यादा हो गया, तो उसका वितरण ज्यादा नहीं होता तब तक अगला उठाव हम नहीं कर पाते। इसलिए कि वह गोदाम में पड़ा रहेगा। जो उठाव नहीं हुआ है, वह एफ.सी.आई. के गोदाम में मौजूद है, कहीं उसको खुर्द-बुर्द नहीं किया गया है। उसके अंदर बेईमानी नहीं हुई है, न ही किसी प्रकार का ब्लैक में गेहूं बेचा गया है, यह अगर कोई आपको जानकारी हो कि कहीं बेईमानी हुई है तो आप मुझे बता दो, उसकी जांच करवा देंगे।

श्री जीतमल खांट : प्रति परिवार कितना दिया जाता है?

श्री हरिसिंह (महुवा): पहले वाला तो आपने किया।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारियाजी।

श्री जीतमल खांट : इसका मतलब है कि 1997 और 1998 का बी.पी.एल. परिवारों का जो मापदण्ड था...

श्री अध्यक्ष : श्री भाणजी भाई।

श्री जीतमल खांट : जिन परिवारों का चयन किया गया है उन सभी बी.पी.एल. परिवारों को यह गेहूं नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमलजी आप पूछ चुके हैं प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाह रहा हूं कि 2002 के न्यायालय के आदेश के कारण 1997 तक आपके पास सूची थी, वह ठीक है लेकिन उसके बाद जो उस आदेश के तहत चयन में आ गये वह कितने लोग थे। उनके आधार पर आप को आबंटित कितना वहां से हुआ, यह फिगर बताइये। यूं आप अलग-अलग मत करिये, 1997 के पहले आपके पास जो सूची थी, वह आपने बता दी कि इतने लोगों की थी लेकिन 1997 और 2002 के बीच में इस कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट की मंशा के अनुसार कितने लोगों को इस गरीबी की रेखा से नीचे चयनित किया

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गया और उनके आधार पर आप को केन्द्र से कितना आबंटन मात्रा में हुआ। उसके अगेंस्ट में आपने कितनी सीमा में उठाया, बस इतना ही।

श्री रामकिशन वर्मा : यह अलग प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अलग कहां है?

श्री रामकिशन वर्मा : आप मुझसे अलग से इस बारे में बात कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अलग काहे का है? यह अलग कहां है, साहब? यही तो प्रश्न है। यह बता रहे हैं कि हमने 1997–98 में गरीबी रेखा से नीचे चयन किया...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्वेश्चन मूल यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप भी मुलाहिजा फरमा लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्वेश्चन मूल यही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रश्न का भाव ही यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप जैसा महान आदमी, आप खुद ही मुलाहिजा फरमा लें। आप खुद ही देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। ऐसा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चयन करने का काम नहीं है इनका।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो प्रश्न की मंशा है, वही मैंने बतायी है, मैंने कोई अलग से नहीं पूछा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सुप्रीम कोर्ट के जनवरी, 2002 के आदेश की भी पालना नहीं हुई, इसकी कम्प्लाइंस की है या नहीं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, अब समझा रहे हैं माननीय मुख्य सचेतकजी। मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आये और मुख्य सचेतकजी समझा रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप भी पूछ लीजिए उनसे।

श्री अध्यक्ष : बी.पी.एल. फैमिलीज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले चयनित थी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आये हैं और मुख्य सचेतकजी उनको समझा रहे हैं कि यह उत्तर देना है। यह क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय इनके कान में +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1997-98 मार्च से लेकर 2002 के बीच में...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खुद तैयारी करके नहीं आये मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सैंट्रल गवर्नमैंट का निर्देश है। (व्यवधान) इसमें क्या कर सकते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1997-98 से 2002 के बीच की अवधि में कितने लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे आपने चिन्हित किया है, यह है आप तो पुरानी सूची का बता रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सबको लूट लिया, गरीबी की रेखा से नीचे वालों को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चार साल निकल गये, इस बीच में, चार साल में जो गरीबी की रेखा से नीचे आये, इस कोर्ट के आदेश के तहत कितने लोग आये और उनके तहत आपने कितना उनसे आबंटन मांगा और कितना दिया? एक बता दें कि कितने बांग्लादेशी लोगों को आपने गरीबी रेखा से नीचे चयनित करके कार्ड बांटे? यह दो चीजें बता दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जब कोई चयन हुआ ही नहीं तो बांग्लादेशी कहां से आ गये? बी.पी.एल. में आप लोगों का ही चयन किया हुआ है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : बी.पी.एल. के लोगों का चयन ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई चयन नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप कोई मंत्री नहीं है, मंत्रीजी को जवाब देने दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मिस लीडिंग द हाउस, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अनुपालना सैंट्रल गवर्नमेंट को करनी थी। (व्यवधान) तब चयनित किये होंगे।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : यह सारा गुड़-गोबर किया है आपने। यह बी.पी.एल. का चयन इन्होंने किया है, इनको क्या पूछ रहे हो? सारा सत्यानाश कर दिया। (व्यवधान) चयनित परिवारों को कुछ नहीं दिया।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में मीटिंग होती है, उसके अन्दर चयनित होते हैं।

श्री नाथूराम अहारी : लोग मर रहे हैं, यह सारा इन्होंने किया है। सरकार को कोस रहे हो, आपने सत्यानाश किया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बी.पी.एल. में चयनित होने पर, मुहर तो आपने ही लगायी है, सरकार तो आपकी है, हमारी सरकार है क्या इस समय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, वह तैयारी करके नहीं आये तो कहें कि मैं तैयारी करके नहीं आया। (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने तो दे दिया, आप लोग उठाते नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि यह बी.पी.एल. परिवारों को राशन वितरण करने का राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुसंख्यक प्राइवेट डीलर्स हैं, यह राशन केवल मात्र बी.पी.एल. परिवारों को देने के कारण, आधे से अधिक ने इस्तीफा दे दिया है। क्या यह सही है कि इसी कारण से उठाव नहीं हुआ और जो कुछ उठाव हुआ वह भी चार-चार महीने से, तीन-तीन महीने से वितरण हुआ है? यही कारण है कि आपका पूरा उठाव नहीं हुआ, जो गरीब जनता को मिलना चाहिये था। आपने कहा कि यह ''काम के बदले अनाज योजना'' और अकाल राहत में अनाज मिल गया। अध्यक्ष महोदय, यह राशन, एक परिवार को 25 किलो, एक परिवार में 5 व्यक्ति भी मानें, तो 5 किलो प्रति व्यक्ति तो 25 किलो की आवश्यकता है, 5 किलो मिल रहा है। असलियत यह है कि आपके राशन डीलर्स में 40 प्रतिशत ने तो इस्तीफा दे दिया क्योंकि राशन केवल बी.पी.एल. परिवारों का उठाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा प्रश्न पूछिए। श्री अमरारामजी, भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री अमराराम (धोद) : यही पूछना चाहता हूं कि आपके जितने राशन डीलर्स हैं और क्या वह समय पर उठाते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, यह प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। उसके अनुसार अगर आप मानते हैं कि उत्तर आ गया, तो हमें कुछ नहीं कहना। क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले...

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कटारियाजी, आप तीसरी दफा खड़े हुए हैं। आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप तीसरी दफा खड़े हुए हैं। बार-बार आप पूछ रहे हैं। आप डिप्टी लीडर हैं पार्टी के, इसलिए अब आखरी पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यही पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह यह है कि 1997-98 में जो परिवार चयनित कर रखे थे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की इतनी संख्या थी, उतना अनाज दिया। हमारा कहना यह है कि जनवरी, 2002 में न्यायालय के फैसले के कारण 1997-98 से लेकर 2002 के बीच में जो लोग चयनित की श्रेणी में आ गये थे क्या उनका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चयन हो गया था और चयन हो गया था, तो कितने लोगों का हुआ? ये सूची बता रहे हैं, 1997-98 रगड़ रहे हैं उसी को बार-बार। हम यह पूछ रहे हैं कि न्यायालय का फैसला होने के बाद, न्यायालय की मंशा के अनुसार आपने इन वर्षों में कितने लोगों का चयन करके कार्ड बांट दिये, बात तो इतनी सी पूछ रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत सरकार को डायरेक्शन देने थे, भारत सरकार ने डायरेक्शन नहीं दिये। यह प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है। (व्यवधान) बैठिए। आप (व्यवधान) बी.पी.एल. फैमिली है (व्यवधान) बैठो नीचे। हरेक मामले में बोलना क्या जरूरी है? (व्यवधान) बी.पी.एल. के लोगों से आपका क्या सम्बन्ध है? हरेक में बोलने लग जाते हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये धमका रहे हैं हमको। यह शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. फैमिली का सम्बन्ध (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह आपके विभाग से सम्बन्धित मामला नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : 1997 में यह सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह क्या समझ रखा है? कभी मुख्य सचेतक खड़े होते हैं, कभी शिक्षा मंत्री खड़े होते हैं, वो क्या कमजोर लगते हैं आपसे? (व्यवधान) ये आपसे कम पढ़े-लिखे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्पेसिफिक सवाल था कि किस तारीख को गेहूं का आबंटन हुआ, उसमें गेहूं मुफ्त करना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बी.पी.एल. कार्डधारी को गेहूं नहीं मिलता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये क्या आपसे कम पढ़े-लिखे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अपना गेहूं क्यों नहीं उठाया? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सभी बी.पी.एल. कार्डधारियों को गेहूं नहीं मिलता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बी.पी.एल. के सभी कार्डधारियों को गेहूं नहीं मिलता है।

श्री मदन दिलावर : यह तो गरीब लोगों के साथ सरासर अन्याय हुआ है।

(श्री मदन दिलावर)

अध्यक्ष महोदय, गरीब लोग अनाज नहीं मिलने से तड़फ-तड़फकर मर रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : इन सारी बातों से यह पता लगता है कि बी.पी.एल. के कार्डधारियों को गेहूं आबंटित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, बीच में श्री कटारिया जी खड़े हो गये। मेरा तो एक ही प्रश्न है कि क्या राशन डीलरों ने नहीं उठाया?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालरापाटन की पंचायत समिति कारेला में ही भंवरी बाई ने भूख के कारण दम तोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आने दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह गरीबी के साथ अन्याय है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, उत्तर ही नहीं आया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इस प्रकार के अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) बी.पी.एल. वालों को, अन्त्योदय वालों को लूटा गया है। अध्यक्ष महोदय, उनको गेहूं नहीं पहुंचा है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) मंत्री महोदय, ठीक से किसी भी पत्र का (व्यवधान) ब्लैकमेल करना चाहते हैं मंत्री महोदय। सारा गेहूं ब्लैक में बेच खाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : प्रश्न संख्या 341.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंहजी, प्रश्नकाल में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : सदन की व्यवस्था को भंग मत कीजिए। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री अध्यक्ष : कुछ अंकित न हो। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर को आप चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर को चलने दो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, सदन को मजाक बना रखा है। आपने हमारा नाम पुकार लिया। ये सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : बपौती बना रखी है इन्होंने सदन को। महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है मेरा। ये प्रश्न को आने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। श्री राजेन्द्र सिंहजी, बैठिए आप।

श्री रामस्वरूप : महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है। मेरे प्रश्न को नहीं आने देते।

श्री नन्दलाल मीणा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री नन्दलाल मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री मोहन लाल मोदी : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री नन्दलाल मीणा : xxx

श्री जीतमल खांट : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री रामस्वरूप : हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है और महत्वपूर्ण प्रश्न पर वे जवाब दे रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, ये सुनने ही नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री नाथूराम अहारी : xxx

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री संजीव कुमार (भादरा) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख के साथ, टू दी पाइंट सवाल पूछा, कोर्ट के फैसले का हवाला देकर पूछा, इतनी बार, बार-बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं। उस गरीब को कोर्ट ने राहत देने की मंशा से किया था। उसका पालन नहीं किया, अनाज नहीं उठाया और गरीब तक वह सुविधा नहीं पहुंचायी। इसके विरोध में हम और हमारी पार्टी वाक आउट करती है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रतनाराम चौधरी : xxx

श्री जीतमल खांट : हम भी वाक आउट करते हैं।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, दुबारा जवाब दें। मुझे समझ में नहीं आया हल्ले में। माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। रामस्वरूप मीणा।

श्री सी. पी. जोशी : सर, सदन में यह स्ट्रेट वे रिकार्ड हो जाना चाहिए कि बी.पी.एल. फैमिली का सर्वे 1997 में हुआ, भारत सरकार करती है,

श्री अध्यक्ष : मेरा आपसे अनुरोध है ...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार को डायरेक्शन देना था। यह काम उन्होंने नहीं किया और वाक आउट कर गये, बी.जे.पी. यह कहना चाहती है। हम इसको कंडेम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री सी. पी. जोशी : यह हमारा काम नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) अब बैठिए आप। आपने वाक आउट कर लिया, बैठिए आप। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह गरीबी रेखा के नीचे वालों को वितरित करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पशुओं की मौसमी बीमारी

341. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक कुल कितने पशुओं की बीमारी के कारण मृत्यु हुई और मृत्यु होने के क्या कारण रहे?

(2) सरकार ने उक्त क्षेत्र में फैल रहे व्यापक रोग गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, आफरा एवं बुखार तथा मौसमी बीमारी को रोकने हेतु क्या-क्या उपाय किये? उक्त बीमारियों के निदान हेतु कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां पर दवाइयां भिजवाई गईं? दवा का नाम व मात्रा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में भविष्य में ऐसी बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक कुल 15 पशुओं की हीमोलिटिक न्यूमोनिया एवं सस्पेक्टेड हीमोरेजिक सेप्टीसिमिया के कारण मृत्यु हुई।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर))

(2) उक्त क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ा बुखार का टीकाकरण निर्धारित समय पर किया गया तथा रोग की सूचना मिलने पर तुरन्त बीमार पशुओं का इलाज किया गया एवं रोकथाम के लिए टीके लगवाए गए। उक्त क्षेत्र की पशु चिकित्सा संस्थाओं को वितरित की गयी औषधियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) उक्त क्षेत्र में भविष्य में बीमारियों की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा ग्राम सभा की बैठकों में पशुपालकों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा निर्धारित समय पर टीकाकरण कार्य सम्पादित किया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पशुओं के अन्दर भयंकर बीमारी फैली है और आज भी बीमारी फैल रही है। उसके बारे में मैंने सारे अधिकारियों से सम्पर्क किया उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में अब तक लगभग 110 मौतें हो चुकी हैं। इसमें मात्र यह बताया गया है कि केवल 15 पशुओं की हीमोलिटिक न्यूमोनिया के द्वारा मौत हुई है। मैं माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करूंगा कि ये मूक जानवर जिनके ऊपर सारे किसानों का आधार है जिसमें उनकी भैंसें भी मरी हैं। माननीय मंत्री महोदय जो हमारे पशुओं की हानि हुई है जिसमें बी.पी.एल. परिवार के भी पशु व भैंस हैं, उन गरीबों को क्या आप सहायता दिलाएंगे?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जो यह बीमारी फैल रही है, उस बीमारी के उपचार के लिए क्या आप टीकाकरण की व्यवस्था इस समय भी कर रहे हैं? गांव-गांव में यह बीमारी आज भी फैल रही है। हमारे यहां पर मेहसवा, मारणोत, दादनपुर, नांगल, पारल्डी, खरकड़ी, मोरल्डा, गोरल्डा, केमरी, गड़खेडा, गुढ़ाचन्द्रजी, सोपेम शहर, इन गांवों में बीमारी फैल रही है। मैं स्वयं छुट्टी के दिन वहां गया था, चारों तरफ लोगों को मैं विश्वास देकर आया हूं कि हमारी लोक कल्याणकारी सरकार, हमारी जवाबदेह सरकार, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे। मेरा निवेदन है कि क्या माननीय मंत्रीजी टीकाकरण करना चालू रखेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी, आपने प्रश्न पूछ लिया है। बैठिए।

श्री रामस्वरूप : तीसरा मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री रामस्वरूप : एक प्रश्न है खाली बस।

श्री अध्यक्ष : बाद में।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में यह लोक कल्याणकारी...(व्यवधान) क्या बैठो? काजलखाने खुलवाओगे आप सब, ब्राह्मण के हो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके टोडाभीम एरिया में हमने गत वर्ष 51 हजार रुपये से अधिक की दवाइयां दी हैं और टीकाकरण का जहां तक प्रश्न है हमने गलघोंटू के 41, 131 टीके, लंगड़ा बुखार के 300, एंटोटोक्सनिया के 3150, सी–फोक्स के 480 और खुरपका, मुंहपका के 2522 टीके, इस प्रकार कुल मिलाकर 47583 टीके लगवाएं हैं। अभी और आवश्यकता है टीकों की, तो टीकों का कार्यक्रम बदस्तूर चल रहा है और जब तक आवश्यकता होगी तब तक टीके लगाए जाएंगे। टीके की फीस दो रुपये प्रति जानवर है। जितने भी लोग टीके लगवाना चाहें, हमारे पास टीकों की कोई कमी नहीं है। हम टीके लगा देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : टीके को लोग लगवाना चाहें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हद हो गयी इसमें।

श्री रामस्वरूप : जानवर मर रहे हैं और मजाक बना रहे हो। हमारे क्षेत्र में जानवर मर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप मजाक बना रहे हो।

श्री रामस्वरूप : और आप मजाक बना रहे हो, इसकी शर्म आनी चाहिए आपको। जब ही तो आपकी गायें इतनी डूब गयीं, इस तरह के लोक कल्याणकारी कार्य में भाग नहीं लेते हो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारे पास रिपोर्टेड मौतें हैं, वह 15 मौतें हैं। मौतों का कोई हमारे यहां पर रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी नहीं है, जितनी रिपोर्ट हमारे यहां पर होती हैं वह हमारे पास हैं लेकिन फिर भी हम प्रयास इस बात का करेंगे कि इस क्षेत्र में बीमारी नहीं फैले, उसके लिए जो भी टीके का कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया जाएगा, वह चलाएंगे और इनकी संस्थाओं को और सुदृढ़ करेंगे।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने एक सूची हमारे क्षेत्र की दी है, आपने केल्विमिन फोर्ट 2.5 किग्रा. एक दी है पशु चिकित्सालय, टोडाभीम को, पशु चिकित्सालय, नादौती को एक, सोप को

(श्री रामस्वरूप)

एक, कमालपुरा को एक दी है। आपने कार्पर सल्फेट 500 ग्राम केवल दो दी है गुढ़ाचन्द्रजी को, आयोडीन सोल्यूशन केवल दो दी हैं। इसी प्रकार आपने बोलस सल्फाडिमिडिन एक-एक दी हैं। सारे क्षेत्र में बीमारी फैल रही है और उसके लिए केवल मात्र आप एक डिब्बा दे दो या एक दवाई दे दो, यह अपर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय से, आप मेहरबानी करके, आप किसान के बेटे हो, आप तो बहुत दयालु हो, आप तो हमारी बात को तुरन्त सुन लेते हो, हमारी सरकार भी हमारी बात को तुरन्त सुनती है, मेहरबानी करके आप हमारे पूरे क्षेत्र में इन दवाइयों की संख्या तो बढ़ाओ। अस्पतालों में एक-एक दवाई दे रहे हो आप, गुढ़ाचन्द्रजी में एक दवाई दी है आपने, टोडाभीम में एक डिब्बा दिया है और इसी प्रकार सोप में एक डिब्बा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन दवाओं की संख्या बढ़वाएं ताकि दवाइयां ज्यादा दी जायं और बांटी जाएं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्षजी, अभी मार्च के महीने में इनको 23 हजार रुपये की दवाई भिजवायी हैं और भी अगर जरूरत महसूस की जाएगी तो दवाई और भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। मोहम्मद माहिर आजाद। यह श्री यशवन्त सिंह (रामू) को भी अथोराइज किया है उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : दोनों कर दिया ताकि कोई तो रहेगा।

विधान सभा क्षेत्र कामां एवं डीग में गुड़गांव कैनाल की मरम्मत

342. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) (श्री अरुण सिंह) (डीग) के स्थान पर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गुड़गांव कैनाल से इस वर्ष कितना-कितना पानी सिंचाई के लिए दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गड़गांव कैनाल के पानी से विधान सभा क्षेत्र कामां व डीग में सिंचाई की गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गुड़गांव कैनाल के लिए 1200 क्यूसेक्स पानी की घोषणा की गई थी? क्या इस वर्ष उक्त पानी को गुड़गांव नहर में छोड़ दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार ने गुड़गांव नहर की क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग से कोई बजट दिया है या देने का विचार रखती है?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(5) गुड़गांव नहर की अन्य शाखाओं के द्वारा उक्त क्षेत्र में सिंचाई कब तक करने का विचार है?

(6) क्या राज्य सरकार ने गुड़गांव नहर व वितरिकाओं की मरम्मत व खुदाई हेतु इस वर्ष के बजट 2002-2003 में राशि व्यय करने का प्रावधान किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (डा. (श्रीमती) कमला): (1) गुड़गांवा नहर में इस वर्ष अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक कुल 11698 क्यूसेक्स डेज पानी सिंचाई के लिए दिया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) गुड़गांवा नहर से इस वर्ष कामां विधान सभा क्षेत्र में ही सिंचाई की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट-2 में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। अपर यमुना रीवर बोर्ड की दिनांक 21.12.2001 को हुई 22वीं बैठक में भरतपुर जिले को 1281 क्यूसेक्स जल देना तय हुआ है। जिसमें से 981 क्यूसेक्स जल गुड़गांव नहर एवं 300 क्यूसेक्स जल भरतपुर फीडर द्वारा प्रस्तावित नई परियोजना की स्वीकृत एवं नहर के आधुनिकीकरण के बाद ही दिया जाना सम्भव है।

(4) जी हां। गुड़गांवा नहर की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है एवं केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन होने के पश्चात् परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर वित्तीय संसाधन की उपलब्धतानुसार बजट राशि आबंटित किया जाना सम्भव है।

(5) राज्य के हिस्से का पूरा पानी लेने का प्रयास किया जा रहा है। पानी की उपलब्धतानुसार पानी छोड़ा जाना सम्भव है। सभी शाखाओं में सिंचाई के लिए पानी देना सम्भव है।

(6) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मरम्मत एवं खुदाई के कार्यों का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के खण्ड एक में कहा है कि हमने राजस्थान का 11,698 क्यूसेक्स डेज पानी सिंचाई के लिए लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान के हिस्से का पानी कितना है जिसमें से आपने यह पानी लिया है।

दूसरा, जो तीसरे प्रश्न का बिन्दु है, जिसमें आपने कहा है कि आधुनिकीकरण के लिए बजट में, मैं पूछना चाहता हूं कि कितना प्रावधान आपने रखा है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी कड़ी बना दी कि पानी उपलब्ध जब होगा जब नहर की मरम्मत और उसका आधुनिकीकरण हो जाएगा, आधुनिकीकरण जब होगा जब संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे और संसाधन जब मिलेंगे जब केन्द्रीय जल आयोग स्वीकृति दे देगा। आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपने केन्द्रीय जल आयोग को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कितनी राशि की आपने उनसे स्वीकृति मांगी है।

दूसरा यह कामां के लिए आपने कहा कि इसका पूरा पानी जो केवल कामां क्षेत्र के अन्दर ही उपयोग में लाया गया। उसकी सूची भी आपने दी है लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है, कि कामां के आपने 21 माइनर बनाए हैं। उन सब का आप एक बार सर्वे तो करवाएं और दिखवाएं, यह सारी टूटी हुई पड़ी है, ये मरम्मत मांगती हैं। लोगों ने इनमें मार्ग बना रखे हैं। क्या यह सही है कि इनकी पुलियाओं पर पत्थर लगाने के लिए धौलपुर से आपने पत्थर भी मंगवा कर वहां पटका हुआ है लेकिन आज तक भी वह पत्थर नहीं लगा? लोगों ने उसी में से रास्ते बना रखे हैं, इसलिए इनका भी सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अध्यक्षजी, आपके माध्यम से यही [illegible]

गुड़गांवा कैनाल का पूरा पानी लेने और इसके आधुनिकीकरण के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान रखा है और केन्द्रीय जल आयोग को आपने कितने रुपये का प्रस्ताव भेजा है? कृपया इसका उत्तर दें।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, 11698 क्यूसेक पानी जो मिला उसके पेटे हमें एक लाख 89 हजार 986 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए था। इतना हमें कम मिला। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि नहर में क्योंकि टूट-फूट है, सिल्टिंग है इसलिए पानी पूरा नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए हमने प्रतिवर्ष कुछ न कुछ राशि लगायी है। 2000-2001 में लगभग एक करोड़ रुपया इसी के लिए दिया गया था। उसमें काफी काम भी हुआ लेकिन अभी भी नहर के अन्दर बहुत काम बाकी है और काम बाकी होने के साथ-साथ हमेशा की जो समस्या है वह यह है कि हरियाणा के क्षेत्र में वहां के काश्तकार नाजायज तौर पर बहुत जगह पर पम्प लगाकर हमारा पानी खींचते रहते हैं। साथ ही हम क्योंकि उसकी पूरी सफाई करने की स्थिति में अभी तक नहीं हो पाए इसलिए दोनों प्रकार के अवरोध हमारे उपलब्ध हैं और उन्हीं के कारण से हमारा बहुत कम पानी हम ले पाते हैं। यह हमारे सामने व्यावहारिक समस्या है जिसके लिए बराबर उनके साथ [illegible] जाने का, उनको [illegible] करने

(डा. (श्रीमती) कमला)

का, उनके कारण से जो अवरोध हो रहा है उसको हटाने का, यह सारी समस्याएं बराबर उनके साथ में जाती रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी डाउन स्ट्रीम में जिस तरह का बिहेवियर हर किसी स्टेट का होता है, इनका भी हमारे साथ में चल रहा है जो बहुत दुःखदायी है।

अभी जो अपर यमुना बोर्ड के फैसले के बाद में नयी परियोजना तैयार की गयी है उसमें 150 करोड़ रुपये का इसके अन्दर प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में दोनों नहरों के लिए इसमें हमने काम किया है उसमें काफी कुछ व्यवस्था सुधरने की और काफी कुछ हिस्सा अपन और लेने की कोशिश में हैं। लेकिन जब तक हम सचमुच में इनके रख रखाव के लिए प्रावधान नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी भी कमजोरी रहेगी। साथ ही इफेक्टिव वे में किसी प्रकार से हम हरियाणा के काश्तकारों को हमारा पानी ड्रा करने से रोक सकें। इसकी व्यवस्था भी प्रभावी तौर पर करने की चेष्टा के बावजूद भी सम्भव नहीं हो रहा है इसलिए हमें हमारा पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने यह कहा है कि एक लाख क्यूसेक्स पानी का हिस्सा राजस्थान का बनता था और उसमें से केवल 11698, यानि 10 प्रतिशत ही हिस्सा हमारा ले पाए हैं। एक तरफ तो हम पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारा हिस्सा है वह हिस्सा हम 10 प्रतिशत ही ले पा रहे हैं। यह तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।

आपने दूसरा जवाब यह दिया कि 150 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान रखा है। 150 करोड़ रुपये का तो आपने यमुना प्रोजेक्ट के लिए रखा होगा। मैं तो आपसे गुड़गांवा कैनाल की बात कर रहा हूं। इसके लिए तो आपने केवल 35 हजार रुपये का प्रस्ताव रखा है, क्या यह सही है? क्या इसको बढ़ाकर आप इसकी मरम्मत का और सर्वे का काम इस साल कराएंगे?

डा. (श्रीमती) कमला : यह जो 35 हजार बता रहे हैं यह तो सिर्फ मरम्मत का है। 150 करोड़ रुपये...

मोहम्मद माहिर आजाद : 35 हजार में हो जाएगी?

डा. (श्रीमती) कमला : यह 150 करोड़ नई जो परियोजना का सैंक्शन होगा उसका बता रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप कह रही हैं कि हमारी नहर जीर्ण-शीर्ण होने के कारण हम उससे पानी ड्रा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह (रामू)। श्री राजेन्द्र सिंहजी, वे प्रश्नकर्ता हैं उनको अथोराइज किया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, जो टूटी-फूटी है, इसका पूरा सर्वे कराकर मरम्मत का काम कब तक करा दिया जाएगा? इसका बड़ा स्पेसिफिक जवाब दें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से सीधा प्रश्न है कि इन्होंने 2001-2002 और 2002-2003 में भरतपुर फीडर और गुड़गांव कैनाल के लिए खुदाई और मरम्मत के लिए कितना पैसा दिया?

दूसरा, क्या राजस्थान सरकार ने भरतपुर फीडर के लिए जो 300 क्यूसेक पानी आबंटित है उसको लेने के पूरे प्रयास कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि हमारी कैनाल जीर्ण-शीर्ण है। पूरी कैपेसिटी में 1290 क्यूसेक्स पानी को ड्रा नहीं कर सकते, तो क्या यह सही है कि जून, 2001 में 1293 क्यूसेक्स जुलाई, 2001 में 1594 क्यूसेक्स और अगस्त, 2001 में 1352 क्यूसेक्स पानी आपने इस कैनाल से ड्रा किया? यह पानी उस वक्त ड्रा किया जब बरसात का मौसम था, पड़ौसी राज्यों को पानी की आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त तो यह पानी कैसे आ गया और फिर यह हालत कैसे बन गयी कि उसी कैनाल में इतना पानी उसके बाद कभी नहीं आया? यह तो बहाना है कि हमारी कैनाल जीर्ण-शीर्ण है इसलिए हम पानी ड्रा नहीं कर सकते।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहाना कुछ भी नहीं है, जो वस्तुस्थिति है उसको मैंने स्वीकार किया है कि एक तरफ हरियाणा के काश्तकारों को, हरियाणा की सरकार का जो नान को-आपरेशन है या उनका अवैधानिक तरीके से ड्रा आफ वाटर है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जून, जुलाई एवं अगस्त में कैसे हो गया? जून, जुलाई एवं अगस्त में पानी कैसे दे दिया?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह समझौता ही एक्सेस वाटर का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं यह जून, जुलाई एवं अगस्त के आपने ही इस उत्तर के दूसरे खण्ड में दिये हैं। तो फिर यह कैसे हो गया जब पानी की उनको आवश्यकता नहीं तब तो पानी छोड़ देते हैं हमारी तरफ। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप अपने आप ही समझ रहे हैं तो मुझसे और क्यों पूछ रहे हैं कि जब बारिश का पानी अधिक आ जाता है और वह यूटिलाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं तब तो हमें छोड़ देते हैं लेकिन जब हमें जरूरत होती है तब वो नहीं छोड़ते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब हमारे मुख्य मंत्रीजी इतने कमजोर हैं कि हम हरियाणा की दया पर हैं। हमारे हिस्से का पानी हम ले नहीं सकते। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : यह जो भी मुख्य मंत्री रहे उनके सब के वक्त की रफ्तार है। वे जो बड़े मुख्य मंत्री आप जिनको मान रहे हो उनके वक्त में भी यही हालत थी बल्कि हमने तो कोशिश करके... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारे मुख्य मंत्रीजी कमजोर नहीं हैं जिन्होंने बरामदे खाली करवा लिए जयपुर के अन्दर। (व्यवधान) ऐसे मुख्य मंत्री को कमजोर बताते हैं आप। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पंजाब से भी हिस्सा नहीं ले पाते हैं और न हरियाणा से ले पाते हैं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : आप हमारे मुख्य मंत्री को कमजोर बताते हो। (व्यवधान) आपके टाइम में भी पानी नहीं आया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हरियाणा...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब भी भरतपुर का सवाल आता है, नगर का सवाल आता है, डीग का सवाल आता है, उसमें राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों की यह आदत खराब है कि जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे हिस्से का हमको पानी मिले यह हम सब चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : जवाब सुनिए आप।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार हमारे किसानों के हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। पंजाब से हम अपना हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं ले पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हरियाणा से हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आपने दिला दिया क्या?

श्री देवीसिंह भाटी : जो पूर्व में मुख्य मंत्रीजी के ऊपर चार्ज लगा रहे हो...

डा. (श्रीमती) कमला : आप ले आए थे क्या? आप ले आए थे क्या? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह उनके टाइम में ही समझौता हुआ था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भरतपुर का क्वेश्चन है, यह बीच में कहां चले गए? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए थे। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ...आप बरबाद कर रहे हो। (व्यवधान) आप बार-बार खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : ...जवाब सुनिए। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : यह भरतपुर का क्वेश्चन है, बीच में राजनीति करने के लिए कहां से आ गए। क्या बात कर रहे हैं? जवाब आने दीजिए। (व्यवधान) क्या राजनीति कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी): यह भरतपुर का प्रश्न है और यह बार-बार खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) समय बरबाद हो रहा है हाउस का।

श्री रामस्वरूप : किसानों की बात करते हैं तो सुनने नहीं देते हो। किसानों की बात है तो सुनते नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आप भी सिंचाई मंत्री रहे हैं बी.जे.पी. के शासनकाल में। आपने लिया क्या वह पानी? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह बी.जे.पी. शासन में भी भरतपुर में पानी आया है। यह समझौता हुआ। बी.जे.पी. के राज में हुआ है।

श्री मोहन लाल मोदी : एक बूंद भी नहीं आया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी आपके...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह आपको जानकारी नहीं है कि हरियाणा से समझौता बी.जे.पी. के शासनकाल में हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नल के पानी से धोवों आप। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ये पंजाब से अपना हिस्सा ले नहीं पा रहे हैं, हरियाणा से हम हमारा हिस्सा ले नहीं पा रहे हैं। अगर जवाब देना है, तो जवाब...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप बोलना ही बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह राजनीतिक बात करते हो, यह राजनीतिक बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : जवाब सुनिए पहले। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, तो फिर जाइए आप बाहर। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बाहर जाइए आप। (व्यवधान) +++

श्री रामस्वरूप : ...इस तरह धमकी देते हो माननीय मंत्री महोदय को। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : +++ निकाल दो हमें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या धमकी दे रहे हो आप?

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं क्या होता है, जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान) हां, जाइए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ लगा रखा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : +++ क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है यह +++? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक महिला को... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : यह कोई तरीका हुआ इनका? (व्यवधान) जवाब नहीं सुनना चाहते यह कैसे...(व्यवधान) जवाब सुनना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस तरह से धमकी दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : +++(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : धमकी नहीं दे इनको। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इस तरह कार्यवाही... (व्यवधान) इस तरह से जो धमकी दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : इस तरह धमकी नहीं दे सकते हो। आपने तो मना किया कि नहीं सुनना चाहता हूं तो मत सुनिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इस तरह से जो धमकी दे रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) क्या कर लेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, इस तरह से धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शर्म आने की बात है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। यह कोई तरीका होता है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : +++ (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : (व्यवधान) +++ देखा है? (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. चन्द्रभान : इतने वरिष्ठ मंत्री हैं उनको इस तरह से धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोई बात है यहां करने की?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ...बाहर निकालेंगी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाहर निकालेंगे? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये कौन होते हैं बाहर निकालने वाले? यह हाउस... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह धमकी देकर के डराना चाहते हैं। हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के लिए लड़ते हैं...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हम डरने वाले नहीं हैं। ये धमकी देकर डराना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के लिए लड़ते हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ये क्या धमकी देना चाहते हैं? आप इस तरह से धमकी दे रहे हैं मंत्रीजी को, किस तरह से धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान) किस तरह से आप उन्हें धमकी दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आपको अधिकार है क्या?

डा. चन्द्रभान : आप किस तरह से उन्हें धमकी दे रहे हैं? किस तरह से धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप कैसे कहती हैं कि आप बाहर चले जाओ। वह कौन होती है मुझे बाहर निकालने के लिए, मैं निकालता हूं बाहर। वह मुझे कहती हैं कि बाहर चले जाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको यह अधिकार नहीं है (व्यवधान) यह आसन का काम है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह आसन का काम है कि बाहर चले जाओ। यह मुझे सिखाएगी। (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह कोई तरीका है, यह कोई तरीका है। (व्यवधान) आप, अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। एक महिला मंत्री, इतनी वरिष्ठ मंत्री, जिनको ये धमकी दे रहे हैं इस तरह से सदन में, अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही होनी चाहिए इनके खिलाफ, सदस्य के खिलाफ। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह अधिकार है क्या कि वह बाहर निकालें? क्या है, किस बात का अधिकार है? यह आसन का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह धमकी देना गलत है, हम धमकी से नहीं डरेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन का अधिकार है (व्यवधान) आसन चाहे जो करेगा लेकिन यह अधिकार आपको नहीं दिया हुआ है। आसन का काम आपको नहीं करना है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक महिला मंत्री को धमकी दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या आपको अधिकार दिया हुआ है आसन ने बाहर निकालने का? (व्यवधान) आप कौन होते हो बाहर निकालने की बात करने वाले? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह का आरोप गलत है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि हम नहीं सुनेंगे, तब मैंने कहा है। आप नहीं सुनना चाहते तो आप बाहर जाएं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप बाहर निकालने वाले कौन होते हो। (व्यवधान) आसन से अगर व्यवस्था हो तो...

डा. (श्रीमती) कमला : आपको हक यह नहीं है कि आप नहीं सुनेंगे, हाउस में बैठना है, तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान) आपको जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन चाहे कि बाहर निकाला जाए जो करे। आप बाहर निकालने वाले कौन होते हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया अपना जवाब देना चाहती हैं, आप बैठाइए इनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द कहे गए हैं, उनको वापस लिया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदया का जवाब सुनिए। मंत्री महोदया का जवाब सुनिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करो। यह अधिकार है, तो आसन को अधिकार है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, हमने सुना है, जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय को धमकी दी गई है, उन माननीय सदस्य के खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान) उन माननीय सदस्य के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो प्रोसीडिंग में आ गया है न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्य मंत्री बैठे हैं इसलिए सब शक्ल दिखाना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने परम्परा डाल रखी है कि सवाल कर दें, सुने नहीं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं सुनना चाहते हैं, तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप कान बन्द कर लीजिए या चले जाओ, इसमें मैंने कौनसी गलत बात कही है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह अधिकार आपको नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है, आप सवाल कर लें, जवाब नहीं सुनें, इसलिए मैंने कहा है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हम किसान के बेटे हैं। हम भी किसान की बात रखते हैं सदन के अन्दर, हम भी किसानों के हित की बात करते हैं यहां, ये कभी भी नहीं सुनते हैं किसानों की बात को। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की धमकी देते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आसन की आज्ञा का पालन करेंगे लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को बाहर निकाल दें और किसी को कुछ कह दें, यह अधिकार आपको नहीं है। आसन चाहेगा बाहर निकालने के लिए चले जाएं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आसन चाहेगा और..(व्यवधान) यह तो धमकी देने की बात है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह अधिकार आपको नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : +++ आप इस तरह से आतंक फैलाना चाहते हैं, +++ करना चाहते हैं और हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, यह क्या तरीका है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हरियाणा का निर्णय उनके समय में हुआ था, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हरियाणा का पानी दिलाया है हमारे लिये।

श्री नाथूराम अहारी : और यह आपका क्या तरीका है? (व्यवधान) इन पर कोई रोक नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उनके समय में लोगों के साथ, किसानों के साथ अन्याय हुआ है। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनार्दन सिंहजी गहलोत।

श्री नाथूराम अहारी : आप ही एम.एल.ए. हो क्या?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...नहीं करने देना चाहते हो, हर बार खड़े हो जाते हैं, +++ कर लो।

डा. (श्रीमती) कमला : सवाल कर लो, जवाब नहीं सुनो, यह क्या बात हुई, अच्छी आदत डाल रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, आप प्रश्नकाल चलने देना चाहते हैं या नहीं चलने देना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इस तरह से बीच-बीच में नहीं बोलोगे। बैठ जाओ आप। यह क्या मतलब हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका है इनके बोलने का?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं तो शक्ल दिखाना चाहते हैं अपनी +++ क्या बात करते हो। (व्यवधान) यह +++ नहीं चलने देंगे।

श्री रामस्वरूप : आप इस तरह से जवाब नहीं सुन रहे हैं हमारा, जवाब तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल चलने देना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह अधिकार आपको नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके बहुमत के आधार पर +++ नहीं चलने देंगे। आज यह सब खड़े हैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को शक्ल दिखाने के लिए यह सब शक्ल दिखाना चाहते हैं। बैठ जाओ। +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ, बैठ जाओ। +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह अधिकार आपको नहीं है।

श्री रामस्वरूप : यह सदन नहीं चलेगा इस तरह से। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तुम कौन हो बैठाने वाले...(व्यवधान) बहुमत के आधार पर +++ करना चाहते हैं। बंधे हुए नहीं हैं हम तुम्हारे नियम से। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बोलने की तमीज, सभ्यता तो सीखो। बोलने की तहजीब तो होनी चाहिए। (व्यवधान) यह ठेका आपने ले लिया है क्या कि आप किसी को नहीं बोलने देंगे? (व्यवधान) यह सारी गाली गलौज यहां पर बोलेंग क्या? (व्यवधान) यह एक फोरम है, इस फोरम पर मर्यादा तो रखिये आप। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बहुमत के आधार पर +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : डेमोक्रेसी में इस तरह की बात कब तक चलेगी? आपको बोलने की तहजीब नहीं है। बोलने का तरीका नहीं है। (व्यवधान) तहजीब सिखाइये कि यहां पर कैसे क्या बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य, आप पहले सीखकर आओ तहजीब। (व्यवधान) आज सब शक्ल दिखाना चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, रोज रोज ये मंत्रीजी का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, बोलिए आप।

श्री सी. पी. जोशी : कोई जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, मंत्रीजी को जवाब देने नहीं दिया जाता है और...(व्यवधान) पार्टी के व्हिप को बुलाया जाए लीडर को बुलाया जाए। हाउस चलाना है, तो ढंग से हाउस चलाएं। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है हाउस चलाने के सम्बन्ध में, इस तरह से मंत्री को टेकल किया जाए, बात सुने नहीं मंत्रीजी की, यह तो फैसला किया जाएगा, अगर सदन चलेगा तो गरिमा में चलेगा, नहीं तो इस तरह से नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्यों को बैठाइए आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे मंत्री नहीं बनोगे दोनों। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्रीगण गाली गलौच नहीं सुनेंगे सदन के अन्दर, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उनसे माफी मंगाई जाए। उसके बाद सदन चलेगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप उड़ीसा विधान सभा बनाना चाहते हो। आप उड़ीसा विधान सभा बनाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह उड़ीसा विधान सभा नहीं बनेगी। (व्यवधान) यहां मर्यादा का पालन होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जैसे लोगों के कारण...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, शुरूआत कौन कौन ने किया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य के आचरण को मर्यादित करिए आप।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कौन शुरूआत कर रहा है इस ढंग से। (व्यवधान) ऐसे +++ करके मंत्री नहीं बनोगे। अपनी शक्ल मुख्य मंत्रीजी को दिखाना चाहते हो। ऐसे कोई मंत्री बनाएगा आपको।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : ...और जवाब हमारे नहीं आ पाते हैं। इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करते हो आप? (व्यवधान) हम आपके अनुशासन में बोलते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज मुख्य मंत्रीजी आ गये तो सब हल्ला मचाने लग गये।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए, बैठिए।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : एक महिला मंत्री के चरित्र के बारे में जो बात कही गई, वह बहुत गलत बात है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : हम आपके इशारों पर बैठ जाते हैं और ये आपके आदेश को सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हम आपके अनुशासन में चलने वाले सिपाही हैं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह नियम इन पर क्यों नहीं लागू होता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए, बैठिए।

श्री रामस्वरूप : ये हमेशा रोड़ा अटकाते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अनुशासन के नियम इन पर लागू नहीं होते हैं, सिर्फ हम पर ही लागू होते हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : एक महिला मंत्री के लिए इस तरह की बात की जाए, यह कोई माननीय सदस्य के लिए शोभा की बात है क्या? इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? एक माननीय महिला मंत्री के लिए निरर्थक आरोप लगाया गया है। इनको सदन से बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनसे माफी मंगाई जाए। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : इनसे माफी मंगाई जाए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक के इतिहास में इस तरह से विधान सभा में... (व्यवधान) सदन में इस तरह का व्यवहार राजस्थान के बारे में क्या तस्वीर देना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : यह चीज बरदाश्त नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चीज बरदाश्त नहीं होगी। माननीय सदस्य, माफी मांगे माननीय मंत्रीजी से। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह सदन नहीं चल पाएगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन की गरिमा को ठेस लगी है।

डा. चन्द्रभान : जब तक इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, यह सदन नहीं चल पाएगा। यह हम जो मंत्रीगण हैं, गाली गलौज नहीं सुनेंगे इनकी। कोई गाली गलौज नहीं सुनेंगे इनकी। कोई इस तरह से हमको धमकी दे...

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : नहीं सुनेंगे हम।

डा. चन्द्रभान : यह क्या चुनौती देंगे? क्या करेंगे बाहर चल कर? बाहर आ जाओ। आपकी क्या हैसियत है और हिम्मत है? माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ, क्या कर लेंगे बाहर चल कर, क्या कर लेंगे? (व्यवधान) आपको पता लग जाएगा, आपकी क्या हैसियत है, जो बाहर चल कर कह रहे हो, बार-बार आप कह रहे हैं कि बाहर चले जाओ, चुनौती देकर क्या कह रहे हैं? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, गाली गलौज नहीं सुनेंगे सदन के अन्दर, आप कार्यवाही करिए इनके खिलाफ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन को मजाक बना रखा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री रामस्वरूप : इस तरह आप मंत्री को अपमानित करते हो, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये सब मुख्य मंत्री को शक्ल दिखाना चाहते हैं, मंत्री बनने के लिए लालायित हैं। मुख्य मंत्री को अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है यह। यह जो नाटक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप बैठ जाओ, आपसे डरने वाले नहीं हैं हम। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य माफी मांगे, इन्होंने जो एक महिला वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके प्रति जिस तरीके की टिप्पणी की है, वह अमर्यादित है, असंसदीय है। इनकी दिन प्रतिदिन हिम्मत बढ़ती जा रही है। रोजाना मन में आए जो अमर्यादित व्यवहार करते हैं। इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। इस तरह का दुराचरण और दुर्व्यवहार है, इनके प्रति कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं। आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, साहब। इस तरह से यह जो अनलिमिटेड बात है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बांहे तो कोई चढ़ा सकता है, सदन की मर्यादा का खयाल तो रखना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इस तरह बांह चढ़ाकर डराना चाहते हो, हम नहीं डरेंगे। यह दिलावरजी चाहेंगे कि हम बैठ जाएं, इस तरह से बांह चढ़ाने से नहीं डरेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह दु:साहस की पराकाष्ठा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपका भी इस विधान सभा में बहुत लम्बा अनुभव है। आप सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्यों

(12.00 बजे)

में से, एक-दो हैं, उनमें से आप हैं। मेरा भी छठा टर्म है। मैंने इतना अशोभनीय व्यवहार विधान सभा में महिला मंत्री के संग कभी भी नहीं देखा। (व्यवधान) इससे ज्यादा लज्जा, शर्म और खेदजनक स्थिति हो नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप करें तो कुछ भी खेदजनक नहीं है। आपके लिए तो कुछ भी खेदजनक नहीं है...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप चुप रहिए। चुप रहिए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप नारी का सम्मान क्या जानो। आप महिलाओं का सम्मान ही नहीं जानते हैं...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हो जाता है, माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, यह बहुत लाजिमी है सदन की स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिए। अगर आज इस किस्म की शुरूआत हो गई तो फिर इसका अन्त नहीं होगा कभी भी। अध्यक्ष महोदय, क्या नहीं कहा। यह सारे का सारा आप पहले एक्सपंज कराएं, इनसे माफी मंगवाएं, अन्यथा यह आज का दिन इस राजस्थान विधान सभा के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा।

एक माननीय सदस्य : काले अक्षरों में लिखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बात केवल इनकी बात से शुरू हुई...

श्री नगराज (लसाड़िया) : हम कोई जवाब नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय सदस्य माफी मांगे माननीय मंत्री महोदय से। उसके बाद ही सदन की कार्यवाही चल सकेगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जवाब तो सुनिए क्या है।

श्री नगराज : कोई नहीं सुनेगा। (व्यवधान) पहले यह माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में क्या बचा है बोलने के लिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदया ने कहा कि (व्यवधान) स्वाभाविक है इर्रिटेट होना ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आपकी तरफ से कोई इसमें व्यवस्था नहीं होती हम प्रतिपक्ष की कोई बात नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे, न इसमें आगे जब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी, चलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आसन से कोई बात कहे, आसन... (व्यवधान) इसमें कुछ नहीं कहना चाहते, हम पूरा...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : खेद व्यक्त करें, माफी मांगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन मंत्री महोदय ने...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी मांगे माननीय मंत्री महोदय से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की बात मंत्री अपने स्तर पर, जिनको इतना लम्बा अनुभव है विधान सभा का, ऐसे वरिष्ठ मंत्री अगर इस प्रकार का व्यवहार करें और यह कहे कि बाहर चले जाओ तो स्वाभाविक रूप से...

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सफाई की कोई गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह अधिकार मंत्री को भी नहीं है कि वह किसी को बाहर निकलने की बात कहे। आसन चाहे तो व्यवस्था करे। यह उन्होंने कहा था तब यह मामला बना, बाकी नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा बाहर निकल जाओ तब जा करके यह विषय चला, बाकी कोई विषय नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। प्रश्नकाल समाप्त। सदन में इस प्रकार का व्यवधान, श्री कटारियाजी, अगर चलेगा, तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध यह करता हूं कि आपको का-आपरेशन करना चाहिए। प्रश्न का जवाब दे रही थीं, इसको आप सुनना नहीं चाहते। प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पर गलतफहमी इधर रहेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुनना तो हम चाहते थे। उन्होंने कहा बाहर निकल जाओ तब जा करके यह उत्तेजना फैली। सुनने के लिए थे यहां...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : कोई सुनना नहीं चाहते...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदस्य सुनना नहीं चाहते...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : यह कहा कि सुनना नहीं चाहते तो बाहर जाइए। (व्यवधान) अब फिर कह रहे हैं हम लोग।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने कहा बाहर आप जाइए। हम लोग जवाब सुनना चाहते थे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस तरह से कोई धमका नहीं सकते हो...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्रजी, आर्डर, आर्डर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आप खुद का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आसन पैरों पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो कहा है इसको एक्सपंज तो करायें, श्रीमन् और खेद व्यक्त कराएं, माफी मंगवायें इनसे, कुछ तो करवाएं आप। यह हाउस कैसे चलेगा ऐसे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी। माननीय अध्यक्षजी, एक निवेदन है मेरा। (व्यवधान)

श्री नवलकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में एक प्रश्न को लेकर जिस तरह की उत्तेजना आई वह सम्भवतया संसदीय इतिहास में ठीक बात नहीं है। मुझे खेद है यह कहते हुए कि एक माननीय सदस्य ने एक महिला मंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाये हैं वह बहुत गम्भीर आरोप हैं। आपने प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा तो की, पर मैं यह जरूर चाहूंगा, आप कार्यवाही करें उन सदस्य के खिलाफ, न करें, वित्त मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव पेश किया उस पर सोचें या कार्यवाही करें, यह आपका निर्णय है पर जो मंत्रीजी के खिलाफ रिकार्ड में अंकित हुआ है उसको स्क्रूटनाइज करके एक्सपंज किया जाना चाहिए क्योंकि रिकार्ड में यह नहीं जाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : जो मंत्रीजी के सम्बन्ध में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है मैं उन सभी शब्दों को और उन वाक्यों को एक्सपंज करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट सुनना पड़ेगा। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। माननीय अध्यक्षजी, जो कुछ हुआ सदन में सब ने देखा है। माननीय पण्डितजी ने भी अपनी बात कही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह रोजाना की एक प्रक्रिया बन चुकी है कि माननीय सदस्य आप चाहे कितना ही उनसे निवेदन कीजिए, मानने को तैयार नहीं हैं। अभी जो हमारे चीफ व्हिप साहब की तरफ से कहा गया और सभी माननीय सदस्य...(व्यवधान) सुन तो लो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप चार्ज लगा रहे हो। क्या चार्ज लगा रहे हो आप? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भी नहीं सुनना चाह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप यों ही चार्ज लगा रहे हैं। यह कोई बात हुई क्या।

श्री शिवनाथ सिंह : सुन तो लें आप। सुन तो लें।

श्री सांवर लाल : +++ करना चाहते हो क्या?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं चार्ज विथड्रा कर रहा हूं...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : क्या करना चाहते हो आप? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : क्या करना चाहेंगे, किस को धौंस दे रहे हो? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : बहुमत दिया है हमको जनता ने। आपकी मेहरबानी से 153 नहीं चुनकर आये हैं। आपकी मेहरबानी से 153 नहीं आये हैं। जनता ने चुनकर भेजा है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मान्यवर, मेरी बात को मैं वापस लेता हूं लेकिन आपका आचरण दिखाता है कि कितनी आसन की आप इज्जत करते हो, कितना मानते हो। माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुख्य सचेतक महोदय और हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि यह माफी मांगें। एक बात कही लेकिन माफी आप इनके दबाव से क्यों मांगेंगे। माफी नहीं मांगते हैं उस स्टेज में क्या एक्सपंज करना ही इस प्रकार के व्यवहार के लिए वाजिब है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, बहुत गम्भीर मामला है। इस मामले में यदि इस तहर से एक्सपंज आप करते जाओगे और हमेशा यह प्रचलन रहेगा इसलिए मैं सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और जो माननीय सदस्य...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप अध्यक्षजी के निर्णय को चैलेंज कर रहे हो क्या? आप अध्यक्षजी के निर्णयों को भी चैलेंज कर रहे हैं क्या? अध्यक्षजी ने फैसला कर दिया भाई, कहां यह अब है...

श्री शिवनाथ सिंह : माफी नहीं मांग रहे हैं तो जो कार्यवाही हमारे यहां होनी चाहिए, उनको कार्यवाही करनी चाहिए । इस प्रकार से इस बात का, इस प्रकार के महौल का अन्त होना चाहिए... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय कर दिया हाउस में, मान नहीं रहे हो, अब आप इसको जबरदस्ती उलझा रहे हो।

श्री शिवनाथ सिंह : यही मेरा निवेदन है। इसलिए माननीय मुख्य सचेतक महोदय, जो माननीय सदस्य के खिलाफ सदन की गरिमा रखने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए उसका प्रस्ताव पेश करें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो भी आदेश होगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। हम स्वयं यह चाहते हैं कि सदन गरिमामय ढंग से चले। बार-बार इस बात का प्रयास करते हैं पर कुछ माननीय सदस्य कोई न कोई ऐसी बात उठा लेते हैं जिससे इस प्रकार का व्यवधान आता है। (व्यवधान) यह विषय की जो शुरूआत हुई, माननीय मंत्री महोदय ने बोलते-बोलते उन्होंने अपनी वापस बात कही उसके ऊपर आप कहती हैं बाहर निकल जाओ, बस इतने से उत्तेजित हो गये...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : ऐसा नहीं कहा। जो नहीं सुनना चाहते हैं बाहर चले जाएं...

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : यह बाद में कहा है। यह बात सदन को बिलकुल गुमराह करने वाली है, गलत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप प्रोसीडिंग्स निकलवा कर दिखा लीजिए...

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने केवल मात्र एक बात कही...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो भी है वह तथ्य है यहां, प्रोसीडिंग्स को दिखा लें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्रीजी जवाब दे रही थीं, इसके बाद भी आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा तब बीच में...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय मंत्री महोदय ने केवल मात्र एक बात कही थी कि जवाब सुनना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहा उन्होंने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नहीं तो क्या पूजा करते आपकी?...(व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के जवाब में मुख्य मंत्रीजी के...(व्यवधान) की बात कहां बीच में आई। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी बता रही हैं जवाब में क्या कहा उन्होंने।

श्री जनार्दन गहलोत : जब उन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया...

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं जवाब देने के लिए उनसे निवेदन कर रही थी कि आप सुनिए, उन्होंने कहा कि नहीं सुनेंगे। मैंने कहा आपने प्रश्न किया तो जवाब सुनना पड़ेगा, तो उन्होंने दोनों हाथों से कहा, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। मैंने कहा-नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप बाहर चले जाएं। नहीं सुनने के तो दो ही तरीके हैं...

एक माननीय सदस्य : नहीं, कोई क्या करता, पूजा करते क्या?...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप सुनिए। नहीं सुनने के तो दो ही तरीके हैं, या तो कान बन्द कर लें या सदन से चले जाएं। क्या यह कोई तरीका है आप मंत्रियों के सामने सवाल प्रस्तुत करते हैं और जवाब सुनना ही नहीं चाहते? आप बड़ी तारीफ चेप रहे हैं कि

(डा. (श्रीमती) कमला)

हमने यह किया, हमने यह किया। इतने वर्षों से लम्बित ये सारी परियोजना को हम मंजूर कराकर लाए हैं, हम लागू करने जा रहे हैं। आपके भारी-भरकम मुख्य मंत्रीजी, आपकी पूरी भारत सरकार और उनके मित्र पंजाब वाले इन सबके बावजूद आप क्या करा पाए? आप सुनना नहीं चाहते। यह कोई तरीका है गाली-गलौज करने का, बदतमीजी की बातें बोलने का और आप माफी भी नहीं मांगना चाहते इतनी बेहूदी बातें बोल कर... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो है सब प्रोसीडिंग्स में है देखिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। प्रोसीडिंग्स में... आप बैठिए।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : (व्यवधान) कैसे सुनेंगे?

श्री देवीसिंह भाटी : साहब, पूरे सदन ने सुना है। प्रोसीडिंग्स से आपने एक्सपंज कर दिया लेकिन यह सब पुनः बात जो कह रहे हैं हम अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा राजनीतिक रूप से बात कह कर, पूर्व में मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार से कुछ नहीं किया।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, कोई राजनीति नहीं थी और इन्होंने सीधा-सीधा चरित्र के ऊपर लांछन लगाया है। यह नारी जाति के ऊपर कलंक है। हम नहीं सुनेंगे यह बात।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन मुझे बैठाए उसमें आसन का दायित्व है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : नहीं, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री मदन दिलावर : इनके क्या फांसी लगाओगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह की अव्यवस्था की स्थिति में, जैन साहब बैठिए। बैठिए। बैठिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

इस तरह से अव्यवस्था की स्थिति में सदन का संचालन करना मुझे असम्भव दिखता है, फिर भी प्रति दिन इसी तरह की कार्यवाही चलती रही, तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होगा। इस पर आप विचार कर लीजिए और भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है, तो आप जो भी उचित समझे करें। लेकिन मैं यह चाहता हूं फिर उसके बाद में आपको प्रस्ताव लाना चाहिए सदन के अन्दर माननीय सदस्य सदन की गरिमा को जो भंग करते हैं।

प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनर प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठकें

604. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. (24)वित्त/जीएण्डटी/98 दिनांक 25.8.1999 एवं परिपत्र क्रमांक 3(2)प्र.सु./अनु.-1/94 दिनांक 2.6.1994 से निर्देश जारी किये गये थे? क्या उक्त निर्देशों की पूर्ण रूपेण पालना सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा की जा रही है? उक्त परिपत्रों की अनुपालना हेतु, किस विभाग पर "मोनीटरिंग" करने का उत्तरदायित्व है? वर्ष 2000-2001 में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों, सचिवों एवं मुख्य सचिव स्तर पर कब-कब समीक्षा की गई तथा किन विभागों द्वारा उक्त अवधि में समीक्षा ही नहीं की गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या वर्ष 2001 में सम्बन्धित सचिवों द्वारा अपने विभाग की समीक्षा कर क्रियान्विति रिपोर्ट वित्त सचिव को भिजवाई गई? क्या मुख्य सचिव द्वारा भी समीक्षा की गई और उनके द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किए गए, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुधार हुआ या नहीं, विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या राज्य स्तर पर, पेंशनरों के प्रतिनिधियों के साथ कोई समीक्षा की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब सरकार समीक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा पेंशन प्रकोष्ट स्थापित किए गए हैं। उक्त परिपत्रों की अनुपालना हेतु मोनीटरिंग करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष का है। वर्ष 2000-2001 में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.8.2000 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की भी समीक्षा की गई थी एवं प्रकरणों के समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2001 में सम्बन्धित सचिवों द्वारा अपने विभाग के सम्बन्ध में की गई समीक्षा की क्रियान्विति रिपोर्ट वित्त विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के द्वारा की गई समीक्षा के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

(2) जी नहीं। पेंशनरों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा करने की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर्स की चिकित्सा सहायता

605. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी):** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत नई सरकार के गठन के पश्चात् किस-किस प्रकार की रियायत देने का प्रावधान किया गया तथा राज्य के कितने पेंशनर्स को इसका लाभ मिला? उक्त योजना पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने एवं दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण साधारण बीमारियों के इलाज हेतु पेंशनर्स को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है?

(3) क्या यह सही है कि पेंशनरों को प्राप्त पेंशन डायरी में जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध है वह भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है? यदि हां, तो इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना में नई सरकार के गठन के पश्चात् निम्नलिखित रियायतें देने का प्रावधान किया गया :-

1. पेंशनर्स एक वित्तीय वर्ष में 3000/-रुपये तक की नि:शुल्क दवाइयां सामान्य रूप से मेडिकल डायरी पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात् 25000/- रुपये तक की दवाइयां जिला कलक्टर की अनुमति से प्राप्त की जा सकती हैं। इस राशि से अधिक की दवाइयां उप समिति की अनुमति से प्राप्त की जा सकती हैं।

2. 75 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले पेंशनेर्स नि:शुल्क दवाइयां डायरी पर प्राप्त कर सकते हैं व इन पेंशनरों को 3000 रुपये से अधिक राशि की दवाइयों के लिए जिला कलक्टर अथवा उप समिति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। पूर्व में यह सुविधा 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को ही उपलब्ध थी।

3. पेंशनर्स के बच्चे जो शारीरिक विकलांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं उनको परिवार के रूप में माना गया है व नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा दी गई है।

4. पेंशनर्स एलोपैथी एवं आयुर्वेदिक दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों से अपना नि:शुल्क इलाज करा सकते हैं।

5. पेंशनर्स को राजकीय अस्पताल में मोतियाबिन्द के आपरेशन हेतु अस्पताल द्वारा इन्ट्रा-ओ-क्यूलर लैंस उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में लैंस की कीमत के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है।

6. पेंशनर्स को चिकित्सक की सिफारिश पर श्रवण यंत्र के क्रय पर व्यय के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है।

(वित्त मंत्री)

7. पेंशनर्स को राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालयों में आपात स्थिति में बिना मेडिकल बोर्ड के गठन पर भी हृदय की बाई पास सर्जरी कराने पर 56000/- रुपये की वित्तीय सीमा तक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

8. अंतरंग रोगी के रूप में राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती होने पर पेंशनर्स द्वारा मेडिकल डायरी के माध्यम से बिना जिला कलक्टर अथवा उप समिति की अनुमति लिए 3000 रुपये से अधिक राशि की दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं।

9. राज्य के पेंशनर्स जो अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 100/- रुपये प्रतिमाह स्थायी चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु योजना में प्रावधान किया गया है।

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पेंशनर्स की संख्या निम्न प्रकार है :-

1998-99	81080
1999-2000	92076
2000-2001	105935

इन वर्षों में योजना पर निम्नानुसार राशि व्यय हुई :-

1998-1999	2085.70 लाख रुपये
1999-2000	2254.20 लाख रुपये
2000-2001	3067.31 लाख रुपये

(2) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले पेंशनर्स को उनके निवास स्थान से 10 किलोमीटर की परिधि में नि:शुल्क दवा की अधिकृत दुकान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 100/- रुपये प्रतिमाह स्थाई चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प है।

(3) जी नहीं।

जिला धौलपुर में जमीन जायदाद की बाजार दर का निर्धारण

606. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला स्तरीय जमीन जायदाद की बाजार दरें निर्धारित करने हेतु कमेटी बनी हुई है? यदि हां, तो इसे किस-किस किस्म की जायदाद की दरें निर्धारित करने का अधिकार है? उक्त दरें किस आधार पर निर्धारित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 22.12.2001 को जिला धौलपुर में कमेटी की बैठक हुई थी? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया और किस-किस क्षेत्र की जमीन की दरें बढ़ाई या घटाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि तहसील धौलपुर की निर्धारित दरें यथावत रखी जायें

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

तथा बाकि जिले की दरों को प्रस्ताव के अनुसार बढ़ाया जाये? यदि हां, तो धौलपुर की जमीन जायदाद की दरें क्यों बढ़ाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कमेटी में जन प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं? यदि हां, तो जन प्रतिनिधियों के सुझाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है?

(5) क्या यह सही है कि आवासीय दर 550/- से 750/- रु. प्रति वर्गगज है? यदि हां, तो 15000/- रु. से 18000/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका द्वारा आवासीय का दुगुना कामार्शियल है तो उक्त कीमतें क्यों वसूल की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त समिति को जिलों में सभी प्रयोजनार्थ उपयोग में आने वाली जमीन जायदाद के मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है। उक्त दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा बाजार दर तथा भूमि की पूर्व में पंजीकृत मूल्य के आधार पर दरों का निर्धारण करती है।

(2) जी हां। उक्त बैंठक में जिला धौलपुर के ग्राम झोर के अतिरिक्त प्राप्त प्रस्ताव यथावत स्वीकार किये गये। धौलपुर के लिए ग्राम झोर के सम्बन्ध में प्रचलित आवासीय दर को उचित माना जाकर उसकी दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। शेष स्थानों के लिए दर वृद्धि प्रस्ताव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

(3) जी नहीं। ग्राम झोर में प्रचलित सड़क से दूर की आवासीय दर के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिए प्राप्त दर वृद्धि के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाकर भूमि की दरों में वृद्धि की गई। वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(4) जी हां। जन प्रतिनिधियों सहित समिति के सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त ही उचित निर्णय लिया जाता है।

(5) जी हां। आवासीय दरें क्षेत्रानुसार 550/- से 750/-रु. निर्धारित हैं। तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि का मूल्यांकन 15000/- से 18000/- रु. प्रति वर्गगज की दर से किया जाता है।

(6) जी हां। किन्तु पंजीयन हेतु समिति द्वारा आवासीय/व्यावसायिक दरें भी निर्धारित की गई हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य कर्मचारी को आवास निर्माण/ मरम्मत ऋण स्वीकृति के मानदण्ड

607. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी को शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण/मरम्मत के लिए ऋण स्वीकृत किये जाने के क्या मानदण्ड हैं? वर्तमान में ब्याज दर वसूलने की प्रक्रिया सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय कार्मिक का पैतृक आवास ग्रामीण क्षेत्र में एवं सेवारत स्थान शहरी क्षेत्र में दोनों ही पृथक-पृथक जिलों में होने की दशा में उक्त प्रकार का ऋण कौनसे जिले से एवं किस आधार पर स्वीकृत होता है? प्रार्थी द्वारा पूर्ति योग्य आवश्यक प्रपत्रों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी को शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण/मरम्मत के लिए ऋण स्वीकृत किये जाने के समान मानदण्ड हैं। सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को 45 माह के मूल वेतन के बराबर अधिकतम 7.00 लाख रुपए तक पूर्ण सेवा अवधि में एक बार आवास निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा भवन मरम्मत हेतु सम्पूर्ण सेवा अवधि में तीन बार ऋण स्वीकृत किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

वर्तमान में आवास ऋण दो नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। राजस्थान भवन निर्माण अग्रिम नियम, 1970 तथा राजस्थान अनुदानित भवन अग्रिम नियम, 1993। नियम, 1970 में पहले मूल धन की वसूली पूर्ण होने के पश्चात् ब्याज की वसूली की जाती है, जबकि नियम, 1993 में मूल धन एवं ब्याज की वसूली एक साथ ''समान मासिक किस्तों'' (Equited Monthly Instalments) में की जाती है। दोनों ही नियमों के अन्तर्गत विभिन्न ऋण स्वीकृताधिकारियों द्वारा वरीयता पंजिका के अनुसार ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी जिस जिस जिले में भवन निर्माण करवाना चाहता है उस जिले के ऋण स्वीकृताधिकारी (जिला कलक्टर) को ऋण हेतु आवेदन करना होता है। वहां से ऋण की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् स्वीकृति राज्य कर्मचारी/अधिकारी के नियुक्ति जिले के जिला कलक्टर को एवं नियुक्ति कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित की जाती है। नियुक्ति कार्यालय द्वारा बिल बनाकर ऋण स्वीकृताधिकारी को भेजा जाता है तथा वही राशि का आहरण करता है तथा ऋण राशि का ड्राफ्ट नियुक्ति कार्यालय को, आवेदक को उपलब्ध करवाने हेतु भेजता है।

आवास निर्माण स्वीकृत करने हेतु पूर्ति योग्य प्रपत्रों में आवेदन पत्र के साथ अनुबन्ध पत्र, बन्धक पत्र, कर्मचारी के अस्थाई होने

(वित्त मंत्री)

की दशा में दो स्थाई कर्मचारियों का जमानती पत्र, भूमि व भवन के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र, अनुमानित लागत का वितरण तथा वेतन प्रमाण पत्र आदि संलग्न करवाये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

कनिष्ठ लिपिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सुविधाएं

608. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 1986 में सफल रहे कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की गई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा? याचिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त याचिका का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हो गया है? यदि हां, तो उक्त पर दिए गए निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को वर्ष 1986 से वरिष्ठता, समयबद्ध पदोन्नति व अन्य परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 1986 में सफल अभ्यर्थियों में से श्री राजाराम यादव एवं अन्य द्वारा एक अवमानना याचिका संख्या 165/99 माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी थी। याचिका की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट''क'')

(2) जी हां। उक्त याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 4.9.2001 को पारित किया जा चुका है। निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट ''ख'')

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका नियुक्तियों के सम्बन्ध में दायर की गई थी। कनिष्ठ लिपिक को वर्ष 1986 से वरिष्ठता, समयबद्ध पदोन्नति व अन्य परिलाभ देने सम्बन्धी नहीं की गई थी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग

609. डा. किरोड़ी लाल (बस्सी): क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने गठन से अब तक कौन-कौन से आयोग कब-कब बनाये और उक्त में किस-किस को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत किए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) उक्त आयोगों को क्या अधिकार दिए गये? अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक का सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयोगों ने क्या-क्या कार्य किए और क्या-क्या परिणाम सामने आये?

(4) क्या यह सही है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे? उक्त में से सरकार ने किस-किस को लागू कर दिया?

उत्तर

(1) विभिन्न विभागों द्वारा गठित किये गये आयोगों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पशुपालन विभाग

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3)विभाग की आज्ञा सं. प. 6(3) प्र.सु./अनु.-3/2001 दिनांक 16/17.1.2001 द्वारा राजस्थान गो-सेवा आयोग में श्री गुलजारी लाल सोनी, अध्यक्ष, श्री जिनेश जैन, एडवोकेट, उपाध्यक्ष एवं सर्वश्री के. संघवी, सिरोही, मेवाराम ओड, पाली, पवन कुमार जैन, जयपुर मेवाराम जैन, बाड़मेर, चन्द्रप्रकाश व्यास-जैसलमेर एवं श्री धीरेन्द्र भण्डारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं।

ऊर्जा विभाग

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.12.1999 द्वारा किया गया है। आयोग ने दिनांक 2.1.2000 से कार्य करना प्रारम्भ किया है। इसमें श्री अरुण कुमार, अध्यक्ष एवं सर्व श्री शांति प्रसाद एवं पी. के. दास सदस्य हैं।

समाज कल्याण विभाग

1. इस विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 43227 दिनांक 21.5.1999 के द्वारा किया गया है। इसमें माननीय न्यायमूर्ति आर.एस.वर्मा-अध्यक्ष, श्री बी.एल. शिशु सदस्य सचिव एवं श्री मालीराम वर्मा, श्री शंकरलाल, श्री सैय्यद दौलत अली सदस्यगण हैं।
2. इस विभाग द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10999 दिनांक 19.3.2001 द्वारा किया गया है। इसमें श्री हनुमान प्रसाद (विधायक), अध्यक्ष, श्री रामजी लाल खराड़िया-उपाध्यक्ष एवं श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय सदस्य हैं।

प्रशासनिक सुधार विभाग

इस विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन राज्य सरकार की आज्ञा सं. प. 2(1) प्र.सु./अनु.1/1999 दिनांक 11.5.1999 द्वारा किया गया है। इसमें

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

श्री शिवचरण माथुर (विधायक), अध्यक्ष, श्री ए.के. गर्ग (आई.ए.एस.) सदस्य सचिव, एवं सर्व श्री जी.एस. बाफना, एडवोकेट एवं भागीरथ शर्मा (सेवा निवृत आई.ए.एस.) सदस्यगण हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

इस विभाग द्वारा राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना सन् 1988 में की गई। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय न्यायाधिपति श्री एम.ए.ए. खान दिनांक 21.8.2000 से लगातार कार्यरत हैं तथा श्री रतन प्रकाश दिनांक 1.5.1999 से लगातार आयोग के सदस्य हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग

इस विभाग द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक एफ–9(293)/99/28473 दिनांक 15.1.1999 द्वारा किया गया है। इसमें श्रीमती कांता कथूरिया, अध्यक्षा एवं सुश्री सुनीता सत्यार्थी एवं श्रीमती नगेन्द्र बाला सदस्या के रूप में कार्यरत हैं।

मानवाधिकार आयोग ⎤
अल्पसंख्यक अयोग ⎦ सूचना अप्राप्त

(2)

1. गो–सेवा आयोग के अधिकार परिशिष्ट–1
2. राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अधिकार परिशिष्ट–2
3. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार परिशिष्ट–3
4. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकार परिशिष्ट–4
5. प्रशासनिक सुधार आयोग के अधिकार परिशिष्ट–5
6. राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार परिशिष्ट–6
7. राजस्थान राज्य महिला आयोग के अधिकार परिशिष्ट–7 पर संलग्न हैं।

(3)

1. गो–सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्य एवं उनके परिणाम परिशिष्ट–1
2. राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा किए गए कार्य एवं उनके परिणाम परिशिष्ट–2
3. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए कार्य एवं उनके परिणाम परिशिष्ट–3
4. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किए गए कार्य एवं परिणाम परिशिष्ट–4

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

5. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किए गए कार्य एवं परिणाम परिशिष्ट-5

6. राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण द्वारा किए गए कार्य एवं उनके परिणाम परिशिष्ट-6

7. राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किए गए कार्य एवं उनके परिणाम परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(4) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सुझाव परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला नागौर में विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही

610. श्री हरीशचन्द कुमावत (नांवां): क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या संसद सदस्यों एवं विधायकों से प्राप्त प्रकरणों पर तत्काल अभिस्वीकृति देने पर समुचित कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत करवाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते रहे हैं? यदि हां, तो क्या? उक्त निर्देशों की अनुपालना जिला कलक्टर कार्यालय नागौर में किस प्रकार की जा रही है?

(2) क्या जिला कलक्टर कार्यालय, नागौर में विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों के लिये ऐसी कोई पंजिकाएं अलग-अलग विधायकों के लिए कायम की हुई हैं जिससे उक्त पत्रों पर होने वाली कार्यवाही की मोनीटरिंग हो सके? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां, राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्देश हैं कि सांसदों, विधायकों के पत्रों पर की गई कार्यवाही से उन्हें सूचित किया जावे। जिला नागौर में संसद सदस्यों एवं विधायकों से प्राप्त प्रकरणों पर अभिस्वीकृति देने हेतु नियमानुसार समुचित कार्यवाही तत्काल की जाती है। पत्र प्राप्त होते ही पंजिकाओं में दर्ज कर सम्बन्धित विभिन्न शाखाओं को देकर उत्तर भिजवाया जाता है।

(2) जिला कलक्टर कार्यालय नागौर में प्रत्येक शाखा में उनके पंजिकाओं में दर्ज कर उन पर सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों को पृथक से आवश्यक समझते हुए तत्काल कार्यवाही की जाती है और उन्हें सूचना भेजी जाती है। इसे और सुदृढ़ करने हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर को लिखा जा रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के आरोपित कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांच

611. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के कौन-कौन अधिकारी हैं जिनको नियम 16/17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक निर्णीत नहीं हुए हैं तथा मामले लम्बित हैं? अधिकारियों के नाम, पद, आरोप पत्र जारी करने का दिनांक तथा वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जांच अधिकारियों को जांच सुपुर्द करते समय कोई समय सीमा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दी गई थी? यदि हां, तो निर्धारित समय सीमा में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के क्या कारण रहे हैं तथा जांच अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही अनावश्यक विलम्ब के कारण की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किस मामले में कौन जांच अधिकारी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न कारणों से लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों की सूची परिशिष्ट ''क'' ''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' संलग्न है।

(2) जी नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जांच में लगने वाला समय जांच विशेष की विशिष्टताओं यथा जांच में आरोपियों की संख्या/आरोप व गवाहों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर जांचों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये हुए हैं।

(3) परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला टोंक में दोषी वन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

612. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा टोंक में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 246/1997-98 में सहायक वन संरक्षक, तत्कालीन वन अधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरुद्ध दर्ज की गई थी? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति वन व कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) उक्त अधिकारी वर्तमान में कहां पदस्थापित हैं? क्या सरकार ने उक्त के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ की है? यदि हां, तो किन नियमों के अनुसार? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में श्री विष्णुचन्द शर्मा, सहायक वन संरक्षक, टोंक, श्री उमेश मिश्रा, श्रेत्रीय वन अधिकारी, उनियारा व श्री बाबू खां, फोरेस्ट गार्ड नाका भोजपुरा रेन्ज, उनियारा जिला टोंक के विरुद्ध अपराध संख्या 246/98 अन्तर्गत धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 व 420, 467, 468, 471(ए), 119 व 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान करवाया जाकर उक्त दोषियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने का ब्यूरो द्वारा निर्णय लिया गया है।

(2) जी नहीं। श्री विष्णु चन्द शर्मा, सहायक वन संरक्षक, तत्कालीन कार्यवाहक मण्डल वन अधिकारी, टोंक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्रादि कार्मिक (क–3) विभाग में ब्यूरो के पत्रांक 1157–59 दिनांक 25.7.2001 से प्राप्त हुए। इस प्रकरण में श्री विष्णुचन्द शर्मा के अभ्यावेदन पर ब्यूरो से टिप्पणी दिनांक 22.1.2002 को प्राप्त हो चुकी है परन्तु वन विभाग से अभी टिप्पणी प्राप्त होना शेष है। वन विभाग से टिप्पणी प्राप्त होने के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी से विचार–विमर्श कर यह प्रकरण अन्तिम निर्णयार्थ प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

सर्वश्री उमेश मिश्रा, क्षेत्रीय वन अधिकारी व बाबू खां, वन रक्षक राज्य सेवा से क्रमशः दिनांक 19.6.2000 एवं 16.5.2000 को अनिवार्य सेवानिवृत किया जा चुका है। अतः नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(3) उक्त अधिकारियों में से वर्तमान में श्री विष्णुचन्द शर्मा, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय उप वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), सवाईमाधोपुर में पदस्थापित है।

श्री उपेन्द्र मिश्रा, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा श्री बाबू खां, वन रक्षक को राजस्थान पेंशन सेवा नियम, 1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 19.6.2000 तथा 16.5.2000 को अनिवार्य सेवानिवृत किया जा चुका है। उक्त प्रकरण की जांच मण्डल वन अधिकारी, टोंक एवं वन संरक्षक, अजमेर द्वारा किए जाने पर श्री विष्णुचन्द्र शर्मा, तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, टोंक को दोषी नहीं पाया गया एवं दोषी पाये गए अन्य कर्मचारी श्री उपेन्द्र मिश्रा, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा श्री बाबू खां, वन रक्षक के विरुद्ध

(कार्मिक मंत्री)

मण्डल वन अधिकारी, टोंक द्वारा सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत दिनांक 3.9.1998 को आरोप पत्र जारी किए गए। दोषी पाये जाने पर मण्डल वन अधिकारी, टोंक के आदेश दिनांक 30.10.1999 से श्री उपेन्द्र मिश्रा, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा श्री बाबू खां, वन रक्षक से क्रमशः रुपये 26439/- एवं 17624.40 इनके वेतन से वसूली करने तथा दोनों लोक सेवकों की एक-एक वेतन वृद्धि असिंचित प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया गया।

ग्राम दौलतगढ़ (भीलवाड़ा) में लम्बित पाइप लाइन योजना

613. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में तहसील क्षेत्र आसीन्द के ग्राम दौलतगढ़ में कुम्हारों के मोहल्ले में विधायक कोष से 1 लाख रुपये पाइप लाइन बिछाने हेतु दिए गए थे? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक उक्त पाइप लाइन नहीं बिछाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त में दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील क्षेत्र आसीन्द के ग्राम दौलतगढ़ में कुम्हारों के मोहल्ले में विधायक कोष से 1.00 लाख रुपए पाइप लाइन बिछाने हेतु दिए गए थे। ग्राम दौलतगढ़ पहाड़ी पर बसा होने से प्रायः यहां जल वितरण समस्या बनी रहती है। अतः जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु माननीय सांसद महोदय के मद से भूतल जलाशय की स्वीकृति प्राप्त कर उसका निर्माण पूर्ण कराकर पाइप लाइन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो शीघ्र पूर्ण हो जावेगा।

(2) चूंकि पाइप लाइन बिछाने में देरी का कारण योजना पर जल संग्रहण क्षमता को सुनिश्चित करना था उसके लिए सांसद मद में स्वीकृत भूतल जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही कुम्हार मोहल्ले में पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः देरी से पाइप लाइन बिछाने में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू (जयपुर) में प्राचीन जल स्त्रोतों पर व्यय

614. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जिला जयपुर में पुराने जल स्त्रोतों के सुधार पर बड़ी राशि व्यय करने जा रही है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक?

(श्री कन्हैया लाल)

(2) उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति चाकसू एवं बस्सी के कौन-कौन से गांव/ढाणी/कस्बे के कौन-कौनसे पुराने पेयजल स्रोत पर कितनी-कितनी राशि सरकार खर्च करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पारम्परिक जल स्रोत पुनःरुद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित ग्रामीण जलप्रदाय योजना कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.) में प्रान्त के सभी 32 जिलों में कार्य प्रगति में है। इनका क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से करवाया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 में अकाल सहायता में करवाये गये कार्यों के अतिरिक्त ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. में करवाये जा रहे कार्यों की जयपुर जिले के सन्दर्भ में स्थिति निम्नप्रकार है:-

कुल स्वीकृत कार्य	1063
स्वीकृत कार्यों में से प्रारम्भ कार्य	607
प्रारम्भ कार्यों में से पूरे हुए कार्य	450
स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	291.50
अब तक हुआ खर्च (रु. लाखों में)	96.61

कार्यक्रम वर्तमान में प्रगति में है।

(2) उक्त योजना के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति चाकसू तथा बस्सी में स्वीकृत कार्य, गांव का नाम, स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लड़की बांध से रायपुर (भीलवाड़ा) को जलापूर्ति

615. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या रायपुर कस्बा जिला भीलवाड़ा की पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार प्रतिवर्ष लड़की बांध से अपने खर्चे से पानी लिफ्ट करके रायपुर कस्बे के पनगढ़िया तालाब में कुओं का जलस्तर बढ़ाने हेतु डालती है? यदि हां, तो गत दस वर्षों में कब-कब, कितना-कितना पानी नहर के माध्यम से तथा लिफ्ट करके डाला गया? उक्त पर सरकार ने कितनी राशि कब-कब व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस वर्ष में विभाग को लड़की बांध से रायपुर के पेयजल के लिए 22 एम.सी.एफ.टी. पानी लाना था? उक्त में से कितना पानी ला चुके हैं, कितना और लाना बाकी है? शेष पानी को पेयजल

(डा. रतन लाल जाट)

हेतु लाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं? उक्त पानी कब तक किस माध्यम से लाया जावेगा?

(3) क्या उक्त पेयजल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने सिंचाई विभाग से रिजर्व करवा रखा है?

(4) रायपुर कस्बे की पेयजल योजना का स्थाई समाधान हो इस बाबत सरकार ने क्या-क्या योजनाएं अभी तक बनाई हैं? उक्त योजनाओं को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। रायपुर कस्बे की पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए तालाब के कुओं का जलस्तर बढ़ाने हेतु लड़की बांध से जलदाय विभाग द्वारा प्रतिवर्ष पानी लिफ्ट करके रायपुर कस्बे के पनघटिया तालाब में नहीं डाला जाता है, बल्कि लाइव स्टोरेज में आरक्षित कराये गये पानी में से ग्रेविटी फ्लो द्वारा नहर के माध्यम से पनघटिया तालाब में पानी लाया जाता है। केवल वर्ष 1999-2000 में लड़की बांध में पानी सिल लेवल से मात्र 0.6' ऊपर होने के कारण पानी लिफ्ट करके लाया गया था तथा वर्ष 2000-2001 में लड़की बांध में पानी नहीं आने के कारण न तो नहर द्वारा ही लिया गया और न ही लिफ्ट किया गया।

गत 10 वर्षों में लड़की बांध से पनघटिया तालाब में नहर द्वारा व लिफ्ट करके जो पानी डाला गया और उस पर जो राशि व्यय की गई है उसका विवरण परिशिष्ट "अ" में दिया गया है।

(2) इस वर्ष लड़की बांध से विभाग को 10 एम.सी.एफ.टी. पानी लाने की आवश्यकता थी, जिसे विभाग द्वारा माह अगस्त, 2001 में आरक्षित कराने के पश्चात् ग्रेविटी फ्लो द्वारा नहर के माध्यम से स्थानीय पनघटिया तालाब, रायपुर में दिनांक 31.10.2001 से 4.11.2001 के मध्य लिया जा चुका है।

तत्पश्चात् माह नवम्बर, 2001 में मुख्य अभियन्ता (मु.) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा सिंचाई विभाग को 22 एम.सी.एफ.टी. पानी आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया। इस अनुरोध के पश्चात् विभाग को ज्ञात हुआ कि लड़की बांध में पानी का लेवल सिल लेवल पर पहुंच गया है जिसे नहर के जरिए लेना सम्भव नहीं था और जिससे लिफ्ट करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर डेड स्टोरेज से पानी को लिफ्ट करने की टेक्नोइकानोमिकल अध्ययन एवं स्वीकृति बाबत निर्णय के पश्चात् पानी लाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 10 एम.सी.एफ.टी. पानी माह अगस्त, 2001 में रिजर्व करवाया था जिसे

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

नहर के माध्यम से लिया जा चुका है। तत्पश्चात् माह नवम्बर, 2001 में 22 एम.सी.एफ.टी. पानी हेतु विभाग द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन तब तक बांध में पानी का जलस्तर सिल लेवल तक आ चुका था जिसे लिफ्ट करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं थी।

डेड स्टोरेज के इस पानी को आवश्यकता होने पर उपयोग में लिया जा सकता है।

(4) रायपुर ग्राम की पेयजल योजना का स्थायी समाधान हो इसके लिए वर्ष 1989 में रायपुर-बोराना के नाम ये 19.91 लाख रुपए की स्कीम स्वीकृत हुई थी जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य करवाये गए परन्तु जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से वांछित लाभ नहीं मिल सका। इसी प्रकार वर्ष 1992-93 में रामा-लड़की के नाम से 32.27 लाख रुपए की स्कीम स्वीकृत की गई परन्तु भूजल वैज्ञानिक के अनुसार वांछित आवक के भूगर्भिय जल स्रोतों की फिजिबिलिटी नहीं होने के कारण एवं पूर्व के परिणामों को देखते हुए जल स्रोतों का कार्य क्रियान्वयन नहीं हो सका और इसके पश्चात् लड़की बांध की सतही जल स्रोत मानकर रायपुर लड़की के नाम से स्कीम बनाई जाना प्रस्तावित है। जिसके विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् योजना स्वीकृति हेतु बनाई जा सकेगी।

इस प्रकार वर्ष 2000-2001 में रायपुर कस्बे के लिए ग्राम पंचायत द्वारा खोदे गये 2 कुओं को इस विभाग द्वारा अधिग्रहण कर चालू किया गया था जिससे पेयजल लाभ मिल रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मसूदा (अजमेर) में पेयजल आपूर्ति

616. **श्री कय्यूम खान** (मसूदा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् क्षेत्र अजमेर तथा विधान सभा क्षेत्र मसूदा में गत एक वर्ष के दौरान कितना पानी प्रतिदिन औसत सप्लाई किया गया कितने पानी के औसत बिल बने? उक्त दोनों में औसत अन्तर कितना रहा?

(2) उपभोक्ताओं में कितनी-कितनी राशि बकाया है? उक्त क्षेत्र में पानी सप्लाई व राजस्व वसूली के अन्तर को पाटने के लिए सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1)

(अ) नगर परिषद् क्षेत्र, अजमेर में वर्ष 2000-2001 में प्रतिदिन औसतन 675 लाख लीटर पानी वितरित किया गया। उक्त वितरित किये पेयजल में से औसतन 571 लाख लीटर पानी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रतिदिन के लिए बिल जारी किये गये। उपलब्ध कराये गये पानी एवं बिल जारी किए गए पानी की मात्रा में अजमेर शहर में 104 लाख लीटर प्रतिदिन औसतन का अन्तर रहा है जो कुल मात्रा का लगभग 15 प्रतिशत है।

(ब) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कुल 214 ग्राम हैं। जिनमें से 208 ग्राम आबाद एवं 6 ग्राम गैर आबाद हैं। ये ग्राम निम्नानुसार विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं :-

क्र. सं.	योजना का प्रकार	लाभान्वित ग्रामों की संख्या
1.	पाइप्ड जलयोजना	6
2.	पनघट जलयोजना	18
3.	हैण्डपम्प योजना	184
		(1639 हैण्डपम्प स्थापित)

राज्य सरकार की नीति के अनुसार पाइप्ड जल योजनाओं के अतिरिक्त अन्य पेयजल योजनाओं पर नि:शुल्क पेयजल वितरण किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र मसूदा में वर्ष 2000-2001 में पाइप्ड जल योजनाओं से प्रतिदिन औसतन 14.92 लाख लीटर पानी वितरित किया गया तथा उक्त वितरित किए गए पेयजल में से औसतन 13.29 लाख लीटर पानी के लिए बिल जारी किए गए। इस प्रकार पानी की दोनों मात्राओं में प्रतिदिन का औसत अन्तर 1.63 लाख लीटर रहा जो कुल मात्रा का लगभग 11 प्रतिशत है।

(2) वर्ष 2000-2001 की अवधि में अजमेर शहर के उपभोक्ताओं पर 15.89 लाख रुपये की तथा मसूदा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न पाइप्ड जल योजनाओं पर उक्त अवधि में 3.89 लाख रुपए की जल राजस्व की राशि उपभोक्ताओं पर बकाया है जिसकी राजस्व वसूली नहीं हो पाई है। उपलब्ध कराये गये पानी एवं बिल जारी किए गए पानी की मात्रा में अन्तर का मुख्य कारण सार्वजनिक नलों द्वारा नि:शुल्क पेयजल वितरण, पाइप लाइनों से होने वाले लीकेज एवं रिसाव, अवैध जल सम्बन्धों से पानी लेना इत्यादि सम्मिलित है। यह मात्रा सामान्य है। पानी की सप्लाई व राजस्व वसूली के अन्तर को कम करने के लिए पाइप लाइनों से होने वाले लीकेज एवं रिसाव पर नियन्त्रण, अवैध जल सम्बन्धों को काटने अथवा उनको नियमित करने इत्यादि के लिए विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

मेवी खुर्द (पाली) को पेयजल हेतु विद्युत कनेक्शन

617. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला पाली के मेवी खुर्द के सार्वजनिक पीचके पर विद्युत कनेक्शन के अभाव में जी.एल.आर. खाली पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री केसाराम चौधरी)

विद्युत कनेक्शन करवा कर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम मेवी खुर्द तहसील देसूरी जिला पाली (1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 772) की पंचायत द्वारा संधारित जनता जल योजना के कुएं का विद्युत कनेक्शन विच्छेद होने से कुआं संचालन नहीं होने से भूतल जलाशय खाली है। ग्राम पंचायत द्वारा सितम्बर, 2001 के बाद पुनःभरण हेतु विद्युत राशि के संदर्भ में मांग विभाग को नहीं दी गई है। सितम्बर, 2001 तक जारी विद्युत बिलों की पंचायत द्वारा मांग करने पर विभाग द्वारा पुनःभरण किया जा चुका है। विद्युत कनेक्शन दुबारा चालू करवाने की कार्यवाही पंचायत द्वारा की जानी है।

वर्तमान में गांव में 3 हैण्डपम्प भी कार्यरत हैं।

विधान सभा क्षेत्र भादरा (हनुमानगढ़) की लम्बित पेयजल योजना

618. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ की कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृति हेतु जयपुर मुख्यालय में विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल समस्या को मध्य नजर रखते हुए कौन-कौन सी पेयजल योजनाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र की उक्त पेयजल योजनाओं को कब तक स्वीकृत करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ हेतु जयपुर मुख्यालय से वर्ष 2001-2002 में निम्नानुसार योजना स्वीकृत हुई :-

1. राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल	5 योजनाएं	139.35 लाख रु. लागत
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)	2 योजनाएं	6.23 लाख रु. लागत

वर्तमान में 4 योजनाएं राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल में प्राप्त हो गई हैं तथा जांच प्रक्रिया में है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा की पेयजल समस्या को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान में 7 योजनाओं का प्रारूप प्रस्तावित किया गया है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र भादरा की प्रस्तावित की गई योजनाएं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में है। योजना उपयुक्त पाये जाने पर प्राथमिकता, उपलब्ध बजट एवं संसाधनों के आधार पर स्वीकृत की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

तहसील सिवाना एवं पचपदरा (बालोतरा) में इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट जल योजना द्वारा जलापूर्ति

619. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप खण्ड बालोतरा की तहसील सिवाना एवं पचपदरा के कुल कितने गांवों हेतु सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर से पीने के मीठे पानी की लिफ्ट जल योजना बनाई गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इन्दिरा गांधी नहर लिफ्ट जल योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी? उक्त गांवों को पीने का मीठा पानी उक्त योजना द्वारा कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर से आरम्भ हुई राजीव गांधी लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण की रुपये 135.05 करोड़ राशि की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। उक्त स्वीकृत परियोजना में राजीव गांधी लिफ्ट नहर की क्षमता बढ़ाने, पम्पिंग स्टेशन आदि का कार्य प्रस्तावित है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से विभिन्न ग्रामों हेतु जल वितरण सम्बन्धी कार्य इस स्वीकृति में सम्मिलित नहीं है। स्वीकृत परियोजना में जिला बाड़मेर के उप खण्ड बालोतरा की तहसील सिवाना के 49 ग्रामों एवं तहसील पचपदरा के 68 ग्रामों की पेयजल मांग सम्मिलित है। ग्रामों की सूची क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

राजीव गांधी नहर को स्रोत लेते हुए एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना उम्मेदसागर-कल्याणपुर, समदड़ी, खण्डप स्वीकृति बाबत सक्षम स्तर को भेजने के लिए तैयार की गई है। प्राथमिक आकलन के अनुसार योजना की अनुमानित लागत रु. 58 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत तहसील सिवाना के 49 ग्रामों एवं तहसील पचपदरा के 25 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। ग्रामों की सूची क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "स" पर संलग्न है।

(2) उक्त इन्दिरा गांधी नहर से आरम्भ हुई राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पर स्वीकृत लागत रुपये 135.05 करोड़ व्यय की जावेगी। बजट एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इस योजना के क्रियान्वयन एवं प्रश्न के भाग 1 में वर्णित रुपये 58 करोड़ की योजना की स्वीकृति बाबत निर्णय पश्चात् बजट एवं संसाधनों की उपलब्धि अनुसार क्रियान्वयन के बाद उक्त गांवों को इन्दिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीसलपुर बांध परियोजना की प्रस्तावित बायीं मुख्य नहर

620. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बीसलपुर बांध परियोजना की बायीं मुख्य नहर का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी लागत का? उक्त योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बायीं मुख्य नहर के निर्माण से कितना हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा एवं कितना पानी पीने के लिए उपलब्ध रहेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर का निर्माण करवाया जा रहा है जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 2745.02 लाख रुपये का प्रावधान बीसलपुर परियोजना की संशोधित रिपोर्ट में लिया गया है।

उक्त परियोजना 'बायीं मुख्य नहर' का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बायीं मुख्य नहर के निर्माण से 12407 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बायीं मुख्य नहर से पेयजल हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। बांयीं मुख्य नहर से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जनता जल योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्वीकृत कुएं

621. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में गत तीन वर्षों में कितने कुएं जनता जल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए? ग्राम व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में गत तीन वर्षों में जनता जलयोजना के अन्तर्गत कुल 38 कुएं स्वीकृत किए गए। स्वीकृत किए गए कुओं की ग्राम पंचायतवार/ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बांसवाड़ा की नवीन पाइप लाइन योजना

622. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा शहर में नई पाइप लाइन बिछाने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की लागत क्या है और इससे शहर के कौन-कौन से मोहल्ले लाभान्वित होंगे?

(2) क्या सरकार उक्त योजना को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। बांसवाड़ा शहर में नई पाइप लाइन बिछाने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत

623. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति क्षेत्र छबड़ा व छीपाबड़ौद में कितने हैण्ड पम्प खराब हैं तथा कितने हैण्ड पम्प सूख गए हैं? खराब हैण्ड पम्प सरकार द्वारा कब तक ठीक करवा दिये जावेंगे?

(2) क्या सूखे हैण्ड पम्पों के स्थान पर सरकार नये हैण्ड पम्प लगवाने या री-बोर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौदा में 28.3.2002 तक किए सर्वे एवं उसके बाद की हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान की 28.3.2002 तक की प्रगति निम्नप्रकार रही:–

क्र.सं.	विवरण	पंचायत समिति छबड़ा	पंचायत समिति छीपाबड़ौद
1.	कुल स्थापित हैण्ड पम्प	657	691
2.	28.3.2002 की स्थिति		
	(अ) चालू	420	542
	(ब) मरम्मत योग्य खराब	150	134
	(स) सूखे	53	8
	(द) नकारा	34	7
3.	मरम्मत योग्य खराब में से 28.3.2002 तक दुरुस्त किए	70	60
4.	शेष मरम्मत योग्य हैण्ड पम्प 30.4.2002 तक ठीक करवाना लक्षित	80	74

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) सूखे हैण्ड पम्प के स्थान पर नए हैण्ड पम्प लगाने की प्रक्रिया विभागीय मानदण्ड के अनुसार री–बोरिंग की सम्भावना का अध्ययन कर प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार की जानी प्रस्तावित है।

जिला जयपुर के ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

624. श्री नाथूराम ककरालिया (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कौन–कौन से गांवों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा उपलब्ध है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यो?

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कौन–कौन से गांवों में कौन–कौन सी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई है और भविष्य में प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें? उक्त क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं में से किस–किस गांव में कार्यपूर्ण हो गया है तथा कितना शेष है तथा शेष रहने के क्या कारण हैं और शेष रहे कार्यों को अब कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रामपुरा, पंचायत डूंगरी खुर्द में गर्मी के मौसम को मध्यनजर रखते हुये क्या सरकार कोई पेयजल योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या गांवों में राजीव गांधी मिशन पेयजल योजना व सहभागिता योजना के अन्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो उक्त योजनाओं के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(6) ग्राम रामपुरा, पंचायत डूंगरी खुर्द, तहसील फुलेरा में कितने हैण्ड पम्प कब से खराब है? क्या अब तक उक्त को ठीक नहीं कराया गया है? यदि हां, तो खराब हैण्ड पम्पों को अब कब तक ठीक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) ग्राम रायथल, तहसील आमेर में कितने हैण्ड पम्प कब से खराब हैं, उक्त खराब हैण्ड पम्पों को अब कब तक ठीक करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कुल 146 आबाद ग्रामों में से वर्ष 2001 में किए गए पेयजल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार 43 ग्रामों के स्थानीय जल में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

फ्लोराइड की मात्रा 3 पी.पी.एम. से अधिक है। इन 43 ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के वर्णित गांवों में से 14 गांवों को क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल सुलभ करवा दिया गया है। बीसलपुर बांध से इन सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु योजना स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में है। योजना सही पाए जाने पर प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव हो पावेगा। जयपुर जिला सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित है तथा सम्बन्धित प्रावधान भी लागू होंगे।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में 37 ग्रामीण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसका विवरण सूची प्रपत्र-"ब" के अनुसार संलग्न है। इसके अनुसार 23 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं एवं इसी ग्रीष्मकाल में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(4) ग्राम रामपुरा पंचायत डूंगरी खुर्द में पेयजल सुविधा हेतु सैक्टर रिफोर्म के अन्तर्गत जन सहभागिता के आधार पर उक्त ग्राम की योजना स्वीकृत की जा सकती है। वर्तमान में 5 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(5) जी हां। जयपुर जिले का चयन सैक्टर रिफोर्म के अन्तर्गत होने के कारण उक्त नये कार्य जन सहभागिता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। निर्धारित मानदण्डों की प्रति संलग्न है।

(6) ग्राम रामपुरा पंचायत डूंगरीखुर्द वर्तमान में हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 796 है तथा ग्राम में 5 स्वच्छ पेयजल योग्य हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, जो वर्तमान में चालू स्थिति में है। उपरोक्त के अतिरिक्त 5 स्थापित हैण्ड पम्पों में से 4 सूखे व 1 नाकारा है। वर्तमान में ऐसा कोई हैण्ड पम्प खराब नहीं है जो मरम्मत योग्य हो।

(7) ग्राम रायथल में कुल 23 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। जिसमें से वर्तमान में 19 चालू व 4 सूखे हैं। 28 वे हैण्ड पम्प अभियान के दौरान जो दिनांक 1.3.2002 से शुरू हुआ मरम्मत योग्य 3 हैण्ड पम्प खराब मिल थे जिन्हें ठीक कर चालू कर दिया गया है। ग्राम में मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त हैण्ड पम्प कार्यरत हैं तथा ग्राम में पी एण्ड टी योजना चालू है जिसका संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तिजारा (अलवर) में अवैध भू-रूपान्तरण

625. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी दयाल साकिन खोहरी ने ग्राम चौपाल की 59716 वर्गमीटर भूमि का कनवर्जन दिनांक 30.11.1998 को एस.डी.ओ., तिजारा से एक ही दिन में कराया? क्या यह भी सही है कि एस.डी.ओ. केवल 1 हैक्टेयर भूमि का रूपान्तरण ही कर सकता है जबकि उक्त प्रकरण में 59716 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण कर दिया गया?

(2) क्या उक्त भू-रूपान्तरण गैर-कानूनी है? यदि हां, तो उक्त भूमि के भू-रूपान्तरण बाबत सरकार ने क्या फैसला किया? क्या सरकार उक्त भूमि रूपान्तरण को निरस्त कराने का विचार रखती है?

(3) क्या उक्त भूमि का बेचान हो गया है? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि आबादी की नहीं मानी जाकर राजस्व भूमि मानी जावेगी? यदि हां, तो क्या हरिजन की भूमि को सवर्ण खरीद सकता है और नहीं, तो क्या भूमि राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 42 के अन्तर्गत बेचानकर्ता की ही मानी जावेगी? बैनामें की समस्त दस्तावेजात मय भू-रूपान्तरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने श्री सत्यनारायण पुत्र देवीदयाल चमार साकिन खोहरी की भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम, 1992 के तहत ग्राम चौपान की तहसील तिजारा में 59,716 वर्गमीटर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया। यह रूपान्तरण एक ही दिन में क्रिया गया है। यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी तिजारा को एक हैक्टेयर तक का ही भूमि रूपान्तरण का अधिकार है।

(2) जी हां। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा किया गया उक्त भूमि रूपान्तरण गैर कानूनी पाये जाने पर जिला कलक्टर, अलवर के आदेश क्रमांक 6356 दिनांक 9.11.1999 द्वारा भूमि रूपान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। पूर्व में एस.डी.ओ. द्वारा रूपान्तरित भूमि का बेचान हो चुका है जिसे श्री रूपकुमार बंसल, डायरेक्टर मिस्टी मिडोज प्रा.लि. को दिया गया है। यह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की गई थी। औद्योगिक भूमि को स्वर्ण जाति का खरीद सकता है। इसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। उक्त भूमि के रूपान्तरण आदेश को जिला कलक्टर, अलवर द्वारा

(राजस्व मंत्री)

निरस्त किया जा चुका है जिस कारण यह श्री सत्यनारायण पुत्र देवीदयाल के नाम ही वर्तमान में दर्ज है। बयनामा एवं नामान्तरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

626. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में बिखरी आबादी को देखते हुए मजरे व ढाणियों को नये रेवेन्यू गांव घोषित करने की सरकार ने घोषणा की थी?

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में गत ग्राम सभाओं में ढाणी/मजरों को राजस्व गांव घोषित करने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव कुशलगढ़ क्षेत्र में भी प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव हेतु? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बिखरी आबादी के बड़े गांवों को अलग राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला बांसवाड़ा में गत ग्राम सभाओं में ढाणी/मजरी की राजस्व गांव घोषित करने के 22 प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्राप्त हुए हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्राम सभा के माध्यम से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु कुल 6 प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्राप्त हुए हैं, जो निम्नप्रकार हैं:

क्र. सं.	मूल राजस्व गांव	प्रस्तावित राजस्व ग्राम
1.	कलिजंरा	मुवाल
2.	बगायचा	हथिया दिल्ली
3.	वसुनी	रसोड़ी
4.	राठ धनराज	डूंगरीपाड़ा
5.	डूंगरीपाड़ा	नयापुरा
6.	धरतारा	बईडाफला

(4) जी हां। जिला कलक्टर एवं राजस्व मण्डल, अजमेर के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व गांव घोषित किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्रामदानी एक्ट की धारा में संशोधन

627. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह भी सही है कि राज्य में ग्रामदान एक्ट अलग से बना हुआ है? राज्य में कितने ग्रामदानी गांव हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम-दान एक्ट ग्राम स्वालम्बन हेतु स्व-संचालित इकांई है जिसको वर्तमान में पंचायती राज में जोड़ दिया है?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामदान एक्ट की धारा 43 को विलोपित किया है जिससे गांवों का विकास नहीं हो रहा है?

(4) क्या सरकार ग्रामदानी एक्ट की धारा 43 को बहाल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में राजस्थान ग्रामदान अधिनियम 1971 प्रभावी है। राज्य में 203 ग्रामदानी गांव है, जिनका जिलेवार विवरण निम्नप्रकार है :

क्र. सं.	नाम जिला	ग्रामदानी गांवों की संख्या
1.	चित्तौड़गढ़	7
2.	जयपुर	20
3.	टोंक	2
4.	डूंगरपुर	41
5.	नागौर	10
6.	बांसवाड़ा	39
7.	भीलवाड़ा	2
8.	सीकर	36
9.	सिरोही	20
10.	उदयपुर	4
11.	जैसलमेर	15
12.	बारां	2
13.	जयपुर	2
14.	टोंक	2
15.	जैसलमेर	1
	कुल	**203**

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि ग्रामदान एक्ट को वर्तमान में पंचायती राज में जोड़ दिया है

(3) राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 1994 की धारा 124(2) के अन्तर्गत ग्रामदान अधिनियम 1971 की धारा 43 को विलोपित कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप ग्रामदानी गांवों का विकास अब ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ग्रामदान गांवों में पंचायत के कृत्यों को ही सम्बन्धित पंचायत को हस्तान्तरित किया गया है।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.रिट पिटिशन सं. 540/95 के द्वारा राज. ग्रामदानी अधिनियम की धारा 43 के विलोपन को वैध करार

(राजस्व मंत्री)

दिया है। अत: उसको पुन: बहाल किया जाना सम्भव नहीं है।

ग्रामदानी गांवों को ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर लिया है तथा वहां त्रि-स्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें गठित कर दी गई हैं। यह गठन भी 73 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 243(ख) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अंगीकृत करने हेतु किया गया है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था का आगे विखण्डन सम्भव नहीं है।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची(11वीं) जोड़ी है, जिसकी अनुपालना में अनुसूची के विषय ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये हैं। अत: ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा ग्रामदानी ग्राम सभाओं को पंचायत से अलग कोई स्वतंत्र इकाई नहीं माना जा सकता है।

जिला जैसलमेर व बाड़मेर से प्राप्त गोचर भूमि के प्रस्ताव

628. श्री अमीन खान (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रशासन गांव के संग प्रोग्राम में जिला बाड़मेर व जैसलमेर में गोचर भूमि बनाने के प्रस्ताव आए हैं? यदि हां, तो उक्त में से कितने स्वीकृत किए गए? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रशासन गांव के संग प्रोग्राम में जिला बाड़मेर व जैसलमेर में गोचर भूमि बनाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं उनके निस्तारण का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील	प्राप्त मामले	निस्तारण
जिला बाड़मेर		
गुढ़ामलानी	–	–
चौहटन	–	–
सिवाना	4	–
रामसर	7	5 (आरक्षित)
पचपदरा	6	–
शिव	21	–
बायतू	–	–
बाड़मेर	4	1 (आरक्षित)
जिला जैसलमेर		
जैसलमेर	7	–
पोकरण	–	–
फतेहगढ़	2	2

विधायकों के पास कार्यरत कार्मिकों को यात्रा एवं चिकित्सा बिलों का भुगतान

629. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधायकों के पास नियुक्त कार्मिक के यात्रा एवं चिकित्सा बिलों का भुगतान उस अन्तिम पदस्थापन स्थल से किए जाने का प्रावधान है जहां वह विधायक के पास पदस्थापन से पूर्व कार्यरत था? क्या विधायकों के पास नियुक्ति कार्मिक को यात्रा तथा चिकित्सा बिलों का समय पर भुगतान हो इस हेतु सरकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार विधायकों के पास नियुक्त कार्मिक के यात्रा एवं चिकित्सा बिलों की राशि सम्बन्धित मद से आहरित कर राजस्थान विधान सभा सचिवालय को ही दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(25)राज-1/2000 दिनांक 28.6.2001 के अनुसार यात्रा व दैनिक भत्तों का भुगतान माननीय विधायक द्वारा सत्यापन करने पर किया जायेगा तथा इसके साथ-साथ कर्मचारी के प्रतिमाह के अवकाश व उपस्थिति का सत्यापन माननीय सम्बन्धित विधायक द्वारा किया जाकर आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रतिमाह भिजवाया जायेगा ताकि माननीय विधायक के पास कार्य करने वाले कार्मिक का वेतन आहरित करना सुनिश्चित हो सके।

चिकित्सा बिलों का भुगतान चिकित्सा नियमों के अनुसार कर्मचारी के उक्तानुसार पदस्थापन विभाग को चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान करने की चिकित्सा नियमों में व्यवस्था की हुई है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जिला नागौर में भू-नियमन

630. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा की पंचायत समिति मेड़ता, मूण्डवा व नागौर में प्रशासन गांव के संग अन्तर्गत कितने मामले आबंटन के आये, कितने मामलों का नियम किया व कितनों का नियमन नहीं किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा की पंचायत समिति मेड़ता, मूण्डवा व नागौर में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान भूमि नियमन एवं आबंटन के प्राप्त आवेदन तथा निस्तारण का विवरण निम्नलिखित है :-

(राजस्व मंत्री)

प. समिति	प्राप्त प्रा.प.	नियमन किया	नियमन की सिफारिश	खारिज	जांच में विचाराधीन
मूण्डवा	315	1	20	294	—
नागौर	279	—	—	145	134
मेड़ता	93	1	—	45	47
योग	**687**	**2**	**20**	**484**	**181**

भूतपूर्व जागीरदार ग्राम राजावास, तहसील सिकराय को भूमि का कब्जा

631. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राजावास, तहसील सिकराय के भूतपूर्व जागीरदार को, आबंटित खुदकाश्त भूमि में से शेष भूमि का कब्जा दिये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रार्थना पत्र पर कब तक निर्णय लिया जाकर भूमि आबंटित कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भूमि आबंटन में सीलिंग एक्ट लागू होता है? यदि हां, तो किस आधार पर? उक्त प्रकरण में सीलिंग के अन्तर्गत की गयी सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट की प्रति नियमों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भूतपूर्व जागीरदार श्री किस्तूर चन्द की ग्राम राधोपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर की खसरा नम्बर 248 में 139 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 26.11.1956 की आबंटित की गई थी। परन्तु सन् 1956 से 1960 तक आबंटी द्वारा कब्जा नहीं लेने के कारण राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो सका। आबंटी को उसे आबंटित भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा का नामान्तरण संख्या-58 दिनांक 5.4.1961 को स्वीकृत किया तथा आबंटी को खातेदारी एवं कब्जा दे दिया गया। भूतपूर्व जागीरदार ने वर्ष 1963 में आवेदन पेश किया जिसमें 41 बीघा भूमि और आबंटन करने की प्रार्थना की। किन्तु भूतपूर्व जागीरदार द्वारा अन्य कोई भूमि आबंटन हेतु चिन्हित नहीं की गई जिससे भूमि आबंटन नहीं की जा सकी। उक्त जागीरदार ने उन्हें आबंटित खातेदारी की भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा को विक्रय कर दिया एवं सीलिंग अधिनियम

(राजस्व मंत्री)

लागू होने से प्रार्थी की शेष 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता।

(2) बिन्दु संख्या-1 में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार श्री किस्तूर चन्द, भू.पू. जागीरदार को कोई भूमि आबंटित नहीं की जा सकती।

(3) जी हां। राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अन्तर्गत सीमा 54 एकड़ अर्थात 86 बीघा 8 बिस्वा है। अतः इस सीमा से अधिक भूमि आबंटित नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर से प्राप्त पत्र दि. 4.4.2002 की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है तथा सीलिंग अधिनियम, 1973 की धारा 4 की प्रति परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में की रखी गयी)

प्रश्न संख्या-632

(स्थगित)

ग्राम मानसर खेड़ी (जयपुर) में आवासीय आबंटित भूमि का कब्जा

633. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत मानसर खेड़ी, तहसील बस्सी जिला जयपुर द्वारा दिनांक 22.5.1987 को 150 वर्गगज का आवासीय पट्टा किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम जारी किया था? यदि हां, तो किस को? जारी पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पट्टा किस ग्राम के खसरा नं. में जारी किया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आबंटी द्वारा ग्राम बैनाड़ा में वर्ष 1989 में लगे राजस्व शिविर में भी शिविर प्रभारी को भूमि का भौतिक रूप से कब्जा दिलाने हेतु आवेदन किया था? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई तथा प्रार्थी को अब तक उक्त कब्जा नहीं दिलाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार अब उक्त अनुसूचित जाति के प्रार्थी को उक्त भूमि का कब्जा भौतिक रूप से दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त पट्टा श्रीमती दीपा देवी पुत्री श्री छोटूराम कोली निवासी खोखावाला को जारी किया गया था। जारी पट्टे की फोटो प्रति संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उक्त पट्टा ग्राम खोखावाला की आबादी भूमि में जारी किया गया है। पट्टे में खसरा नम्बर अंकित नहीं है।

(3) तहसीलदार बस्सी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989 में ग्राम पंचायत बैनाड़ा में लगाये गये राजस्व शिविर में कब्जा दिलाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) उक्त भूमि पर श्रीमती दीपा देवी अपनी पट्टे की भूमि पर काबिज है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील मोहनगढ़ में भूमिहीन किसानों को भू-आबंटन

634. श्री रूपाराम (डीडवाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि दिनांक 24.10.1984 पत्रांक-43(14) राज. 34/82 के तहत जिला चूरू, नागौर व जोधपुर के भूमिहीन किसानों के लिए तहसील मोहनगढ़ में आरक्षित 5320 हैक्टेयर भूमि काणोद माइनर में से अन्य ज़िलों के किसानों को आबंटित की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।

ग्राम हुलमाना खुर्द (अलवर) की सीमाज्ञान प्रकरण

635. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को अगस्त, 1999 में खसरा नं. 171, 186 व 180 वाके ग्राम हुलमाना खुर्द, तहसील मूण्डावर (अलवर) के सीमाज्ञान प्रकरण में कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी के कर्मचारियों द्वारा बदनीयति से रिपोर्ट को ही बदल देने की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उसके संलग्न सहित प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की आयुक्त द्वारा जांच करवाने पर शिकायत सही पायी गई? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों? कारणों सहित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में सही सीमाज्ञान नहीं कराने के कारण काश्तकार को जमा कर करायी गई सीमाज्ञान शुल्क को लौटा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक उक्त शुल्क काश्तकार को लौटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीमाज्ञान प्रकरण से सम्बन्धित शिकायत प्रार्थना पत्र एवं उसमें संलग्न प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति संलग्न है।

(2) प्रकरण में भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर द्वारा की गई जांच व की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरण की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.7.1999 से निरीक्षक एवं भू-मापक द्वारा नक्शा लट्ठा जो राजस्व एजेंसी के गिरदावर, पटवारी द्वारा उपलब्ध करवाया गया से मौके पर मुस्तकिल निशान मुताबिक मौका नक्शा सही कायम नहीं हो सकना दर्शाते हुए भोमिया ट्रेस या असल शीट जब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती पैमाइश किया जाना सम्भव नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार मुण्डावर को पत्रांक 16665 दिनांक 11.12.2000 से उक्त सीमाज्ञान कार्य अपने स्तर से सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये। सीमाज्ञान कराया जा रहा है। अत: राशि लौटाने का कोई औचित्य नहीं है।

(प्रति एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृष्णगंज व वाडेली (सिरोही) के खातेदारों को अधिकार

636. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज व वाडेली (सिरोही) में किन-किन व्यक्तियों के पास कितनी-कितनी कृषि भूमि है? सूची रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त को भूमि कब-कब आबंटित की गई? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इन्हें खातेदारों के अधिकार कब-कब प्रदान किए गए इसके लिए क्या प्रक्रिया अमल में लाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में कितने ऐसे लोग है जो काबिज काश्त हैं एवं जिनके पक्ष में नामान्तरण निष्पादित नहीं किया है?

(5) उक्त में से कितने लोगों ने कब-कब किन-किन को अपनी कितनी-कितनी भूमि का बेचान किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त प्रकरणों में नामान्तरकरण की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज व वाडेली (सिरोही) में क्रमश: 816 एवं 312 व्यक्तियों के पास कृषि भूमि है। सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज में उक्त 816 व्यक्तियों में से 73 को तथा ग्रामदानी गांव वाडेली के 312 व्यक्तियों में से 162

(राजस्व मंत्री)

को अलग-अलग प्रस्तावों द्वारा भूमि अध्यक्ष ग्राम सभा द्वारा आबंटन की गई। ग्रामदानी गांवों में भूमि आबंटन प्रस्ताव लेकर आबंटन की गई है। आबंटन की सूची परिशिष्ट-2 एवं प्रस्तावों की नकल परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(3) बिन्दु सं. 2 में उल्लिखित आबंटियों में से ग्रामदानी गांव कृष्णगंज के 17 व्यक्तियों को एवं ग्रामदानी गांव वाडेली में 54 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिए गए हैं। विवरण परिशिष्ट-3 में संलग्न है। ग्राम सभा कृष्णगंज द्वारा आबंटी की 10 वर्ष पूर्ण होने पर लगान वसूली एवं गत तीन वर्ष तक काश्त होने पर 50 गुना लगान लेकर खातेदारी अधिकार दिए गए है। ग्रामदानी गांव वाडेली में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार निवासी काश्तकार से 51, अनिवासी काश्तकार से 101 रुपए बतौर खोतदारी शुल्क वसूल किया गया है।

(4) उक्त दोनों ग्रामदानी गांवों (कृष्णगंज व वाडेली) में ऐसे कोई भी लोग काबिज नहीं है जो काबिज काश्त है एवं जिनके नाम नामान्तरण निष्पादित नहीं किया गया है।

(5) ग्रामदानी गांव कृष्णगंज व वाडेली में क्रमशः 86 एवं 104 व्यक्तियों ने उनकी सम्पूर्ण अथवा आंशिक भूमि का बेचान किया है। सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(6) बिन्दु संख्या 5 में अंकित प्रकरणों में बेचान के दिन ही नामान्तरकरण की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई थी। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र भादरा की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

637. श्री संजीव कुमार (भादरा) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भादरा में सरकारी विद्यालय, चिकित्सालय, पटवार घर, औषधालय, पंचायत घर के भवन की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर और किन-किन ने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में सार्वजनिक चौक चक 4 एम.एस.आर. में सन्त लाल पुत्र तोताराम द्वारा 1982 से अतिक्रमण कर रखा है। इस पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। भिरानी चिकित्सालय की भूमि ख.नं. 582 रेकार्ड में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं चरागाह के नाम आरक्षित

(राजस्व मंत्री)

है। उसमें 29×22 फुट में चिकित्सालय भवन जर्जर अवस्था में है। रेकार्ड में चिकित्सालय के नाम भूमि नहीं है।

हरिजन चौपाल मलसीसर से कब्जा हटा दिया गया है।

(2) चक 4 एम.एस.आर. के अतिक्रमण पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण अतिक्रमण हटवाये जाने में विधिक रूप से बाधा है। भिरानी चिकित्सालय वन भूमि पर बना हुआ है। हरिजन चौपाल मलसीसर की भूमि से अतिक्रमी को नियमानुसार हटवाया जा चुका है।

रावतसर (हनुमानगढ़) के व्यक्तियों पर इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि आबंटन की बकाया राशि

638. श्री आदराम मेघवाल (टीब्बी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला हनुमानगढ़ तहसील रावतसर क्षेत्र के कितने-कितने व्यक्तियों पर इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र विशेष भूमि आबंटन की कितनी-कितनी राशि मूल एवं ब्याज की बकाया है?

(2) क्या सरकार उक्त बकाया किसानों की राशि मूल से दुगनी लेने का निर्णय करने का विचार रखती है? क्या आठ किश्तों में राज्य सरकार ने जैसलमेर क्षेत्र के किसानों से राशि लेने का निर्णय किया है?

(3) क्या विशेष आबंटन में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि अनकमाण्ड मिल जाती है तो उसे आबादी हेतु दूसरी जमीन दूसरी जगह देने का सरकार विचार रखती है?

(4) क्या सरकार सामान्य आबंटन के किसानों द्वारा 31 मार्च तक देय किस्त की राशि जमा करा देने पर उन्हें उक्त अवधि का ब्याज माफ करने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार तहसील रावतसर के ग्राम न्योलखी, रामपुरा किकरालिया की जोहड़ पाइतान/गोचर भूमि को भूमिहीन किसानों को आबंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ तहसील रावतसर क्षेत्र के इ.गा.न.परि. क्षेत्र में कुल 11 व्यक्तियों से विशेष आबंटन के पेटे मूल राशि 523769/- रुपये एवं ब्याज की राशि 808433/- रुपये बकाया है।

(2) जी नहीं। जैसलमेर क्षेत्र सहित इ.गा.न.प. क्षेत्र के द्वितीय चरण क्षेत्र में दिनांक 1.1.1997 के बाद के विशेष आबंटन में देय भूमि की कीमत की किस्तों की संख्या 1 + 8 निर्धारित की है जो वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। विशेष आबंटियों को आबंटित कमाण्ड भूमि 50 प्रतिशत तक सी.ए.डी.सर्वे से अनकमाण्ड घोषित होने पर उन्हें तबादले में अन्य कृषि भूमि दिये जाने पर विचार किया जाता है।

(4) जी हां। इ.गा.न.प. क्षेत्र के द्वितीय चरण क्षेत्र के सामान्य आबंटियों द्वारा शेष देय किस्ते दिनांक 31.3.2002 तक जमा करा दी है तो उनका दिनांक 31.3.2002 तक का ब्याज माफ करने के आदेश जारी किये हुये हैं।

(5) प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-639
(स्थगित)

जिला नागौर में कृषि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

640. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कृषि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि पर किन-किन किसानों ने किस-किस खसरा नम्बर पर कितने-कितने रकबों पर कब्जा काश्त पूर्व से तथा वर्तमान में है? सूची सदन की मेज पर खसरा नं. सहित रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे अतिक्रमी किसानों को उक्त भूमि का नियमन नियमानुसार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किसानों को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि पर किसानों की कब्जा काश्त विवरण तहसीलवार निम्नानुसार है :-

तहसील क्षेत्र	कब्जा काश्त किसानों की संख्या
नागौर	32
जायल	691
खींवसर	56
डीडवाना	35
लाडनूं	26
नावां	114
परबतसर	20
मकराना	7
डेगाना	206
मेड़ता	77
योग	1264

कब्जा काश्त किसानों के नाम, खसरा नम्बर मय रकबे की तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक प.7(10)राज./6/2002 दिनांक 8.4.2002 से जिला कलक्टर को दिनांक 1.6.2002 से 30.6.2002 की अवधि

(राजस्व मंत्री)

में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन एवं नियमन के सम्बन्ध में समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। मरुस्थलीय जिलों में 15 बीघा से अधिक भूमि के नियमन कर प्रावधान कीमत लेकर किये जाने का परिपत्र प.6 (6)राज./6/97/7 दिनांक 27.8.2001 से किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम नांगल कलां, (जयपुर) में आम रास्ते पर अतिक्रमण

641. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नागल कलां तहसील चौमूं जिला जयपुर में आबादी भूमि के खसरा नम्बर 764 आम रास्ते की भूमि को कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवरुद्ध करने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र जिला कलक्टर, जयपुर का पूर्व में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रार्थना-पत्र पर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आबादी भूमि के आम रास्ते की भूमि खसरा नं. 764 का प्रकरण तहसीलदार, चौमूं के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी द्वारा रास्ता खुलवाने बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटवा कर रास्ते को चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) अब सरकार कब तक उक्त रास्ते को चालू करवा देगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम नांगल कलां के निवासी रामचन्द्र/श्री नारायण लाल जाति जाट निवासी नांगल कलां द्वारा दिनांक 25.4.2001 को एक प्रार्थना पत्र जिसमें आबादी भूमि के ख.न. 764 के आम रास्ते को खुलवाने के लिये जिला कार्यालय जयपुर में पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) उक्त प्रार्थना पत्र पर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का कार्यवाही विवरण एवं जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) जी हां। तहसीलदार चौमूं द्वारा रास्ता खुलवाने बाबत अब तक की गई कार्यवाही परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(4) प्रार्थी के द्वारा स्वयं ही अपने रास्ते पर आबादी भूमि व लगती हुई

(राजस्व मंत्री)

चरागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जाकर रास्ता बन्द किया गया है। इसके अलावा भी प्रार्थी के पास आने-जाने के लिये रास्ता उसकी खातेदारी भूमि में होकर मौजूद है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर रास्ता दिया जाना व्यवहारिक नहीं है।

(5) बिन्दु संख्या 5 का उत्तर बिन्दु संख्या 4 में स्पष्ट कर दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम डूण्डलोद (झुंझुनूं) में भू-माफिया द्वारा सरकारी भूमि का बेचान

642. श्री उदयसिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डूण्डलोद, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी के आधार पर खसरा नं. 716 एवं 192 राजस्व सरकारी भूमि है? यदि हां, तो उक्त पर किसका कब्जा व क्यों है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम की खसरा नं. 699 से 716 एवं खसरा नं. 192 राजस्व रेकार्ड के आधार पर कितनी दूरी पर है और वर्तमान में क्या स्थिति है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि खसरा नं. 716 एवं 192 किसी भू-माफिया द्वारा नोटेरी या रजिस्ट्री द्वारा बेचान कर दी है? यदि हां, तो सरकार विक्रेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि खसरा नं. 716 एवं 192 पर क्रेता ने पिलर लगाकर अपना कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो कब से? अब सरकार कब्जे को हटाकर भूमि अपने अधीन कब तक ले लेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार ग्राम डूण्डलोद के ख. नं. 716 रकबा 0.12 हैक्टेयर तथा ख. नं. 192 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि राजकीय बंजड़ दर्ज है।

वर्तमान में ख.नं. 716 पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है तथा ख. नं. 192 पर गत 20-25 वर्षों से परिशिष्ट "ए" अनुसार 10 व्यक्ति काबिज हैं। (परिशिष्ट-ए) संलग्न है।

(2) ग्राम डूण्डलोद के ख.नं. 699 से ख. नं. 716 की दूरी लगभग 180 मीटर तथा ख. नं. 192 की दूरी लगभग 900 मीटर है। वर्तमान में ख. नं. 716 पर कोई काबिज नहीं है, तथा मौके पर खाली है तथा ख.नं. 192 पर उपरोक्तानुसार 10 व्यक्ति काबिज हैं।

(राजस्व मंत्री)

(3) ग्राम डूण्डलोद में ख. नं. 716 मौके पर खाली है तथा पंजीयन रेकार्ड के आधार पर कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। न ही नोटेरी से इकरारनामा तस्दीक होना जाहिर हुआ है।

ख. न. 192 की भी कोई रजिस्ट्री नहीं होना पाया गया है। लेकिन दो व्यक्तियों के नोटेरी द्वारा इकरारनामा तस्दीक होने की जानकारी प्राप्त हुई है जिनमें भी खसरा नम्बरों का अंकन नहीं है। इस सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

(4) यह सही नहीं है कि ख. नं. 716 पर किसी क्रेता ने पिलर लगाकर कब्जा कर लिया है। मौके पर ख. नं. 716 खाली है। ख. नं. 192 पर परिशिष्ट "ए" अनुसार 10 व्यक्ति काबिज हैं।

चूंकि ख. नं. 192 में उक्त 10 व्यक्ति गत 20-25 वर्षों से काबिज हैं। अत: इस सन्दर्भ में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(6) राज./6/2000/17 दि. 23.10.2001 के अनुसार आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत डूण्डलोद से प्रस्ताव तैयार करवाये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

प्रश्न संख्या-643
(स्थगित)

बून्दी में स्वतंत्रता सैनानी की खातेदारी भूमि में अनियमितता

644. श्री शिव सिंह (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधायक एवं स्वतंत्रता सैनानी स्व. श्री पी.के. चौधरी के नाम से ग्राम उलेड़ा, तहसील बून्दी में 54 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने स्टेट ड्यूटी चुकाई जिसके लिए असिसटेंट कंट्रोलर आफ स्टेट ड्यूटी, राजस्थान द्वारा 16.6.1977 को प्रमाण पत्र जारी किया गया? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद खण्ड-1 में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण श्रीमती रेवा चौधरी के नाम खोला गया? यदि हां, तो जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जमाबन्दी में श्रीमती रेवा चौधरी बेवा श्री पियूस कान्त चौधरी के स्थान पर मु. रेखा चौधरी बेवा प्रिन्स कान्त चौधरी कौम-राजपूत साकिन जयपुर दर्ज है? उक्त इन्द्राज कब से व किसके द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकारी अभिलेख

(श्री शिव सिंह)

में हेराफेरी करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार जिला कलक्टर, बून्दी को जमाबन्दी में सही इन्द्राज करने का निर्देश देकर जमाबन्दी दुरूस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) खतोनी जमाबन्दी सं. 2028 से 2047 के अनुसार उलेड़ा के ख.नं. 199 रकबा 54 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी सोयम के खातेदार पिन्स कान्ती चौधरी पिता ईश्वरचरण चौधरी कोम-राजपूत साकिन जयपुर के नाम के दर्ज है।

(2) जिला कार्यालय द्वारा स्टेट ड्यूटी का कोई प्रमाण-पत्र दिनांक 16.6.1977 को जारी नहीं किया गया है।

(3) खातेदारी पिन्स कान्ती चौधरी के मृत्यु के बाद खण्ड-1 में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण सं. 51 दिनांक 30.11.1977 को श्रीमती रेवा चौधरी के नाम खोला गया था। जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(4) प्रश्न में अंकित नाम पियूस कान्त उपरोक्तानुसार पहले से रेकार्ड में दर्ज नहीं था। यह सही है कि वर्तमान में जमाबन्दी सं. 2055-58 खाता सं. 164 में नाम मु. रेखा चौधरी वेवा प्रिन्स कान्त चौधरी कोम राजपूत सां. जयपुर दर्ज है। उक्त इन्द्राज से नाम "पिन्स" के स्थान पर "प्रिन्स" का इन्द्राज नामान्तरकरण स. 51 को दर्ज एवं प्रमाणित करते वक्त दिनांक 30.11.1977 से तथा नाम "रेवा" के स्थान पर "रेखा" जमाबन्दी सम्वत् 2051-54 तैयार होने के समय यह इन्द्राज तत्समय के पटवारी, कानूनगो एवं तहसीलदार के द्वारा हुये हैं जो मात्र लिपिकीय भूल है तथा रेकार्ड की हेराफेरी की परिभाषा में नहीं आता है अतः सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। इस भूल के बारे में खातेदार द्वारा भी आवेदन नहीं किया है।

(5) राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम, 166 के प्रावधानों के अनुसार शुद्धि पत्र के माध्यम से भूल सुधार की जा सकती है। जिला कलक्टर द्वारा सम्बन्धित राजस्व अधिकारी को शुद्धि करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बावड़ी गोपीनाथ (जयपुर) में माफी मन्दिर की दर्ज भूमि का नियम विरुद्ध आंबटन

645. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बावड़ी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी एवं गोस्वामी श्री गोविन्दलाल देव, पुरानी बस्ती, जयपुर के माफी मन्दिर की भूमि दर्ज है? यदि हां, तो कितनी? मय भूमि के खसरा विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्तमान में उक्त भूमि की क्या स्थिति है?

(2) क्या मन्दिर माफी की भूमि अन्य को आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? वर्तमान में भूमि की क्या स्थिति है तथा किसके अधीन है एवं कब तक खाली करवाकर मन्दिर के अधीन की जावेगी?

(3) क्या सरकार उक्त आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) माफी मन्दिर की भूमि अन्य को आबंटित नहीं की गई है, बल्कि दौराने बन्दोबस्त संवत् 2010 में काबिज काश्तकारों के नाम दर्ज हुई है तथा ख. नं. 300 से 304 की 602 बीघा 18 बिस्वा भूमि, जो गोस्वामी गोविन्दलाल देव, पुरानी बस्ती, जयपुर के नाम जरिये नोट अंकित हुई थी, उसके बेचान करने पर नामांक संख्या 27, 28 व 29 से मुरली, सुखदेव, तेजमल वगैरह के नाम अंकित हो गई तथा नामांक संख्या 30 मुरली वगैरह के बजाय मण्ढा बावड़ी संयुक्त कृषि सहकारी समिति मण्ढा–भिण्ढा के नाम दर्ज हुई है। जो वर्तमान में समिति के नाम यथावत है। उपरोक्त हुए इन्द्राज नियम विरुद्ध है। जिसके लिए रेफरेन्स व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिला कलक्टर को निर्देशित कर दिया गया है।

(3) मन्दिर की भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

अम्बामाता मन्दिर प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) के पुजारियों द्वारा अनियमितताएं

646. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की ग्राम पंचायत क्षेत्र कुलमीपुरा में अम्बामाता का मन्दिर स्थित है, जो काफी प्राचीन है?

(2) क्या यह भी सही है कि सितम्बर–अक्टूबर, 2001 से उक्त मन्दिर में आने वाले चढ़ावे आदि के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है? यदि हां, तो गठित ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कब करवाया गया? ट्रस्ट में कौन–कौन पदाधिकारी एवं सदस्य हैं?

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(3) मन्दिर में दानपेटी कब से रखी हुई है एवं अब दानपेटी को किस-किस की उपस्थिति में खोली गई और कितनी दान राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है? क्या मन्दिर ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला गया है? मन्दिर के पुजारियों एवं मन्दिर व्यवस्था किसकी देखरेख में है?

(4) क्या देवस्थान विभाग मन्दिर ट्रस्ट को आवश्यक सुविधा हेतु आर्थिक सहायता देना चाहता है?

(5) मन्दिर की चल-अचल सम्पत्ति क्या-क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत कलमीपुरा क्षेत्र में अम्बामाता का प्राचीन मन्दिर स्थित है।

(2) राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत उक्त मन्दिर का पंजीयन देवस्थान विभाग से नहीं कराया गया है।

(3) मन्दिर देवस्थान विभाग का नहीं है न ही इसका पंजीयन हुआ है। अत: सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

पंचायत समिति कुचामन में अन्त्योदय योजनान्तर्गत आबंटित गेहूं

647. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन पेंशन प्राप्त करने योग्य को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है ऐसे व्यक्ति को 10 किलो गेहूं प्रतिमाह नि:शुल्क दिया जाता है? प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2001 व प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2002 पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन तथा नावां में ऐसे कितने लोगों को नि:शुल्क गेहूं दिलवाया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। ऐसे व्यक्ति जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं एवं जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, परन्तु राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के योग्य हैं, उन्हें अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 10 किलो गेहूं मुफ्त देने का प्रावधान है। उक्त अभियान के तहत पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन तथा नावां में 187 नये लोगों का चयन किया गया है इनमें से 23 लोगों को अक्टूबर, 2001 से मार्च, 2002 तक वितरण किया गया है। शेष के लिए उठाव एवं वितरण की कार्यवाही जारी है। सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्संचालन

648. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्ष 1999-2000 से फरवरी, 2002 के मध्य कितने औद्योगिक प्रतिष्ठान श्रमिक आन्दोलन के कारण बन्द रहे हैं? विवरण जिलानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में राज्य में कितनी औद्योगिक इकाइयों बन्द हुई तथा उसके कारण कितने श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा और आज की तारीख में कितनी औद्योगिक इकाइयां बन्द है?

(3) औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने के मुख्य कारण क्या है और उक्त कारणों के निदान हेतु श्रम विभाग ने क्या पहल की और उसमें क्या सफलता मिली है?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 के मध्य 74 संस्थान श्रमिक आन्दोलन हड़ताल अथवा तालाबन्दी के कारण बन्द रहे। जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	जिले का नाम	हड़ताल एवं तालाबन्दी की संख्या
1.	श्रीगंगानगर	3
2.	अलवर	11
3.	जयपुर	16
4.	उदयपुर	7
5.	अजमेर	7
6.	टोंक	1
7.	डूंगरपुर	3
8.	सिरोही	1
9.	पाली	4
10.	झुंझुनूं	1
11.	सीकर	12
12.	चित्तौड़गढ़	1
13.	कोटा	2
14.	जोधपुर	2
15.	भरतपुर	2
16.	सवाईमाधोपुर	1
	योग	74

(2) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने की परिभाषा में आ रहे उद्योग, जो गत तीन वर्षों की अवधि में बन्द हुए हैं उनकी संख्या एवं उनमें नियोजित श्रमिकों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :-

(श्रम मंत्री)

वर्ष	बन्द हुए उद्योगों की संख्या	नियोजित श्रमिकों की संख्या
1999-2000	265	11727
2000-2001	196	7892
2001-2002	118	6053

उक्त उद्योग वर्तमान में भी बन्द हैं।

(3) औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होना है। आर्थिक पहलुओं का सम्बन्ध श्रम विभाग से नहीं है।

माडर्न सूटिंग्स अलवर के श्रमिकों का लम्बित भुगतान

649. श्री अमराराम (धोद): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बिना श्रम विभाग से विचार विमर्श किये ही माडर्न सूटिंग्स लि. अलवर को रिलीफ अण्डरटेकिंग घोषित किया था?

(2) क्या श्रम विभाग की राय में श्रम मंत्रालय को अनदेखी कर माडर्न सूटिंग्स को अथवा अन्य किसी कारखाने को रिलीफ अण्डरटेकिंग घोषित करना उचित है?

(3) क्या यह सही है कि माडर्न सूटिंग्स अलवर के प्रबन्धन ने रिलीफ अण्डरटेकिंग का अनुचित लाभ उठाकर सैकड़ों श्रमिकों को बिना कोई मुआवजा दिये नौकरी से बाहर कर दिया है तथा आज भी उनके बकाया वेतन, भत्ते, बोनस सहित अन्य देय लाभों का भुगतान नहीं किया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि माडर्न सूटिंग्स अलवर के रिलीफ अण्डरटेकिंग में होने के कारण श्रम विभाग प्रभावित श्रमिकों के साथ हुए अन्याय को रोकने में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाया? क्या श्रमिक प्रबन्धन की मजदूर विरोधी नीतियों का शिकार हो रहा है?

(5) वर्तमान में कारखाने और श्रमिकों की स्थिति क्या है? क्या सरकार उक्त प्रकार की स्थिति से निबटने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार अपने स्तर पर भी निर्णय लेने में सक्षम है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) वर्तमान में कारखाने में नल व बिजली कनेक्शन कटा हुआ है व कारखाने बन्द हैं। कोई श्रमिक नियोजित नहीं है। कारखाने को राज्य सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा सहायता उपक्रम घोषित कर रखा है

(श्रम मंत्री)

एवं रुग्ण इकाई के रूप में बीआईएफआर में रजिस्टर किया हुआ है। जिला प्रशासन स्तर पर श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में वार्ता आयोजित की गई थी परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू न होने के कारण कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी।

जिला नागौर के प्रस्तावित सिंचाई स्रोत

650. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर सूखा सम्भावित क्षेत्र है? यदि हां, तो उक्त पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन सी विशेष योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में वर्ष 2002-2003 के दौरान विशेष तौर पर नये बांध, एनीकट, रपट, तालाब आदि बनाने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कितनी राशि का आबंटन किया जायेगा? सूची स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त जिले में नये बांध और एनीकट का निर्माण बिलकुल नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा सूखे की स्थिति पर काबू पाने एवं उपलब्ध सतही जल के उपयोग हेतु नाबार्ड वित्तीय पोषित परियोजना आर.आई.डी.एफ.-7 के अन्तर्गत माताजी का बाला (19.83 लाख) व पालड़ी (76.85 लाख) लघु सिंचाई योजनाओं पर आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जिला नागौर में वर्ष 2002-2003 के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा उपरोक्त भाग एक में वर्णित माताजी का बाला एवं पालड़ी नाम की दो लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार बजट आबंटित कर प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2001-2002 में नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-6 के अन्तर्गत प्राप्त बजट से 24 एनीकटों का निर्माण कराया गया है एवं इन कार्यों पर 23.60 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है।

माही नगर की जगपुरा शाखा का निर्माण कार्य

651. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या माही परियोजना के अन्तर्गत जगपुरा नहर से निकलने वाली माइनरों का निर्माण अन्तिम छोर तक पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी माइनरों का और नहीं, तो क्यों?

(श्री नानालाल नीनामा)

(2) क्या यह सही है कि देवलीया माइनर का कार्य अन्तिम छोर पर 1 किलोमीटर तक कैनाल निर्माण से सिंचाई से वंचित 1500 बीघा काश्त जमीन में सिंचाई हो सकेगी? उक्त शेष बचा कार्य बढ़ाने की योजना कब तक पूर्ण करने का विचार है?

(3) क्या चरना भुण्डवई माइनर का कार्य अभी भी अपूर्ण है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करने का विचार है?

(4) क्या चरना मुण्डवई माइनर में अन्तिम छोर के बाद 500 मीटर कैनाल बढ़ाने पर वंचित भूमि में सिंचाई हो सकेगी? यदि हां, तो क्या सरकार चरना मुण्डवई माइनर को 500 मीटर बढ़ाने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि दाईं मुख्य नहर से निकलने वाली देवा माइनर से काश्तकारों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है?

(6) क्या देवदा माइनर की रेजिंग होने के काश्तकारों को पूरा पानी मिल जायेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय संसाधन के अभाव में सभी माइनरों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) देवलिया माइनर की कुल लम्बाई 3.81 कि.मी. है, इसमें से 3 किमी. तक का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे कुल 317 हैक्टेयर (1981 बीघा) भूमि में से इस वर्ष 170 हैक्टेयर (1062 बीघा) भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष बचे 800 मीटर के कार्य पूर्ण कराने से शेष बची 147 हैक्टेयर (919 बीघा) अतिरिक्त भूमि में से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। देवलिया माइनर का शेष कार्य वर्ष 2002-2003 में पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। चरना भुण्डवई माइनर का कार्य अभी अपूर्ण है जिसे वित्तीय वर्ष 2002-2003 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) इस माइनर को पानी की उपब्धता के आधार पर स्वीकृत कमांड क्षेत्र के बाहर सिंचाई हेतु बढ़ाया जाना उपयुक्त नहीं है।

(5) जी नहीं। देवदा माइनर से काश्तकारों को प्रायः पूरा पानी मिल रहा है।

(6) देवदा माइनर की रेजिंग का कोई प्रस्ताव एवं उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जल वितरण समिति का गठन कर बाराबन्दी पद्धति से पानी लिया जाने पर काश्तकारों को स्वतः ही पूरा पानी मिल जावेगा।

सुन्दरपुरा नहर ग्राम खीवांस (जयपुर) पर अतिक्रमण

652. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम खीवांस में विभाग की नहर सुन्दरपुरा ब्रान्च में नहर क्षेत्र की सरकारी भूमि पर पुन: अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों और किस-किस व्यक्ति ने अतिक्रमण किस की मिलीभगत से किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर से पूर्व में भी तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाया था? क्या उक्त भूमि पर श्री जगदीश पुत्र श्री धन्ना, श्री केदार पुत्र श्री हरसहाय ने अतिक्रमण कर लिया है?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील जमवारामगढ़ की ग्राम खींवास में विभाग की नहर सुन्दरपुरा ब्रान्च के नहर क्षेत्र की सरकारी भूमि पर अभी कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) जी हां। उक्त भूमि पर से पूर्व में अतिक्रमण हटाया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर श्री जगदीश पुत्र धन्ना, श्री केदार पुत्र श्री हरसहाय ने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है।

(3) उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के निर्माणाधीन तालाब

653. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में वर्ष 2001-2002 में कितने-कितने तालाब एनीकट बनाये गये?

(2) उक्त क्षेत्र में आगामी वर्ष हेतु कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं?

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों की क्या स्थिति है एवं कब तक कार्य सम्पूर्ण हो जाने की सम्भावना है? क्या स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो किस-किस की? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में वर्ष 2001-2002 में तीन तालाब व तेरह एनीकट बनाये गये जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में

(सिंचाई मंत्री)

आगामी वर्ष हेतु श्यामपुरा एवं नठारा लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

(3) श्यामपुरा एवं नठारा सिंचाई परियोजनाओं पर क्रमश: रुपये 113.94 लाख एवं 51.74 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.11.2001 को जारी की गई है। इन योजनाओं का कार्य नाबार्ड वित्तीय सहायता के अन्तर्गत इसी वर्ष में प्रारम्भ किया जाकर तीन वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

सहरिया परियोजना बारां का विद्युतीकरण

654. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परियोजना द्वारा कितनी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लिफ्टों का विद्युतीकरण कब हुआ और उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई?

(3) क्या उक्त सभी लिफ्टें कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परियोजना मद के अन्तर्गत कोई भी लिफ्ट सिंचाई परियोजना नहीं बनाई गई।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परियोजना मद के अन्तर्गत किसी भी लिफ्ट स्कीम का निर्माण ही नहीं किया गया है अत: उसका विद्युतीकरण करने एवं उक्त मद में कोई राशि व्यय करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरिया परियोजना मद के अन्तर्गत कोई भी लिफ्ट सिंचाई परियाजना नहीं बनाई गई।

पशु संवर्द्धन एवं विकास पर व्यय राशि

655. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान में वर्ष 1998 से अब तक विभिन्न स्थानों पर पशुओं की चिकित्सा, संवर्द्धन आदि हेतु कितने-कितने कहां-कहां पशु चिकित्सालय, अस्पताल, औषधालय, पशु चिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्र आदि खोले गये हैं? इन केन्द्रों में कौन-कौन से पद कब-कब से स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? इन रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का इरादा रखती है?

उत्तर

राजस्थान में वर्ष 1998 से अब तक 125 पशु चिकित्सालय एवं 400 उप केन्द्र खोले हैं। इन पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के भवन विहीन पशु चिकित्सालय

656. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कुल कितने पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सक/अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में उक्त पदों पर कौन-कौन कब से कार्यरत हैं और कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों का गत पांच वर्षों में निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक उक्त चिकित्सालयों को कितनी राशि आबंटित हुई, उसमें से कितनी व्यय हुई? उक्त अवधि में उक्त चिकित्सालयों में कितने बीमार पशुओं का इलाज हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में सरकारी भवन नहीं है? क्या सरकार भवन विहीन चिकित्सालयों में सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में 4 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पद रिक्त पद एवं कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों की सूची ''क'' सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी हां। निरीक्षण के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के पशु चिकित्सालयों में आबंटन एवं व्यय की गई राशि एवं बीमार पशुओं की चिकित्सा की सूची ''ख'' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) पशु चिकित्सालय दबलाना सरकारी भवन रहित है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सरकारी भवन बनाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के मंडेसरा में पशु चिकित्सालय

657. श्री घनश्याम जैन (बेगूं): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगू के मंडेसरा में पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति कब हुई ?

(2) क्या मंडेसरा में पशु चिकित्सालय प्रारम्भ हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? अब उक्त में चिकित्सालय कब तक चालू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ग्राम मंडेसरा में वर्ष 1999–2000 में पशु चिकित्सालय स्वीकृत किया गया।

(2) जी हां। कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा पदों की स्वीकृति उपरान्त ही पशु चिकित्सक का पदस्थापन सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के भवन विहीन पशु चिकित्सालय

658. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में भवन रहित पशु चिकित्सा उप केन्द्र कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के लिये भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में राजकीय भवन रहित 8 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र निम्नप्रकार है :

1. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, कुपड़ा
2. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, कोहाला
3. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, मेतवाला
4. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, उम्बाड़ा
5. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, तौड़दा
6. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, भगोरा
7. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, सागवाड़िया
8. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, कोटड़ा बंड़ा

(2) वर्तमान में उपरोक्त पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को ग्राम पंचायत द्वारा भवन की सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

659. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर कौन–कौन सी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

(श्री रामप्रताप)

हैं? उक्त के निर्माण का कार्य कब-कब से शुरू किया गया एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? उक्त में से कौन-कौन सी कब से पूर्ण होकर सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है?

(2) उक्त चालू सिंचाई योजनाओं में से प्रत्येक का सी.सी.ए कितना है एवं इस वर्ष 2001-2002 में कितने-कितने क्षेत्र को सिंचित किया व प्रत्येक लिफ्ट स्कीम में उक्त समय में कितनी-कितनी बिजली उपयोग में ली गई व कितना-कितना बिजली का बिल सिंचाई विभाग द्वारा अदा किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में निम्नलिखित लिफ्ट सिंचाई योजना है:-

स्टेज-I		कंवरसेन लिफ्ट नहर
स्टेज-II	1.	साहवा लिफ्ट नहर
	2.	गजनेर लिफ्ट नहर
	3.	कोलायत लिफ्ट नहर
	4.	बांगड़सर लिफ्ट नहर
	5.	फलौदी लिफ्ट नहर
	6.	पोकरण लिफ्ट नहर

कंवरसेन लिफ्ट का निर्माण कार्य वर्ष 1969-70 में शुरू हुआ तथा वर्ष 1975 में बनकर तैयार हुई, तब से यह नहर सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है। स्टेज-II की साहवा, गजनेर, कोलायत, फलौदी एवं पोकरण वर्ष 1984-85 में शुरू हो गई थी। बांगड़सर लिफ्ट नहर 1988-89 में शुरू होकर वर्ष 1998-99 से सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है। इन नहरों पर निम्नानुसार राशि वर्ष 28.2.2002 तक खर्च की जा चुकी है।

(राशि लाख रुपये)

1.	कंवरसेन लिफ्ट नहर	8,071.03
2.	साहवा लिफ्ट नहर	15,913.19
3.	गजनेर लिफ्ट नहर	8,916.81
4.	कोलायत लिफ्ट नहर	12,000.40
5.	बांगड़सर लिफ्ट नहर	1,628.42
6.	फलौदी लिफ्ट नहर	5,670.82
7.	पोकरण लिफ्ट नहर	3,356.16

बांगड़सर के अतिरिक्त स्टेज द्वितीय की शेष लिफ्ट नहरों का कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त चालू लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सी.सी.ए. एवं वर्ष 2001-2002 में सिंचित किया गया क्षेत्र निम्नानुसार है:

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

क्र.सं	लिफ्ट योजना का नाम	सी.सी.ए. (हैक्टेयर में)	सिंचित क्षेत्र वर्ष 2001-2002 (हैक्टेयर में)
1.	कंवरसेन लिफ्ट नहर	61,905	29,287
2.	साहवा लिफ्ट नहर	2,40,000	1,516
3.	गजनेर लिफ्ट नहर	75,200	218
4.	कोलायत लिफ्ट नहर	1,16,688	242
5.	बांगड़सर लिफ्ट नहर	10,350	602
6.	फलौदी लिफ्ट नहर	62,650	–
7.	पोकरण लिफ्ट नहर	32,120	–
	योग	5,98,913	31,865

प्रत्येक लिफ्ट पर निम्नानुसार बिजली वर्ष 2001-2002 में उपयोग में ली गई एवं बिजली इन्दिरा गांधी नहर विभाग द्वारा अदा की गई बिजली की राशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	लिफ्ट योजना का नाम	बिजली की खपत (लाख यूनिट में)	अदा की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	कंवरसेन लिफ्ट नहर प्रणाली	372	1653.00
2.	साहवा लिफ्ट नहर प्रणाली	न्यूनतम चार्ज	41.740
3.	गजनेर लिफ्ट नहर प्रणाली	न्यूनतम चार्ज	13.70
4.	कोलायत लिफ्ट नहर प्रणाली	न्यूनतम चार्ज	33.69
5.	बांगड़सर लिफ्ट नहर प्रणाली	न्यूनतम चार्ज	17.55
6.	फलौदी लिफ्ट नहर प्रणाली	न्यूनतम चार्ज	31.18
7.	पोकरण लिफ्ट नहर प्रणाली	—	—

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण

660. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोलायत, गजनेर, फलौदी, पोकरण, लिफ्ट कैनालों के कितने पम्पिंग स्टेशन तैयार हो चुके हैं? अब कब तक उक्त पम्पिंग स्टेशनों से पानी का प्रवाह चालू किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 11.9.2001 को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की "कमेटी आफ डायरेक्शन" की बैठक में जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई थी, के द्वारा यह सहमति बनी है कि शेष पम्पिंग स्टेशनों के कार्य प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो पम्पिंग स्टेशनों के कमीशनड होने की सम्भावित तिथियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि लिफ्ट नहरों पर पक्के खालों का निर्माण करवाने का कार्यक्रम सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा स्थगित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना ने मद से उक्त खालों का कार्य करवाने का निर्णय किया था? यदि हां, तो कब तक सरकार खालों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? कार्य योजना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोलायत लिफ्ट पर कुल 6 पम्पिंग स्टेशनों में से 2 पूर्ण हो चुके हैं एवं 2 में जल प्रवाह 16.11.2000 को किया जा चुका है।

गजनेर लिफ्ट पर कुल 5 पम्पिंग स्टेशनों में से 2 पूर्ण हो चुके हैं, एक में जल प्रवाह 16.11.2000 को किया जा चुका है।

फलौदी लिफ्ट पर कुल 7 पम्पिंग स्टेशनों में से एक पूर्ण हो चुका है। इस पम्पिंग स्टेशन तथा गजनेर के पम्पिंग स्टेशन नं. 2 को पानी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 15.8.2002 से जल प्रवाह करने का लक्ष्य है। पोकरण लिफ्ट पर कोई भी पम्पिंग स्टेशन पूरा नहीं है।

(2) जी हां। शेष 6 पम्पिंग स्टेशन पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव योजना विभाग में विचाराधीन है।

(3) लिफ्ट नहरों पर पक्के खालों का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार की अन्तर मंत्री मण्डलीय स्वीकृति समिति की 27 मार्च, 2000 को आयोजित 13 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मात्र 873577

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

हैक्टेयर सी.सी.ए. को केन्द्रीय परिवर्तित योजना में सम्मिलित किया गया है। इस [illegible] स्कीम में [illegible] की लिफ्ट स्कीमों का [illegible] भाग हैक्टेयर सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण लिफ्ट नहरों पर पक्के खाले का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में वाटर कोर्सेज निर्माण का कार्य सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित करवाया जाता है।

जिला पाली के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

661. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें

(2) उक्त जिले के सृजित पदों में से किस-किस औषधालय में किस-किस श्रेणी के कितने पर रिक्त हैं?

(3) अब तक उक्त पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त पद भर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत पाली जिले में वर्तमान में 135 आयुर्वेद औषधालय व चिकित्सालय संचालित है। इनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के रिक्त पदों का औषधालयवार विवरण परिशिष्ट ''ख'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नवीन नियुक्तियां पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से पद रिक्त हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

662. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला आयुर्वेद अधिकारी नागौर के कार्यालय में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारियों के पद सृजित हैं, तथा उक्त में से कौन-कौन से पद भरे हुये हैं, और कौन-कौन से रिक्त हैं?

(2) उक्त कार्यालय में वर्तमान में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर के कार्यालय में स्वीकृत पदों, भरे हुये एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण भी परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

आयुर्वेदिक औषधालय लाडनूं (नागौर) के वैद्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

663. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय सीलनवाद तहसील लाडनूं, जिला नागौर में कार्यरत वैद्य के विरुद्ध स्थानीय जनता ने विभाग को व राज्य सरकार को शिकायतें की हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी शिकायतें कब प्राप्त हुई तथा उक्त पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई? प्राप्त शिकायतों व उस पर की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य गांव में नहीं रहता केवल माह में एक बार आकर फर्जी हाजरी भर कर वेतन उठाता है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय सीलनवाद जिला नागौर में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्सक श्री कमल किशोर उपाध्याय के विरुद्ध कोई शिकायत जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर एवं निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर के स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उप निदेशक आयुर्वेद से जांच करवाई जा रही है।

ग्राम बाटडानाऊ (सीकर) के आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत कर्मी

664. श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सीकर के ग्राम बाटडानाऊ में आयुर्वेदिक औषधालय चालू हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या वर्तमान में उक्त औषधालय में सभी पदों पर अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन किस-किस पद पर कब से कार्यरत हैं?

(3) क्या उक्त औषधालय में रिक्त पद भी हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(श्री यशवन्त सिंह)

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय कई दिनों तक बन्द रहा था? यदि हां, तो कब से कब तक और बन्द रहने के क्या कारण थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त औषधालय में वर्तमान में कौन-कौन कर्मचारी पदस्थापित हैं और वर्तमान में रोगियों की कितनी संख्या है? रोगी रजिस्टर में जनवरी, 2002 से 15 मार्च, 2002 तक कितने रोगी आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त औषधालय को कौन सी दवाई कब-कब दी गई? क्या उक्त दवाई रोगियों को दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह औषधालय वर्ष 1955 से संचालित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। नर्स-कम्पाउण्डर का पद रिक्त है।

(4) जी हां। वित्त विभाग से रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, रिक्त पद भरना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी हां। उक्त औषधालय दिनांक 5.7.2000 से 27.9.2000 तक एवं दिनांक 1.11.2000 से 29.11.2000 तक चिकित्सक के ड्यूटी पर नहीं रहने के कारण बन्द रहा था।

(6) वर्तमान में उक्त औषधालय में केवल आयुर्वेद चिकित्सक ही पदस्थापित हैं और दिनांक 1.1.2002 से 15.3.2002 तक औसत दैनिक रोगी संख्या निम्न प्रकार रही है:-

नवीन रोगी	7
पुरातन रोगी	9

रोगियों के नामों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(7) उक्त औषधालय को वर्ष 2001-2002 में सप्लाई की गई औषधियों का विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया।

औषधालय में उपलब्ध औषधियों आवश्यकतानुसार रोगियों को दी जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र खारची में प्रस्तावित आयुर्वेदिक औषधालय

665. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कहां-कहा पर हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम इन्दरवाड़ा (रानी) तथा ग्राम गुड़ा देवाडान (बागोल) में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्तमान में विभागान्तर्गत 18 आयुर्वेद औषधालय निम्न स्थानों पर संचालित है :-

1. सिनला
2. मारवाड़ जंक्शन
3. भिमालिया
4. ईसाली
5 पांचटिया
6. सिवास
7. कराड़ी
8. खिवाड़ा
9. आऊवा
10. गजनीपुरा
11. देवली
12. घेनड़ी
13. जोजावर
14. डायलाना
15. जाणून्दा
16. केसूली
17. निपल
18. कौट सोलंकियान

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में फिलहाल नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं यूनानी चिकित्सालय की स्थापना

666. श्री धनश्याम जैन (बेगूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बेगूं में यूनानी चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है?

(2) क्या यूनानी चिकित्सालय बेगूं में प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब इसे प्रारम्भ करने का क्या विचार है? अब उक्त चिकित्सालय कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में बजट घोषणा के अधीन, राज्यादेश दिनांक 6.12.1999 द्वारा बेगूं (चित्तौड़गढ़) में यूनानी औषधालय खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

(2) नवीन स्वीकृत औषधालय हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं कराये जाने से, औषधालय आरम्भ नहीं हो सका है।

(3) वित्त विभाग द्वारा आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त उक्त औषधालय प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

मत्स्य पालन हेतु दिये गये ठेके की बकाया राशि

667. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या मत्स्य पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु विभिन्न बांधों, तालाबों को ठेके पर दिये जाते हैं? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि में कब तक के लिये ठेके पर दिये गये?

(2) क्या उक्त से समस्त देय राशि वसूल कर ली गई? यदि नहीं, तो किस-किस में कितनी-कितनी राशि वसूल कर ली गई? यदि नहीं, तो किस-किस में कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है एवं क्यों? क्या सरकार उक्त राशि वसूल करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्ष के दौरान दिए गए ठेकों की राशि एवं अवधि का विवरण सूची "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। किसी ठेकेदार में कोई राशि बकाया नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखे)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर की विभिन्न पंचायत समितियों की साधारण सभा की बैठकों में वांछित अधिकारियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिश चन्द कुमावत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति कुचामन सिटी क्षेत्र में नये राशन कार्ड वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जालौर में मूर्तिया खण्डित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बपावर कलां, तहसील सांगोद के प्राचीन तालाब को मिट्टी से भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था नियम 295 के तहत।

(12.13 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) बाबूलाल सिंगारिया, सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आवासीय नियमन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से यह है न आपका। फिर काहे को बोल रहे हो? जिला जालौर में जीरे की बोई हुई फसल में रोग लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री कय्यूम खान, सदस्य की ओर से मसूदा में बीसलपुर परियोजना की पाइप लाइन निकालने एवं डालने के टेण्डर साथ-साथ निकाले जाने के सम्बन्ध में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और आफिसर गैलेरी का आचरण देखिए आप। नहीं, अभी इतनी बड़ी शिक्षा दी है अध्यक्ष महोदय ने, इनको भी थोड़ा कहिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : (4) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गॉज, बेंडेज, कम्बल एवं बैडशीट आदि की कथित नियम विरुद्ध खरीद करने के सम्बन्ध में...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी को देखिए आप। देखिए वित्त मंत्रीजी को और सिंचाई मंत्रीजी वरिष्ठ हैं। यह गरिमा है सदन की। यह सदन की गरिमा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कौन सी गरिमा निभा रहे हैं। आसन पैरों पर है, आप खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (5) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पेयजल की गम्भीर समस्या के सन्बन्ध में।

(6) श्री घासीवाल मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के गांव भैंसखेड़ा व कोडिकिया बालाजी के समीप कुरेल व मेज नदी के संगम पर बांध बनाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी के रानी स्टेशन में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र चूरू में पेयजल का भयंकर संकट होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर में नहरों से सिंचित की जाने वाली भूमि को कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित करने के सम्वन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में घटते जल स्तर एवं सिंचाई हेतु अपर्याप्त पानी के सम्बन्ध में। श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासीय नियमन शुल्क में 50% रियायत हेतु तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारों को संरक्षण देने बाबत।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय के तहत निवेदन है कि लैण्ड कंवर्जन रूल्स, 1981 के तहत अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लोगों...

श्री हरिसिंह (महुवा): उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो गया उसका?

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले वित्त मंत्री साहब ने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष: अब क्या हो गया?

श्री हरिसिंह (महुवा): वित्त मंत्रीजी ने कहा कि पहले माननीय सदस्य माफी मांगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो समाप्त हो गया प्रकरण।

श्री हरिसिंह (महुवा): नहीं, समाप्त कहां हो गया? समाप्त कहां हो गया? ऐसे अपमानित होकर नहीं बैठे रहेंगे। समाप्त नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहां से समाप्त हो गया?

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें सदन में हो जाएं और आप किसी का अपमान करने दें, यह आपके रहते हुए उचित नहीं हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय उस पर व्यवस्था दे गये। उस पर... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यों ही सरसरी तौर पर इसको निकाल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप आसन को डिक्टेट कर रहे हैं क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव लाने की व्यवस्था दे गए हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं और आप उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। यह बहुत आपत्तिजनक बात है। मुझे बहुत तकलीफ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आप आसन को डिक्टेट कर रहे हैं क्या?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह ओब्जर्वेशन था, स्पीकर साहब की रूलिंग नहीं थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आप आसन को डिक्टेट नहीं कर सकते। You cannot dictate.

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह रूलिंग नहीं थी, वह स्पीकर महोदय का ओब्जर्वेशन था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह रूलिंग नहीं थी, उनका ओब्जर्वेशन एज ए स्पीकर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय खुद कह कर गये हैं कि इस तरह के सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव लाइए जिसने इस तरह गरिमा तोड़ी खुद अध्यक्ष महोदय कह कर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। बिराजिए न आप लोग।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको डिक्टेट कर रहे हैं, साहब। आपने निर्णय दे दिया खतम हो गयी बात।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें। इस पर फैसला होना है। ऐसे नहीं मानेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें..(व्यवधान)..

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, इसमें नहीं था। यह उनका स्पीकर साहब का ओब्जर्वेशन था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उनका ओब्जर्वेशन था। It was not a ruling. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पीकर साहब का ओब्जर्वेशन था। It was not a ruling. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इश्यू तो जीरो आवर में उठेगा। क्वेश्चन आवर में तो प्रश्न उठता ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन आवर में कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आसन पर कोई दबाव नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो जीरो आवर के बाद ही उठेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बिराजिए। ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी...

श्री सी. पी. जोशी : व्यवस्था नहीं दी, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी है।

श्री सी. पी. जोशी : ...(व्यवधान)... आप भी जानते हैं व्यवस्था नहीं दी है। नहीं, व्यवस्था नहीं दी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : ...(व्यवधान) ...उनके खिलाफ प्रस्ताव दो।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए-सुनिए। आप बैठिए।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था नहीं दी है। व्यवस्था नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। It was observation. It was observation.

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** ...(व्यवधान) ...स्पीकर साहब ने कहा...(व्यवधान)... आपको प्रस्ताव लाना चाहिए।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओब्जर्वेशन था उनका न कि रूलिंग थी।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, प्लीज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने कहा है प्रस्ताव लाइये। उन्होंने कंडीशन बतायी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

डा. (श्रीमती) कमला : कह कर गये हैं वो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहा है उन्होंने आप पढ़िए इसको। आप देखिए उसको। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। यदि आपको प्रस्ताव लाना था, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब व्यवस्था दी या आपको कहा कि प्रस्ताव लाइए तो उस समय...

श्री जर्नादन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने साफ कहा कि आप (व्यवधान)...इस प्रकार नही बुला सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आप बिराजिए। आप बिराजिए। (व्यवधान) उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्तावों को ले करके उन पर व्यवस्था दे दी तब तक तो आप कुछ लाये नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : वे खड़े हुए थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वे चेयर पर थे।

श्री हरिसिंह (महुवा)**:** आसन पैरों पर था।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देख लीजिए आप वे बैठे ही नहीं थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे बैठे ही नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिए।

श्री सी. पी. जोशी : वे बैठे हुए नहीं थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आप प्रोसीडिंग मंगाकर देख लीजिए। आप प्रोसीडिंग मंगाकर देख लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय अपनी चेयर पर बैठे ही नहीं थे। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने फरमाया कि अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था दी है। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि इस प्रकार के व्यवहार के लिये सत्ता पक्ष को प्रस्ताव लाना चाहिए। आपने यह फरमाया कि उसके बाद स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव लाने के लिए अपने यहां कोई सीमा नहीं है। जिस कंडक्ट के लिये आसन से कहा था और यह डायरेक्शन दिया था कि इसके लिये प्रस्ताव लाया जाए, तो इसमें समय की पाबन्दी नहीं है। उसके बाद वह आसन से चले गए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव लाने में कोई समय सीमा नहीं है और यह प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार को रोकने के लिए, मेरे खयाल से यदि आप इसको इस तरह से लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए, प्लीज। विराजिए।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय पाइंट आफ आर्डर। हम उठा रहे हैं पाइंट आफ आर्डर, आप रिजेक्ट कर देना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन का निर्णय हो गया। मुझे प्रस्ताव लाना है।

श्री सी. पी. जोशी : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। (व्यवधान) आप प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : पार्टी के चीफ व्हिप को प्रस्ताव प्रस्तुत करना है और मुझे प्रस्ताव पेश करना है (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव लाने से रोका थोड़े ही जा सकता है। यदि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, तो उस पर विचार भी किया जाएगा। यह संसदीय परम्पराओं और गरिमा के खिलाफ जो अमर्यादित व्यवहार किया है उस पर रोक के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्रस्ताव लाना एक संसदीय अधिकार है, उसके लिए कोई फाइनल वर्डिक्ट पास नहीं किया गया है।

श्री कालूलाल खटीक (गंगरार) : उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही देख लीजिए, अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव लाने के लिये मुख्य सचेतक महोदय को कहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरीके से अमर्यादित व्यवहार को रोकने के लिए जो प्रस्ताव किया जा रहा है..(व्यवधान) ऐसे विपक्ष के सदस्यों पर प्रभावी नियन्त्रण लाने के लिए जरूरी है कि प्रस्ताव लाया जाए।

श्री कालूलाल खटीक : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आए दिन कुछ सदस्यों द्वारा...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने मुख्य सचेतक महोदय से प्रस्ताव लाने के लिए कहा है...(व्यवधान)इस व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव ला रहे हैं।

डा. (श्रीमती) कमला :...(व्यवधान) किसी मंत्री के ऊपर इस तरह के लांछन लगाएं और आप उसको सुनना नहीं चाहें। सदन का लैप्स का कारण बताकर इस तरह की इजाजत देना, बेहूदा ढंग से लगाएं हुए लांछन यूं के यूं कायम रखना और आपको माफी के लिए नहीं कहना, यह आप अगर कायम करना चाहते हैं तो मैं समझती हूं कि इससे बुरा उदाहरण कोई भी नहीं हो सकता। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कोई बहाना नहीं चल सकता, ऐसे बेहूदा लांछन लगाए और वह सदस्य बिना माफी मांगे निकल जाए यह सदन की तौहीन है, यह सारे महिला समाज की तौहीन है और मैं अपने आपको बहुत दुःखी महसूस करती हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप चेयर को आरोपित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब आप क्या स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं? आपके सदस्य ने गलत व्यवहार किया है। अमर्यादित व्यवहार किया है। उसको आप दूध का धुला साबित करना चाहते हैं?

श्री कालूलाल खटीक : माननीय सदस्य द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री के साथ अमर्यादित व्यवहार किया है इसके लिए हम प्रस्ताव लाएगें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.23 बजे 12.53 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.53 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही को आगे चलाइये, हमारा तो सारा मामला ही रखा हुआ है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.54 बजे, 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, धृतराष्ट्र की तरह अपने दुर्योधन का आचरण आंखों पर पट्टी बांध कर मत देखिए। जो इस सदन में हुआ है वह पूरे देश के संसदीय इतिहास को ...(व्यवधान) इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते आप अपनी उस वृहद् परम्परा का निर्वहन करेंगे।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो कुछ हुआ है वह सारे हिन्दुस्तान की जनता देख रही है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): हो गया, अब काहे की सीख दे रहे हो, क्यों सीख दे रहे हो? (व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य का शेष समयावधि के लिए सदन की बैठक से निलम्बन

उपाध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 10 अप्रैल, 2002 को प्रश्नकाल के दौरान माननीय सिंचाई मंत्रीजी द्वारा प्रश्न का उत्तर देते समय कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी जोर-जोर से चिंघाड़ कर असंसदीय भाषा का खड़े प्रयोग करते रहे। आसन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए निरन्तर आक्रामक मुद्रा मंत्रीजी पर अपशब्दों का प्रहार करने के साथ-साथ अशोभनीय भाव-भंगिमाएं बनाते हुए अपने हाथों का इस ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे कि जैसे वे क्रोधावेश में बेकाबू हो गये हों। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये मुख्य सचेतकजी क्या प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। कम से कम सदन की जानकारी तो होनी चाहिए। आपने अनुमति दी है क्या इनको? (व्यवधान) ये 2/3 मेजोरिटी के आधार पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : इससे सदन की गरिमा का हनन हुआ है एवं सदन के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा को सत्र की शेष अवधि हेतु सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर मदांध लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इस प्रस्ताव पर मतदान होगा। हम प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान) यह हमारी मांग है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से जो व्यवस्था एक बार हुई...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो प्रस्ताव आया है, नियम और प्रक्रिया यह कहती है, उपाध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष प्रस्ताव लेकर आया है उस प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार हमें है। हमें उस प्रस्ताव पर...(व्यवधान) इस पर हम अपनी बात रखेंगे...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम प्रोसीडिंग तो देखें। (व्यवधान) कम से कम पहले प्रोसीडिंग निकाल कर तो देखें।

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर बहुमत के आधार पर इस प्रकार का प्रस्ताव लाना चाहे। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : प्रस्ताव आ चुका है, प्रस्ताव पर मतदान हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे कैसे हो जाए, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : प्रस्ताव पर मतदान हो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। (व्यवधान) शालीनता रखते-रखते आज यह स्थिति आ गयी है कि स्थिति बेकाबू होती जा रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सब बातों को सुन करके जब एक व्यवस्था दे दी अध्यक्षजी ने अपनी व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के बाद भी यह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रोसीडिंग निकाल कर देख लीजिए। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : सही कहा माननीय श्री संयम लोढ़ा ने कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधकर देखे जा रहे हैं। हम इनके मान-सम्मान के खातिर आज तक चुप रहते आये हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्षजी ने कहा कि भविष्य में अगर आप सदन को ठीक प्रकार से चलाना चाहे, अध्यक्षजी ने जब एक बार इस सारी घटना का... (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलने देंगे। हमारा प्रस्ताव आ चुका है, प्रस्ताव पर मतदान हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रोसीडिंग के आ जाने की बात कह दी। अब उनकी मंशा यह थी कि सदन किस प्रकार से चले और उसके आधार पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नयी परम्परा हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर...(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपका लम्बा अनुभव रहा है। सदन में नयी परम्परा नहीं लागू करें, उपाध्यक्ष महोदय। जो प्रस्ताव ले करके आए हैं उस प्रस्ताव पर हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष के नेता के भाषण को सुनना नहीं चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : व्यवस्था के बाद भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाना... (व्यवधान) जब अध्यक्षजी ने खतम कर दी बात। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं सुनेंगे। हम प्रतिपक्ष के उप नेता को नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपनी तरफ से एक प्रस्ताव ले लिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो न मैं पढ़ूं तो सही। (व्यवधान) मैं पढ़ूं तो सही। आप बिराजो न। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप लोग बिराजिए। प्लीज, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की प्रोसीडिंग निकाल कर देखिए आप, क्या ऐसी बात कही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की बहुत अच्छी परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या ऐसी बात हो गयी, कौनसी ऐसी बात कह दी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है और बहुमत के आधार पर, क्या ऐसी बात कह दी प्रोसीडिंग्स तो निकाल कर कम से कम देखे, क्या हो गया ऐसा? (व्यवधान) क्या आसमान पड़ गया, धरती फट गयी थी, क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती पूनम गोयल : सदन में माफी मांगनी होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और अगर केवल बहुमत के आधार पर कोई परम्परा डालनी है तो फिर आप एक को नहीं निकाल सकते हो। सारे सदस्यों को निकालना पड़ेगा। (व्यवधान) अगर आप यह चाहते हो। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : आज तक इस विधान सभा के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई जैसी आज हुई है। विधान सभा के इतिहास में आज जो घटना हुई है और जैसा कहा गया है, कभी नहीं हुआ, जैसे वक्तव्य आ रहे हैं, क्या बात नहीं कही। आपको कुछ मालूम ही नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती पूनम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, देवीसिंहजी भाटी को सदन से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो, किसको करें। (व्यवधान) आप बैठिये ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर बहुमत के आधार पर ऐसे निर्णय लेना प्रारम्भ करेंगे तो फिर केवल एक माननीय सदस्य नहीं निकलेगा, तो हम सब लोगों को ही बाहर निकाल दो ताकि हमारी अनुपस्थिति में हाउस चला लेना...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आपकी तो आदत हो गयी है...(व्यवधान) आपने मखौल बना दिया विधान सभा को। आपने मखौल बना दिया विधान सभा को।

श्रीमती पूनम गोयल : उनको बाहर निकाल दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि... (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और आगे के लिये व्यवस्थाएं कायम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने माननीय सदस्य श्री देवीसिंह भाटी को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलम्बित करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, उसको स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में आया है उस पर हमारे विचार व्यक्त करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्परा आप कहां से डाल रहे हो? उपाध्यक्ष महोदय, +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी से निवेदन है कि सदन से बाहर चले जाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हो। (व्यवधान) अपने बहुमत के आधार पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

डा. महेश जोशी : प्रस्ताव पर मतदान हो चुका, इस पर कोई बात नहीं होगी। इस प्रस्ताव पर व्यवस्था हो चुकी, इस पर कोई बात नहीं होगी। (व्यवधान)

श्रीमती पूनम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मतदान हो चुका है, विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घासीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पर मतदान हो चुका है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संरक्षण दिलाया जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर ये बहुमत के आधार पर, अगर इस प्रकार से ...(व्यवधान) सदन में अपने इस भारी बहुमत का ये दुरूपयोग करके किसी भी सदस्य को सुनवाई का अवसर नहीं दें... (व्यवधान) और आप उस बहुमत के आधार पर इस प्रकार का...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : बहुमत आपका दिया हुआ नहीं है। (व्यवधान) बहुमत आपका दिया हुआ नहीं, बहुमत जनता का दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने कर लिया, तो फिर यह सदन, आप यह चाहते हैं कि हम में से भी कोई उपस्थित न रहे करके अगर इस सदन का बचा हुआ काम पूरा कराना चाहते हैं तो...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : बहुमत आपका दिया हुआ नही है, बहुमत जनता का दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये लोग भागना चाहते हैं, जनता की समस्याओं को उठाना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र पर कलंक का काम किया है। सदन के अन्दर व्यवस्था आपने दी प्रस्ताव सदन के नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना करके जिस तरह का प्रस्ताव 2/3 मैजोरिटी के आधार पर लेकर आये हैं, आज का दिन काला दिन है इस राजस्थान की विधान सभा के अन्दर.. (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर तो आप एक के बाद एक-एक को निकालते जाइये। जब तक हम अन्तिम समय तक रहेंगे, अन्त तक लड़ते रहेंगे। निकालते जाइये एक-एक का नाम पुकारते जाइए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तब तक आप...(व्यवधान) जब तक हम में से एक भी सदस्य अन्दर मौजूद है हम इस अन्याय को किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं करेंगे और यह सदन नहीं चल पाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री घासीलाल मेघवाल। याचिकाओं का उपस्थापन। (व्यवधान) श्री अमराराम धोद। (व्यवधान) श्री अमराराम धोद। (व्यवधान)

याचिकाओं का उपस्थापन

ग्राम धोद (सीकर) में पशु चिकित्सक

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) ग्राम धोद, जिला सीकर में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित (व्यवधान)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डवाड़ा (सीकर) में जीव विज्ञान विषय

(2) ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील व जिला सीकर के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान विषय खोलने बाबत 4 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित एवं (व्यवधान)

लोसल-बोसाणा (सीकर) डामर-सड़क

(3) लोसल से बोसाणा जिला सीकर में डामर की सड़क बनाने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है। +++ आसन की परम्परा के विपरीत जो प्रस्ताव सत्तापक्ष लेकर आया वह...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें सहयोग करें, लेकिन यह जिस प्रकार का प्रस्ताव ले करके आए हैं और जिस प्रकार से निकाला गया है...(व्यवधान)

मेज व कुरल नदी पर बांध

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) मेज व कुरल नदी के संगम बेसखेड़ा गांव में बांध बनाकर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने बाबत एवं...(व्यवधान)

ग्राम छोड़ेदा (बून्दी) के बांदी के खाल पर क्षतिग्रस्त पुलिया

(2) ग्राम छोड़ेदा, तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी के बांदी के खाल पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण कराने बाबत...(व्यवधान) याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा ही एक प्रस्ताव आप लेकर के आ जाएं कि प्रतिपक्ष को, बी.जे.पी. को बाहर निकाल दिया जाए। एक प्रस्ताव यह भी लेकर आ जाओ ताकि सारा सदन आराम से चलाना। (व्यवधान) यह सदन चले, एक प्रस्ताव और रख दो। (व्यवधान) उसके बाद आराम से राजस्थान की विधान सभा इस अभियान से चलाते रहना कि आपके पास इतना भारी भरकम बहुमत है, इस कारण से एक प्रस्ताव और रखो। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : आपने देवीसिंह भाटी को सुना है। (व्यवधान) प्रोसीडिंग में कोई भाषा कोट की है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। (व्यवधान) श्री अमराराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आप सामान्य न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए...(व्यवधान) यह जो प्रस्ताव आपने पारित किया है यह तो सम्पूर्ण रूप से अवैधानिक और गैर कानूनी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। (व्यवधान) श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है आपका। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस कारण से एक प्रस्ताव और रखो। ये बचे हुए सारे लोग हैं इनको भी बाहर कर दो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह प्रस्ताव सम्पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सदन संसदीय प्रणाली से चलेगा...(व्यवधान) और यह निष्कासन का प्रस्ताव सुनाया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसी कौनसी टिप्पणी कर दी थी जिसके आधार पर आज बहुमत के आधार पर आप एक माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। (व्यवधान) आपने एक तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। (व्यवधान)

अनुदान की मांगें

मांग संख्या-16 पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,88,26,13,000/- (अक्षरे सात अरब, अट्ठासी करोड़, छब्बीस लाख, तेरह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के नियम और प्रक्रियाएं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है सदन के अन्दर, कोई प्रस्ताव आया है और उस पर विचार तक नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

मांग संख्या-17 कारागार की प्रस्तुति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,53,79,000/- (अक्षरे तीस करोड़, तरेपन लाख, उन्नासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान से अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर कृपया, मेहरबानी करके ऐसी परम्पराएं न डाले जो लोकतंत्र के विपरीत हो और जो नियमों और प्रक्रियाओं के विपरीत हों। (व्यवधान)

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खान (शिव)

1. भारत सरकार के द्वारा सीमा पर तारबन्दी व बी.एस.एफ. का अच्छा बन्दोबस्त करने के बाद भी कुछ एजेंसियों द्वारा मुखवीर भेजकर दोनों देशों से मुखबरी व तस्करी की वारदाते होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. सीमावर्ती जिलों में ओ.एस. एक्ट का मिसयूज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
3. बाड़मेर जिले में पूछताछ के बहाने पुलिस द्वारा एक धन्धा शुरू करने पर व बेगुनाह लोगों को तंग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

4. पुलिस विभाग के उच्च पदस्थापित अधिकारियों की निरंकुशता पर रोक लगाने, उनके द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, प्रजातंत्र पद्धति के विरुद्ध किया जा रहा विषैला प्रचार तथा मनमाने ढंग से पदस्थापन करके अपना वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से कानून व्यवस्था को नेस्तोनाबूद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

5. प्रदेश में बढ़ती साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने व समाजकंटकों द्वारा सद्भाव बिगाड़ने के लिये किये जा रहे प्रयासों की रोकथाम तथा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में उप अधीक्षक कार्यालय एवं शाहपुरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय सृजित करने एवं क्षेत्र में नई स्थायी पुलिस चौकियां लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

6. डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा में नया थाना खोले जाने तथा जिले के ग्राम सिमलवाड़ा, झोथरीपाल, चारवाड़ा व पुनावाड़ा में नई चौकियां स्थापित करने व सिपाहियों की आवास व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

7. राज्य में पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. जिला टोंक में उप अधीक्षक देवली, उनियारा, सीतापुरा व हेदर्शपुरा में नयी पुलिस चौकियां स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. जिला टोंक में उनियारा विधान सभा क्षेत्र के थानों में साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

10. पुलिस को बढ़ते हुये संगीन अपराधों पर काबू पाने के लिये आधुनिक हथियार, नई जीपों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में आवश्यक पदों को नहीं भरने से भ्रष्टाचार के मामलों में अपराधियों के विरुद्ध जल्दी से चालान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

12. श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रही चोरियों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

13. पुरानी आबादी थाना श्रीगंगानगर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. राज्य के थानों में पुलिस पब्लिक मिटिंगें आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

16. मारवाड़ जंक्शन थाने में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

17. पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. जिला कोटा के देवली मांजी में पुलिस थाना तथा बड़ौदा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

19. थाना इटावा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे जुआ, सट्टा, चोरी, डकैती, से स्थानीय जनता में व्याप्त भय के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

20. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, कोटा के अन्तर्गत आने वाले थानों में जीप (गाड़ी) उपलब्ध नहीं होने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. थाना इटावा जिला कोटा के.सी.आई. द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने वाले फरियादी को धारा 107 व 151 में जबरदस्ती बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. तहसील पीपल्दा जिला कोटा के ग्राम रामपुरिया में नयी पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

23. भादरा जिला हनुमानगढ़ में पुलिस थानान्तर्गत ग्राम डूंगराना में एक साधु ही हत्या की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र भादरा में पुलिस वृत कार्यालय व पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. भादरा क्षेत्र में अवैध पर्ची सट्टा एवं अवैध शराब की बिक्री को रुकवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. भादरा थाना क्षेत्र में तस्करों, भू-माफियों एवं अपराधी प्रवृति वाले लोगों की सक्रियता की वजह से बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र भादरा एवं भिरानी पुलिस थाना क्षेत्रों के पुनः सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घासीवाल मेघवाल (पाटन)

28. लबान व जयस्थल में पुलिस चौकी स्थापित करने एवं थानों में नये संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

29. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में दो पुलिस चौकी खोले जाने तथा मुबारिकपुर व ऊंटवाल में एक-एक पुलिस चौकी खोलने तथा ग्राम खोयरा कलावी व सैदमपुर में पुलिस हैड पोस्ट का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

30. विधान सभा क्षेत्र दूदू महला में प्रस्तावित पुलिस थाना खोलने एवं पुलिस थाना बगरू का कार्य क्षेत्र बढ़ाने तथा ग्राम नन्दलालपुरा में चल रही अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी करने व बन्धे के बालाजी में नया पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. अराजपत्रित् पुलिस कर्मियों की पदोन्नति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. पुलिस थाना मालाखेड़ा (अलवर) में तत्कालीन उप निरीक्षक द्वारा सराहनीय कार्य करने के कारण विशेष पदोन्नति देनें की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

33. पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों में राज्य सरकार द्वारा बरती जाने वाली भेदभाव एवं पक्षपात पूर्ण नीति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. जिला करौली की पुलिस को आधुनिक उपकरण एवं हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

35. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नागल शेरपुर में पुलिस थाना खोलने एवं बालाजी में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

36. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ग्राम जावदा में पुलिस थाना स्वीकृत करने एवं बेगूं उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय हेतु भवन बनाये जाने के लिए बजट आबंटन करने व काटूदा मोड़ क्षेत्र के पारसोली थाने को बेगूं में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

37. सन् 1996 में बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के दो अपराधियों से करीब 78 किलो आर.डी.एक्स. के बरामद के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा उनकी विस्फोट की योजना को असफल नहीं किये जाने के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

38. जिला बाड़मेर के समदड़ी एवं सिवाना पुलिस थानों को सी.आई. पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना कस्बे के अन्दर पुलिस चौकी स्थापित करने तथा सिवाना क्षेत्र के ग्राम खण्डप, मजल, मावरड़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

40. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां के ग्राम रामगढ़ में पुलिस थाना खोले जाने तथा किशनगंज जिला बारां एक सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण शाहाबाद में आर.ए.सी. को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़)

41. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम सेहला तथा बिरमसर में पुलिस चौकी को संचालित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

42. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर जिला अलवर के गांव सोडावास में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में अजरका पुलिस चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

44. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की विभिन्न चौकियों में कांस्टेबलों की संख्या नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

45. राज्य में दहेज एवं आत्महत्या के बढ़ते अपराधों पर चर्चा के लिए।

46. राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

47. मोलासर में किसानों पर 9 जनवरी, 2000 को हुए गोली काण्ड की जांच में सरकार द्वारा निर्णय लेकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. प्रदेश में साम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने में सरकार के असफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. राज्य के पुलिस थानों में फरियादियों से व्यवहार ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

50. आम व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्टेशन खाटू तथा दांतारामगढ़ को उप पुलिस अधीक्षक जिला-सीकर के अन्तर्गत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

51. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में बढ़ते अपराध के कारण जनता में व्याप्त असुरक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के गांव डैया एवं अम्बासा में हुई आगजनी एवं लूटपाट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला जयपुर में नये थाने एवं चौकियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के थाने एवं चौकियों में तैनात पुलिस कर्मियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के थानों एवं चौकियों पर पर्याप्त पुलिस कर्मचारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

56. राज्य के थानों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को अति विशिष्ठ व्यक्तियों की ड्यूटी के कारण अपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान का समय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. राज्य सरकार द्वारा महानिदेशक, पुलिस के द्वारा किये गये स्थानान्तरण सूची में से एक विशिष्ठ अधिकारी का स्थानान्तरण करने से पुलिस में अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहन मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. पुलिस विभाग के गुप्तचर शाखा द्वारा किसी भी साम्प्रदायिक दंगों अथवा तनाव की पूर्ण सूचना देने में विफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

59. गणेशपुर थाने का दोवड़ा जिला डूंगरपुर में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

60. राज्य के प्रत्येक जिले में दलित थाने खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे में सीधे चालान पेश किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के दिनांक 31.12.2001 के द्वितीय पृष्ठ पर मंत्री द्वारा अलवर जिले में दिए गये बयान के प्रकाशन की स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री [illegible]

63. राज्य की पुलिस को आधुनिकतम साधन व संसाधन से सुसज्जीत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. पुलिस ज्यादती पर मानवाधिकार आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूलाल खटीक (गंगरार)

65. बस्सी जिला-चित्तौड़गढ़ में पुलिस थाना कायम करवाने तथा पुलिस थाना राश्मी एवं गंगरार को वृत्त निरीक्षक (सी.आई.) की श्रेणी में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

66. जिला सिरोही में महिला थाना शुरू करने व पुलिस उप अधीक्षक अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक के रिक्त पद को भरे जाने एवं महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच व पुलिस द्वारा बेगुनाह लोगों को कानून के दायरे में फंसाकर बदनाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

67. सिरोही जिले के चौदह पुलिस थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी भी अधिकारी को थाना प्रभारी नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. सिरोही जिले के थानों में पुलिस कर्मियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

69. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर के पुलिस थाने में पुलिस निरीक्षक का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. पुलिस थाना लाडनूं व जसवन्तगढ़ जिला नागौर में नकारा जीपों के स्थान पर नई जीपें दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. राज्य में अपराधियों के द्वारा आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किये जाने के कारण उन पर नियन्त्रण एवं मुकाबले हेतु पुलिस को आधुनिक उपकरण तथा हथियार दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में पुलिस में सिपाहियों की संख्या कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण पर राशि खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

74. राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं/बालिकाओं की हत्या, अपहरण, बलात्कार एवं उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. पुलिस थाना बस्सी, कानोता, चाकसू, शिवदासपुरा में वर्ष 1999 से अब तक हुई चोरियों, डकैतियों, एवं लूटपाट पर चर्चा के लिए।

76. जिला अलवर में पुलिस की मीटिंग में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम चौरवाड़ा में सरकारी डाक्टरों द्वारा पोलियों के नाम पर पैर काटकर अपाहिज बनाने वालों के विरुद्ध थाना बजाज नगर, जयपुर में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 44/22.1.2002 पर चर्चा के लिए।

78. दुर्घटनाग्रस्त या अन्य वाहनों को यादगार पुलिस, जयपुर द्वारा कोर्ट में भेजने हेतु रिश्वत लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

79. पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर को इंस्पैक्टर स्तर का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. प्रदेश में विगत वर्षों के दर्ज मुकदमों में दलित अत्याचार व बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिए।

81. प्रदेश के साम्प्रदायिक सदभाव व भाईचारे को बिगाड़ने हेतु कुछ साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. प्रदेश में लगभग पांच हजार पुलिस कांस्टेबलों की रिक्तियों को नहीं भरे जाने से पुलिस के कार्यों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने हेतु सिपाहियों की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. भरतपुर जिले के पुलिस थाना नगर, सीकरी, गोपालगढ़ पहाड़ी, कामां व जुरहरा के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा कर पीड़ितों को न्याय तथा अपराधियों को दण्डित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

84. राज्य के विभिन्न न्यायालयों द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश के पश्चात् भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

85. जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

86. जयपुर शहर में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. जयपुर जिले की तहसील बस्सी, कानोता में चल रहे अवैध वीडियो पार्लरों में अश्लील फिल्में दिखाने व अवांछनीय गतिविधियां चलाने से युवाओं में पड़ रहे दुष्प्रभाव एवं जिन विडियो पार्लरों को लाईसेंस दिया गया है उनमें राजस्थान विडियो फिल्म प्रदर्शन का विनियमन अधिनियम 1990 के तहत बनाये गये नियमों की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88. सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के चिकित्सकों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में पुलिस थाना मोती डूंगरी, जयपुर द्वारा एक लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

89. बहरोड़ थाने के अधीन बड़ौद कस्बे तथा सीमावर्ती ग्राम जखराणा एवं माढण थाने के अन्तर्गत हरियाणा की सीमा पर स्थित ग्राम काठूवास में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. अलवर जिले के सीमावर्ती प्रदेश हरियाणा व उत्तर प्रदेश मे होने वाली असामाजिक गतिविधियों एवं अपराधों को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस चौकियां व अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

1. कारागार में सुधार करने हेतु कारागार के प्रहरियों की सुविधा बढ़ाने एवं कारागृह समितियां बनाकर व्यवस्था को सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

2. बाड़मेर कारागार के भवन की मरम्मत कराने एवं महिला अपराधियों के लिये कारागृह का आधुनिक रूप में निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद्र)

3. जिला कोटा के कनवास में मुन्सिफ कोर्ट के पास ही कनवास कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

4. कारागार विभाग में लगाये गये अधिकारियों की प्रशासनिक विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. विधान सभा क्षेत्र करौली में नवीन कारागार भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

6. जिला हनुमानगढ़ की तहसील भादरा के उप कारागार का स्थानान्तरण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

7. राज्य के कारागारों की दयनीय स्थिति को सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

8. बासवाड़ा के जिला कारागार में कैदियों से किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

9. झुंझुनूं की जेल के एक बंदी प्रकरण में उनके नाना की मृत्यु एवं लड़की के विवाह में दो घंटे की पैरोल पर नहीं छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. जिला झुंझुनूं के कारागार से दो बंदियों के फरार होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

11. राज्य के कारागरों में सुरक्षा प्रहरियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

12. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला-उदयपुर में स्थापित कारागार में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

13. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला-उदयपुर के कारागार में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

14. राज्य के कारागृहों में आदतन व गम्भीर प्रकृति के अपराधियों के साथ प्रथम बार अपराधी व ट्रायल वाले अपराधियों को साथ रखने से उनके ऊपर विषम व प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

15. कारागार के कार्यों में सुधार हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों, सलाहकार मण्डलों, पैरोल समितियों व समयावधि में छूट सुविधा समितियों की निर्धारित समय पर बैठकें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

16. कारागृहों से भागे कैदियों के लिये दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में बंद शिक्षित कैदियों के लिए आई.टी.आई. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण सुविधा शीघ्र दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. कारागृहों में सजा भुगत रहे बन्दियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. राज्य की कारागारों में बंद कैदियों के लिए खर्च की जा रही राशि में महंगाई को देखते हुए वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

20. अलवर जेल को सुदृढ़ कर यहां के कैदियों को भरतपुर जेल में स्थानान्तरित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

21. अलवर शहर में स्थित केन्द्रीय कारागार की 60 बीघा जमीन में कैदियों हेतु उद्योग लगाने एवं जेल में सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारी आवाज है, हमारी इस आवाज को दबाने की मंशा रखते हैं। (व्यवधान)जब तक हम में से एक भी माननीय सदस्य यहां मौजूद रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। (व्यवधान) हम में से एक भी सदस्य अन्दर रहेगा तब तक हम इस प्रकार का जो प्रस्ताव ले करके और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष का गला घोंटने का प्रयास किया है, यह मैं समझता हूं राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): ये परम्पराओं का हनन कर रहे हैं और राजस्थान के लिये एक नयी मिसाल बना करके पेश कर रहे हैं कि किस तरह से विधान सभा के अन्दर सदस्य आकर आचरण करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर कुठाराघात हुआ है। बिना प्रतिपक्ष के आपने..(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : यह नियम और परम्पराओं का हनन कर रहे हैं और राजस्थान के लिए एक नई मिसाल बनाकर पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस विधान सभा के अन्दर यहां पर आकर सदस्य आचरण करते हैं। हमें आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर दादागीरी नहीं चलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत आज इनका हो सकता है, कल दूसरे का हो सकता है। यह सदन नियम और परम्पराओं से चलेगा। नियम और परम्पराओं को तोड़कर जो प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेकर आया है, उस पर पहले विचार होना चाहिए था। ऐसी क्या टिप्पणी कर दी थी श्री देवीसिंहजी ने जो आज बहुमत के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव यह लेकर आए हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : विपक्ष का गला घोंटा जा रहा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो-बोलो आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष का गला कब तक घोंटा जाएगा? यह लोकतंत्र में किसी प्रकार का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विरोधी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं न वह?

श्री हरिसिंह (महुवा) : इनका माइक ठीक कराओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमें बोलने का मौका तो दीजिए। उनके खिलाफ कार्यवाही की और उनको बोलने का अवसर भी नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : चालू है, चालू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं यह आसन निष्पक्ष होना चाहिए। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज +++ आपने वह प्रस्ताव किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आचरण आसन कर रहा है +++ माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह सदन नियमों से चलेगा, परम्पराओं से चलेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

मांग संख्या-16 एवं 17 पर विचार

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस की मांग पर जो विचार चल रहा है, उस पर निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष पर भी है लेकिन यह सत्ता के मद में चूर मुख्य सचेतकजी जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं, यह हमारा अधिकार है, ऐसी कौनसी परिस्थिति थी, जिन बातों को लेकर मुख्य सचेतकजी यह प्रस्ताव लेकर आये हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : हमने देखा कि एक प्रचारक जब मुख्य मंत्री बने तो उसका इनाम इस देश को भुगतना पड़ सकता है और हमने देखा कि एक स्वयं सेवक जब देश का प्रधानमंत्री बने तो देश की जनता को क्या भुगतना पड़ रहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक-तरफा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, बोलो-बोलो।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात की गतिविधियों से जो कलंकित महसूस करते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह आज सदन को बताई नहीं गई है कि आखिर में ऐसी कौनसी बात देवी सिंहजी ने कह दी और आपने एक-तरफा निर्णय करके आपने माननीय सदस्य को निलम्बित किया है, यह सीधा लोकतंत्र पर कुठाराघात है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन भारत की जनता ने जिस कुर्सी पर उनको बैठाया है, अपने...(व्यवधान) वे पालन नहीं करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसाइयों पर हमले किये हैं और वे यह कहते हैं कि धर्मान्तरण...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++

श्री संयम लोढ़ा : जबकि बहस होनी चाहिए तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अयोध्या के मंदिर का मामला चला तो वे यह कहते हैं कि एक राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब उड़ीसा विधान सभा के अन्दर बजरंग दल के गुण्डे जाकर हमला कर देते हैं, तो तब वे यह कहते हैं कि मैं शर्म से मर क्यों नहीं गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वह गुजरात का दौरा करने के लिए जाते हैं तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किस मोड़ पर ले गये, उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और राजधर्म के पालन...(व्यवधान) कई बातें कही गई हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या देश की जनता ने सत्ता के उस सर्वोच्च शिखर पर उन्हें इसलिए बैठाया है कि वे +++ मुकाम पर अपनी करतूतों को लिये देश की जनता के सामने खड़े रहे। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ पर भी प्रश्नचिन्ह हम उस पर लगा रहे है कि +++

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री का...(व्यवधान) यही था, राजस्थान के...(व्यवधान) गुजरात में जो हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर, अहमदाबाद के अन्दर, जो हुआ अहमदाबाद के अन्दर गीता नाम की वह लड़की जिसको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह स्वच्छ लोकतांत्रिक परम्पराएं नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : जिसको यह घर से घसीट कर लाए और बस स्टैंड पर बांध कर उस गीता नाम की लड़की के एक तूली लगा दी। इस गीता नाम की लड़की का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपराध क्या था। उसका अपराध सिर्फ इतना सा था कि उसने एक मुण्डा नाम के मुसलमान के साथ प्रेम विवाह किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सलमा नाम एक महिला, जिसके पेट में आठ महीने का गर्भ था उसके पेट को इन्होंन त्रिशूल से चीर दिया और उसके बच्चे को उसके सामने टुकड़े-टुकड़े कर दिया। उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाकर उस सलमा का इन्होंने कत्ल कर दिया। गुजरात का अहमादाबाद का वह बापूनगर थाना, जहां पर पुलिस फायरिंग के अन्दर चालीस लोग मारे गये। उस बापूनगर थाने के इलाके के अन्दर हिन्दू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और वहां 20-25 साल की उम्र के चालीस मुस्लिम युवक पुलिस फायरिंग में मारे गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस गरीब का आचरण व्यवस्था के हित में था....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं यहां पर थे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को नोटिस दिया नहीं और जो न्याय के सिद्धान्त होता है कि उनका उसको नोटिस देना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें आसन से उम्मीद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक पक्ष नजर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। पाइंट आफ आर्डर, सर।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक व्यवस्था दे दी गई और व्यवस्था में उन्होंने कहा था कि जो प्रोसीडिंग्स में ऐसी कुछ चीज आई है, मैं उस सारे को एक्सचेंज कर दूंगा और उसके बाद में भविष्य के लिए भी उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को, भविष्य में इस प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो उसके लिए मोशन लेकर भी आना चाहिए। यह बात कम से कम उन्होंने उस समय की प्रक्रिया पर कहा था कि भविष्य में सदन ठीक प्रकार से चले... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पुलिस के हाथों मारे गये। (व्यवधान) इस तरह का आचरण वहां पर किया और उसके बाद चूंकि, मैं गुजरात से लगते हुए सिरोही जिले का निवासी हूं, मुझे मालूम है कि यहां पर क्या वातावरण बनाने की कोशिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के सिद्धान्त की बात करते हैं लेकिन न्यूटन ने यह भी कहा है कि बाहरी शक्ति की भी एक भूमिका होती है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसकी व्यवस्था शासन को करनी है और वे खुद कभी प्रस्ताव लेकर आये लेकिन आज वाली जो घटना थी उस घटना पर तो अध्यक्षजी ने अपनी व्यवस्था दे दी थी और उस व्यवस्था के आधार पर उन्होंने कहा था कि मैं प्रोसीडिंग्स देखकर ऐसी जो कुछ भी बातें आ गई हैं उन सारी बातों को एक्सपंज करूंगा और भविष्य में आपको, आप निकाल कर देख लीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स को, अध्यक्ष ने क्या व्यवस्था दी है, वह कम से कम एक बार पढ़ें, अध्यक्षजी की दी हुई व्यवस्था को आप देखते। फिर से आप उसको चुनौती दे रहे हैं और अध्यक्षजी ने जो व्यवस्था की उसके विपरीत आप प्रस्ताव लेकर आए और यहां पर केवल हो-हुल्लड़ के कारण से और बहुमत के आधार पर उसको आपने पास करा दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : गुजरात में जो कत्ले आम हुआ उस समय वहां पर वह बाहरी शक्ति सरकार थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और उसके सहारे जिस तरीके का वातावरण हमारे पूरे देश में बनाने की कोशिश की वह अपने आप में देश को शर्मिन्दा करने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार चली गई तब उन्होंने एक वातावरण बनाया कि कैसे पूरे देश के अन्दर साम्प्रदायिक वातावरण बनाया जाए। जिसके जरिए सत्ता में आया जा सके और गोधरा काण्ड पर उन्होंने जो...(व्यवधान) लेने की कोशिश की और उसके जरिए एक हिंसा का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या मैम्बर को अपनी बात कहने का भी इसमें हक नहीं था। आखिर उसका दोष है तो क्या है? आपकी प्रोसीडिंग्स से निकाल कर तो बता दीजिए कि किसी ने भी कोई चार्ज लगा दिया इसका मतलब तो वह कोई गुनाहगार नहीं हो गया। अगर कुछ है तो प्रोसीडिंग्स को निकलवा कर दिखाइये कि क्या ऐसी बात थी और क्या ऐसी बात नहीं थी। केवल बहुमत के आधार पर यह...(व्यवधान) न्याय के अनुसार जो कुछ भी होना चाहिए वह भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने उसको देखने और सुनने की कोशिश नहीं की। ऐसी कौनसी बात आ गई थी, जिसके कारण से इतना बड़ा काण्ड हो गया और आपने एक सदस्य को बाहर निकाल दिया। मैं चाहता हूं कि नियमों के तहत ही आपको कम से कम किसी सदस्य को अपना स्पष्टीकरण देने का मौका देना चाहिए था कि आखिर क्या विषय आ गया, इसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए थी। आपने कम से कम प्रोसीडिंग्स से...(व्यवधान) प्रोसीडिंग्स लाकर हमें बताया जाए लेकिन प्रोसीडिंग्स में नहीं लिखा, कोई चीज प्रोसीडिंग्स के रिकार्ड में है या नहीं है, बिना रिकार्ड के आधार पर जिन, बिना प्रोसीडिंग्स के आधार पर आपने एक माननीय सदस्य को, उसने केवल इतना कहा था...(व्यवधान) क्या कहा? वह प्रोसीडिंग्स तो बताइए। कम से कम हमारे सामने तो प्रोसीडिंग्स पढ़ें तो सही ताकि हमको लगे कि आपके यह बात हो गई। उसके कारण सदन से निकलवाने की नौबत आई। इस तरह से अगर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान पुलिस को जिसने राजस्थान के अन्दर इनके नापाक मंसूबों को किसी भी सूरत में होने नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर किशनगढ़ का मुद्दा उठाया। (व्यवधान) किशनगढ़ के अन्दर इन लोगों की करतूतें क्या थी? इन्होंने वहां के एस.पी. को मुद्दा बनाने की कोशिश की। माननीयं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस एस.पी. को उन्होंने मुद्दा बनाया, उस एस.पी. के बारे में इण्डियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा। क्या लिखता है इण्डियन एक्सप्रेस "Those who lost some faith in the khaki colour after the bloodletting and arson in Gujarat can take a bit of hope from neighbouring Rajasthan." यह राजस्थान पुलिस को सर्टिफिकेट है, कि राजस्थान पुलिस ने किस तरीके से काम किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सत्ता पक्ष भी प्रस्ताव...(व्यवधान) चाहे जब नहीं ला सकता।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस एस.पी. के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया अजमेर कि जनता कहती है उसके बारे में...(व्यवधान) लोग कहते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आज की बिजनस में सत्ता पक्ष का कोई प्रस्ताव नहीं था और चाहे जब जिस मामले पर कोई भी प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप यह पढ़ लीजिए जो इण्डियन एक्सप्रेस में छपा है। (व्यवधान), अजमेर के एस.पी. सौरभ श्री वास्तव कहते हैं कि...(व्यवधान)

"It was the most difficult mob I had ever handled in my 11 year long career, says Srivastava. Highly motivated and violent, they were shouting slogans that they would teach the Muslims a lesson. They were selectively targettin Muslim shops and had burnt around 18 shops during the rioting.

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने इस प्रस्ताव की कोई अनुमति नियमों को रिलेक्स करके आप इस प्रस्ताव के... (व्यवधान) जो मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव कर रहे हैं, इन्होंने इसका आपको कोई नोटिस नहीं दिया। पार्टी को नहीं दिया है। आपने सामान्य न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। सामान्य न्याय के सिद्धान्तों में जब तक किसी को सुनेंगे नहीं तब तक उसको सजा नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और इन्होंने किशनगढ़ में... (व्यवधान), माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किशनगढ़ के लोग क्या कहते हैं एस. पी. के बारे में। "But the locals in Kishangarh look at the events of March 1 quite differently. Had the police not taken stern action, some of them said, the consequences could have been dis-astrous. Vegetable vendor Ali Akbal said; 'If anyone had done anything wrong, it's the politicians. There should be an SP like this everywhere"

श्री मानिक चन्द सुराना : इसलिए आपने बिना दिये, बिना सुने जो प्रस्ताव पारित किया है, बिना उनको नोटिस दिये, बिना आपने उनको सफाई का मौका दिये, अपनी बात को...(व्यवधान) उनको जो निलम्बित किया है वह पूर्णत: अन्यायपूर्ण है और आपने न्याय की समस्त परम्पराओं को ताक पर रख दिया। यह आपने न्याय के सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया है। यह सामान्य न्याय के सिद्धान्त से सम्बन्धी नियमों को भी ताक पर रख दिया। आप यह बताइये कि किस प्रक्रिया में हम प्रस्ताव लाएंगे, वह प्रस्ताव तब ही ला सकेगा जब...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह क्या चाहते हैं अब?

श्री संयम लोढ़ा : और आप देखिए यह त्रिशूल लिए हुए लोग...(व्यवधान) जानना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह फोटो है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप रोज प्रस्ताव नहीं ला सकते। प्रस्ताव कल आ सकता था। आज नहीं आ सकता और देवीसिंहजी भाटी को सुने बिना आपने जो उनका निष्कासन किया है वह पूर्णतः असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, अन्यायपूर्ण भी है। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर आप रूलिंग प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह फोटो है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उधर देखो, उधर देखो।

श्री संयम लोढ़ा : वे उनको मार देना चाहते थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तलवारें बांटीं, इन्होंने त्रिशूल बांटे और इस तरह तलवारें और त्रिशूल के जरिए, यह... (व्यवधान) मचाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो पुलिस ने... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी के मार्ग-दर्शन में और माननीय मुख्य मंत्रीजी के मार्ग-दर्शन में जो कार्य किया है, आज पूरे प्रदेशवासी इसकी सराहना कर रहे हैं। मैं आज आंकड़ों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के अन्दर आप...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर, आपने कहा है कि...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तुलनात्मक आपराधिक स्थिति का अवलोकन करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के अन्दर डकैती का क्या आलम रहा इस साल 1999 में डकैती के 109 मामले हुए, 2000 में 99 हुए और 2001 में मात्र 60 मामले हुए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री संयम लोढ़ा : इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अन्दर 39.39 प्रतिशत की कमी आई है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हत्या के मामले ले लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को आपने कोई...

(भारी व्यवधान)

स्पेशल लाइसेंस दिया है, कोई भी सदस्य नहीं बोलेगा, वही बोलते रहेंगे। आप किस तरीके से हाउस चला रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है इस बात का, कि आपकी निष्पक्षता पर पूर्ण रूप से प्रश्नचिन्ह हम लगा रहे हैं। यह किस तरीके से हाउस चला रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो। आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : किसी की बात नहीं सुन रहे। किसी का मुद्दा नहीं सुन रहे। (व्यवधान) आने वाली भविष्य की...(व्यवधान) न्याय करने के यहां तो उदाहरण बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): आप खड़े-खड़े हाउस से क्या निर्देश दे रहे हैं? (व्यवधान) आपको क्या अधिकार है? आप आर्डर में आइए। आपकी सीट है, वहां पर बैठिए। आप परम्परा को तोड़ कर क्या निर्देश दे रहे हैं आसन को? आसन से कुछ भी कहने को जब तक आप खड़े हैं...(व्यवधान) गैलेरी में आपको कोई हक ही नहीं पड़ता है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर। माननीय मुख्य सचेतक जी...(व्यवधान)

(भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कर रहे हो? क्या इशारा कर रहे हो मुख्य सचेतक जी? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप रुकिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या रोकेंगे? क्या रोकेंगे आप मुझे? मैं यह कह रहा हूं आवश्यकता पड़ी तो निकालूंगा, और निकालूंगा। यह कह रहा हूं। (व्यवधान) आवश्यकता पड़ी तो और निकालूंगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक बहुमत के बल पर धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सरंक्षण दिलाया जाए। बड़े आवेशित हो रहे हैं। बहुत आक्रोश में हैं। आक्रमण भी कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मुख्य सचेतक जी धमकी दे रहे हैं सबको निकाल देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य संचेतक के गुणावगुण पर कोई यहां पर राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सर्वथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। कोई प्रस्ताव आए, और जिसके खिलाफ कोई आरोप हो, माननीय सदस्य के ख़िलाफ आरोप है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप धृतराष्ट्र बन जाओ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बन जाओ आप भी । (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आपकी व्यवस्था हो चुकी है उसके ऊपर पाइंट आफ आर्डर नहीं ला सकते। जिस मुद्दे पर आसन की व्यवस्था हो चुकी है, आगे की कार्यवाही शुरू हो चुकी है..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कौरवों की सभा नहीं है।

डा. महेश जोशी : जिस मुद्दे पर आसन की व्यवस्था दी जा चुकी है, आगे की कार्यवाही शुरू हो चुकी हो, उस पर पाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकता। (व्यवधान) आप बताइये। अमराराम जी, नहीं आ सकता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : व्यवस्था आसन देगा। व्यवस्था आसन देगा, आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो आसन से ही मांग कर रहा हूं माननीय सदस्य। आसन से अनुमति मांग रहा हूं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे लिये आसन से व्यवस्था होने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो न आप। मना कहां किया मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete.

श्री उपाध्यक्ष : बोलो तो, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैंने तो कॉल अपोन किया है न बोलने के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : That is not final touch.

श्री सांवर लाल : बहुमत का इतना घमण्ड है क्या? किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर रेज नहीं करने दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यही व्यवस्था कर रखी है कि सरकार की तरफ से किसी की सुनना नहीं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete. उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो आरोप कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ लगाए हैं...(व्यवधान) एक मिनट। एक मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह चैप्टर तो खतम हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं हुआ खतम। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव आ गया। इसके बाद इस पर कोई पाइंट आफ आर्डर ही नहीं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं हुआ। आप सुनिए इसमें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके सदस्य बोलने नहीं दे रहे हैं। (भारी व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने उनको सुना ही नहीं। आपने उनको सुना ही नहीं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पुलिस की निष्पक्षता प्रजा के हित में कितनी आवश्यक है। मैं जनसत्ता की एक खबर आपको सुनाना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान की जनता देखेगी। (व्यवधान) आज यह बहुमत के दम पर, आज इनके पास बहुमत है इसलिए यह प्रस्ताव लेकर आए।

श्री संयम लोढ़ा : अहमदाबाद, 7 अप्रैल नरसंहार के दो दिन बाद जब पत्रकारों ने मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पुलिस की निष्क्रियता के बारे में पूछा, तो तमतमाते हुए श्री मोदी ने जवाब दिया था हमारी पुलिस ने लोगों को मार डाला। यह नरसंहार 28 फरवरी और एक मार्च को बापू नगर थाने के पास हुआ था और उसमें पुलिस फायरिंग में 40 लोग मारे गये थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्या बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय? यह नहीं चलेगा। यह जो ब्यावर में +++ की, यह जो नसीराबाद में +++ की, यह जो किशनगढ़ में +++ की, यह जो गंगापुर सिटी में +++ की, यह जो लाठियां चलायीं, यह जो गोलियां चलायीं, यह जो लोगों को मारा, यह इन्होंने क्या किया? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : (व्यवधान) एफ.आई.आर. में और वहां के रिकार्ड में आया है कि मारे गये लोग मुसलमान थे। (व्यवधान) मारे गये 40 में से 32 लोग 30-32 साल के युवक थे। (व्यवधान) सीने में गोली लगने से मर गये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गंगापुर सिटी के अंदर लोगों को मार दिया। (व्यवधान) यह हत्या करने वाले, यह गंगापुर सिटी में गोलियां चला कर लोगों को मारने वाले, यह क्या अच्छा कर रहे हैं? यह आई.एस.आई. की गतिविधियां... (व्यवधान) यह मेवात में गौ-हत्या करने वाले यह स्पेशल ग्रुप बनाने वाले, यह अवैध हथियार बनाने वाले, यह सब तरह की चोरियां, डकैतियां करवाने वाले, यह आज गृह मंत्रालय की पुलिस के खिलाफ... (व्यवधान) चला नहीं पाते। इस ढंग की हत्या करने वाले...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बापू नगर में तीन हजार लोगों की भीड़ ने हमला किया और उसमें से 40 लोग एक समुदाय के मारे गये। इस तरह की व्यवस्था पड़ोस से हुई है। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पड़ोस के सूबे में ऐसे विषम हालात होने के बावजूद इन्होंने कुशल प्रशासनिक दृष्टि से और अपनी सोच से राजस्थान में अमन-चैन कायम रखा। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि जिसने बजरंग दल नाम के राष्ट्र विरोधी तत्व, आर. एस. एस. जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि उस पर पुनर्विचार किया गया। माननीय उपाध्यक्षजी, कई बार ऐसे अवसर आए हैं। हमारी अपील है कि ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कुछ भी नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) राजस्थान की जनता दु:खी है। कुछ भी बात यहां पर उठाते हैं और यह हो-हल्ला करना शुरू कर देते हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से अजमेर में कांग्रेस की जीत हुई और उत्तर प्रदेश में हार हुई, दिल्ली में हार हुई उसके बाद में सत्ता के जो सपने ले रहे थे, वह सपने मुंगेरी लाल के सपने साबित हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 2001 के अंदर राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति में किस रूप में सुधार हुआ है। मैं आकंड़ों के जरिये आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर डकैती के मामले 1999 में 109 हुए। 2000 में 99 हुए और 2001 में मात्र 60 मुकदमे दर्ज किये गये। डकैती के मामले में राजस्थान में 40 प्रतिशत की कमी आयी है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कर दीजिये, इसके अलावा आपके पास है क्या ? यह बहुमत के बल पर, आधा समय तो निकल गया। (व्यवधान) इस दुनिया में रावण को भी जाना पड़ा था। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** जब कांग्रेस के पांच-पांच सदस्यों का निष्कासन किया और 18 दिन तक...(व्यवधान) उस दिन भी आपने...(व्यवधान)आपने भी बहुमत के बलबूते पर पांच-पांच निकाले थे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक बोल रहे हैं मैं सबको निकाल दूंगा। इनकी +++ है क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या +++ है बहुमत के आधार पर? सबको बाहर निकालने के लिए मुख्य सचेतक कह रहे हैं। वह आसन पर बैठे हैं क्या? वह बाहर निकालने वाले कौन हैं? हमको भी जनता ने चुना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। आपने गलत वर्ड प्रयोग किया है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** प्रस्ताव लाऊंगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं प्रस्ताव रखता हूं, मुख्य सचेतक को निकाल दिया जाये बाहर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रतिपक्ष में हैं, हां बोले। (व्यवधान) मुख्य सचेतक को बाहर निकाला गया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य सचेतक को बाहर निकाला गया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : नकबजनी में 9 फीसदी और पूरी के अन्दर आधा फीसदी की कमी आयी है। (व्यवधान) चालान का प्रतिशत राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। उपाध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीता...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : डकैती में 7 फीसदी अधिक चालान हुआ। लूट में 3 फीसदी अधिक चालान हुआ। नकबजनी में 3 फीसदी अधिक चालान हुआ। चोरी में दो फीसदी अधिक चालान हुआ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान) मुख्य सचेतक को उठाकर बाहर ले जाएं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। मुख्य सचेतक को बाहर निकाल दिया जाये। मार्शल साहब, मुख्य सचेतक को यह बोले कि वह बाहर निकले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक को बाहर निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डकैती...(व्यवधान) पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी दूसरे मामलों में...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आर्डर, आर्डर, सार्जेंट मुख्य सचेतक को बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : निकाल दिया। निकाल दिया। निकल गये। निकल गये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य सचेतक निकाल दिये गये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : चोरी के अन्दर पांच फीसदी और अन्य मामलों के अन्दर... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब उप मुख्य सचेतक महोदय को बाहर निकाल दे। जो पक्ष में हो हां, कहे। उप मुख्य सचेतक को बाहर निकाल दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ कर रहे हैं बहुमत के आधार पर। आर्डर, आर्डर, मार्शल द्वारा बाहर निकाल दिया जाए। (व्यवधान) यह इशारा? इधर-उधर इशारा करने वाले सी. पी. जोशी साहब, शिक्षा मंत्री महोदय को बाहर निकाल दिया जाए। जो बाहर निकालने के पक्ष में हो, वह हां कहे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के अन्दर अशोक गहलोत की सरकार... (व्यवधान) काम कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग को पारित करने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001-2002 देश व प्रदेश के लिये आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। राज्य का जनमानस 11 सितम्बर को अमेरिका में और 13 दिसम्बर को भारत की संसद पर हुई आतंककारी घटनाओं, देश की सीमाओं पर व्याप्त तनाव एवं युद्ध जैसी स्थिति व अयोध्या विवाद से अछूता नहीं रहा है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में राज्य पुलिस ने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने में सफलता अर्जित की है। वर्ष के दौरान राज्य पुलिस ने अपराध नियन्त्रण, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम, विभिन्न चुनावों, मेले एवं त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पुलिस के सतत् प्रयासों एवं प्रदेश की जनता के सकारात्मक सहयोग से राजस्थान देश में एक अग्रणी शांतिपूर्ण राज्य बना हुआ है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

राज्य में वर्ष 2001-2002 में कतिपय दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर साम्प्रदायिक एवं सौहार्द बना रहा। कुछ असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा अजमेर जिले के कस्बा नसीराबाद एवं ब्यावर, बांसवाड़ा शहर, जिला भीलवाड़ा के कस्बा आसीन्द व पण्डेर, जिला बारां के ग्राम बालाखेड़ा, उदयपुर शहर, जिला सवाईमाधोपुर के कस्बा गंगापुर सिटी में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न की गयी परन्तु राज्य पुलिस द्वारा तुरन्त स्थिति को सम्भालकर शांति स्थापित कर ली गयी। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

हाल ही में पड़ोसी राज्य गुजरात में व्यापक स्तर पर हुई साम्प्रदायिक घटनाओं की लपटों की काली छाया ने इस राज्य को भी ग्रसित करने का प्रयास किया जिसके दौरान गुजरात सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी परन्तु पुलिस एवं प्रशासन की सूझबूझ, सतर्कता एवं समय पर किये गये व्यापक पुलिस बन्दोबस्त के कारण राज्य में साम्प्रदायिक स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया गया। यद्यपि जिला अजमेर के कस्बा मदनगंज एवं जिला डूंगरपुर के कस्बा सीमलवाड़ा में कुछ उन्मादी तत्वों द्वारा राजस्थान बन्द के दौरान साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की वजह से अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, उन पर तुरन्त काबू पा लिया गया है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

राजस्थान में अन्तरराष्ट्रीय सीमा, तस्करी, जासूसी, घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियों एवं अन्य सीमा सम्बन्धी अपराध-जैसे जटिल मुद्दों से भी राजस्थान को जूझना पड़ता है। पाक गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा राष्ट्र में आतंकवाद व अशांति फैलाने की कुटिल योजनाओं के बावजूद, राज्य पुलिस की सजगता एवं सतर्कता के कारण राज्य में आलोच्य वर्ष में आतंकवाद की कोई घटना घटित नहीं हुई है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

वर्ष 2001-2002 में राज्य पुलिस ने लगभग 41 लाख रुपये के जाली नोट बरामद कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने जैसे आई.एस.आई. के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। इनमें से एक प्रकरण में अन्तरराष्ट्रीय तस्कर दाऊद इब्राहिम के सम्पर्क से जाली नोटों की तस्करी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर 33.72 लाख रुपये के जाली नोट बरामद किये हैं। (व्यवधान)

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत राज्य में दर्ज कुल अपराधों की संख्या में वर्ष 1999 व 2000 की अपेक्षा निरन्तर गिरावट आयी है। विशेष रूप से डकैती, हत्या, लूट एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, राजस्थान के पुलिस कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सुविधा के लिए मैं मैस अलाउंस के लिए 50 रुपये मासिक बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। वैलफेयर फण्ड के लिए 25 लाख रुपये, बालीबाल फण्ड के लिए 15 लाख रुपये; उत्सव फण्ड के लिए 10 लाख रुपये और स्पोर्ट्स फण्ड के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा करता हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

इसी प्रकार कारागार के प्रहरियों के लिए भी 50 रुपये के मासिक बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। साथ ही हमारे होमगार्ड के जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनको मैस भत्ते के लिए 50 रुपये मासिक की घोषणा करता हूं। 5 लाख रुपये होमगार्ड के लिए और 5 लाख रुपये कारागार के लिए बेनवोलेंट फण्ड के लिए घोषणा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कारागार मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (राज्य मंत्री, कारागार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि मांग संख्या-17 को पास किया जाय। (व्यवधान)

मांग संख्या-16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,88,26,13,000/- (अक्षरे सात अरब, अट्ठासी करोड़, छब्बीस लाख, तेरह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17, कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,53,79,000/-(अक्षरे तीस करोड़, तरेपन लाख, उन्नासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2002 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.30 बजे गुरुवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2002 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-340 की सूची)

(मात्रा मै. टन में)

क्र. सं.	नाम जिला	प्रश्न के भाग-1 की सूची		प्रश्न के भाग-2 की सूची	
		चयनित बी.पी.एल. परिवार	दिये गये राशन कार्ड	एफ.सी.आई. से अनाज का उठाव	उठाये गये अनाज का दुकानों में वितरण
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	68632	68632	2580	2562
2.	अलवर	82553	82553	3342	3342
3.	बांसवाड़ा	171475	171475	6817	6753
4.	बारां	49783	49783	260	260
5.	बाड़मेर	82827	82827	3073	3037
6.	भरतपुर	53506	53506	1841	1645
7.	भीलवाड़ा	110523	110523	4346	4342
8.	बीकानेर	69385	69385	2768	2744
9.	बूंदी	47670	34588	2022	2734
10.	चित्तौड़गढ़	139657	139657	3522	3377
11.	चूरू	73588	73588	9082	3011
12.	दौसा	41237	39874	1944	1753
13.	धौलपुर	36053	36053	1063	1000
14.	डूंगरपुर	132077	132077	6230	6230
15.	श्रीगंगानगर	44122	44122	1889	1889
16.	हनुमानगढ़	49944	49944	2135	2135

2	3	4	5	6
17. जयपुर	75646	75646	2586	2648
18. जैसलमेर	20363	20363	815	815
19. जालौर	66688	66688	1078	1078
20. झालावाड़	59220	59220	2171	1996
21. झुंझुनूं	33413	33413	1519	1518
22. जोधपुर	42723	42723	1716	1716
23. करौली	67229	67229	2737	2738
24. कोटा	48704	48704	1656	1745
25. नागौर	64221	64221	3191	3203
26. पाली	68556	68556	3545	3584
27. राजसमन्द	59751	59751	2619	2565
28. सीकर	35329	35329	1541	1449
29. सिरोही	38551	38551	1912	1912
30. सवाईमाधोपुर	57436	57436	1141	1164
31. टोंक	63411	63411	2012	2204
32. उदयपुर	226988	226988	7057	7005
योग	**2281261**	**2266816**	**90210**	**84154**

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–341 की सूची)

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक उपलब्ध कराई गई औषधियों की सूची

क्र. सं.	नाम औषधि	पशु चिकि. टोडाभीम	पशु चिकि. नादौती	पशु चिकि. गुढ़ाचन्द्रजी	पशु चिकि. गढ़मोरा	पशु चिकि. केमला	पशु चिकि. सोप	पशु चिकि. कमालपुरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सस्पेंशन एल्बेंडाजोल 5 ली.	9	8	5	3	2	1	2
2.	केल्विमिन फोर्ट 2.5 किग्रा.	1	1	6	4	5	1	1
3.	ईंजे. कैलमीसोल 10 एम.एल.	15	5	15	10	5	5	5
4.	ईंजे. क्लोक्साम्प 2 ग्राम	5	23	23	10	5	2	—
5.	ईंजे. क्लोक्साम्प 500 एम.जी.	5	5	4	8	—	—	5
6.	ईंजे. ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन 100 एम.एल.	—	20	30	15	5	—	—
7.	ईंजे. ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन 30 एम.एल.	80	78	75	30	33	14	35
8.	ईंजे. कैल्शियम मेग बोरो गलूकोनेट 450 एम.एल.	10	8	10	6	6	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	बोलस सल्फा मिथोक्सोल ट्राइमिथोप्रिम	—	1	3	2	1	—	—
10.	बोलस सल्फाडिमिडिन	1	1	3	1	1	—	—
11.	लि. लिनिजीड 1 ली.	5	5	10	2	2	1	10
12.	ईंजे. टोनोरिसीन 30 एम.एल.	15	10	10	3	4	3	5
13.	ईंजे. क्लोरम फेनीकोल 1 ग्राम	—	5	—	—	—	—	—
14.	कापर सल्फेट 500 ग्राम	—	—	2	—	—	—	—
15.	ईंजे. एट्रोपीन 10 एम.एल.	—	10	3	—	—	—	—
16.	ईंजे. केटामीन 10 एम.एल.	—	10	—	—	—	—	—
17.	ईंजे. प्रीडीनीसेलोन 10 एम.एल.	—	10	—	—	—	—	—
18.	ईंजे. डेक्सट्रोज नोर्मल सेलाईन 500 एम.एल.	—	10	—	—	8	6	—
19.	ईंजे. डेक्सट्रोज 5डी 500 एम.एल.	—	—	9	—	—	—	—
20.	ईंजे. बेन्जाथीन पेनीसिलीन 48 लाख	—	4	24	—	—	—	—
21.	ईंजे. न्यू फेनिक 30 ली.	—	10	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	ओईन्टमेंट गामाबैन्जीन 100 ग्राम	—	—	5	—	—	—	—
23.	ईंजे. रिमोट वैट 30 एम.एल.	—	—	19	—	—	—	—
24.	ईंजे. रिमोट वैट 10 एम.एल.	—	5	20	—	—	—	—
25.	ईंजे. जेन्टामाईसीन 30 एम.एल.	—	15	10	—	—	—	—
26.	बोलम फोन्जोईल 1.5 ग्राम	—	10	100	—	—	—	—
27.	मेग सेल्फ 50 कि.ग्रा.	—	—	1	—	—	—	—
28.	ईंजे. सीपीएम. 30 एम.एल.	—	6	5	—	17	7	—
29.	पाविडीन आयोडीन सोल्यूशन	—	—	2	—	—	—	—

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या–342 का विवरण)

जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक गुडगांव नहर में प्राप्त पानी की सूचना (राजस्थान को)

क्र. सं.	जनवरी, 2001	फरवरी, 2001	मार्च, 2001	अप्रैल, 2001	मई, 2001	जून, 2001	जुलाई, 2001	अगस्त, 2001	सितम्बर, 2001	अक्टूबर, 2001	नवम्बर, 2001	दिसम्बर 2001	कुल योग (वर्ष 2001-02)
1.	1996 क्यूसेक दिवस	145 क्यूसेक दिवस	Nill	240 क्यूसेक दिवस	950 क्यूसेक दिवस	1293 क्यूसेक दिवस	1594 क्यूसेक दिवस	1352 क्यूसेक दिवस	668 क्यूसेक दिवस	1744 क्यूसेक दिवस	1234 क्यूसेक दिवस	354 क्यूसेक दिवस	11570 क्यूसेक दिवस

जनवरी, 2002	फरवरी, 2002	मार्च, 2002	कुल योग
1219 क्यूसेक दिवस	370 क्यूसेक दिवस	680 क्यूसेक दिवस	2269 क्यूसेक दिवस

जनवरी, 2001 से दिसम्बर, 2001 — 11570 क्यूसेक दिवस
जनवरी, 2002 से मार्च, 2002 — 2269 क्यूसेक दिवस

अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक प्राप्त पानी — 11698 क्यूसेक दिवस

परिशिष्ट–7

सिंचाई रकबा विधान सभा क्षेत्र कामां (भरतपुर)

क्र.सं.	नाम नहर/माइनर	रकबा एकड़ों में	विशेष विवरण
1.	पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी	1965	
2.	सरपुरा माइनर	516	
3.	अहलवाड़ा माइनर	272	
4.	वमनवाड़ी माइनर	132	
5.	घोसिजा माइनर	114	
6.	कन्चननेर माइनर	661	
7.	हथीन माइनर	1348	
8.	पोसर माइनर	423	
9.	जी.एम.सी.	1014	
10.	पाई डिस्ट्रीब्यूटरी	835	
11.	रसूलपुर माइनर	178	
12.	वामनी माइनर	200	
13.	नौगांवा माइनर	280	
14.	गावाड़ी माइनर	204	
15.	नौनेरा-I माइनर	480	
16.	नौनेरा सब माइनर	240	
17.	नौनेरा-II माइनर	240	
18.	किरावता माइनर	42	
19.	बम्वाड़ी माइनर	308	
20.	श्यालती माइनर	320	
21.	पालड़ी माइनर	140	
	योग	**9912 एकड़ (4013 हैक्टेयर)**	

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

जिला नागौर के आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सक के रिक्त पद

343. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर के किस-किस राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से किस-किस औषधालयों में कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किन-किन राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में स्वीकृत पदों से अधिक चिकित्सक पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत नागौर जिले में वर्तमान में 154 आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद चिकित्सक के 159 पद स्वीकृत हैं। औषधालयवार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है। नागौर जिले में आयुर्वेद चिकित्सक के वर्तमान में 26 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ''ख'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त जिले में निम्न दो आयुर्वेद औषधालयों में स्वीकृत एक-एक पद के विरुद्ध दो-दो आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित हैं :-

1. पून्दलू
2. चाण्डी

परिशिष्ट "क"

जिला नागौर में संचालित आयुर्वेद औषधालय एवं चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का विवरण (दिनांक 3.4.2002 की स्थिति)

(अ) **निम्न चिकित्सालय/औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सक के दो-दो पद स्वीकृत हैं :**

1. लाडनूं	2. मेड़ता सिटी	3. कुचामन सिटी
4. नागौर	5. सांजू	

(ब) **निम्न चिकित्सालयों/औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक का एक-एक पद स्वीकृत है :**

1. लादडिया	2. नावां	3. परबतसर
4. मकराना	5. मींडासरी	6. निम्बीजोधा
7. ओडिट	8. रायधना	9. रोडू
10. सिलनवाद	11. कुसुम्बी	12. आजवा
13. चौलूखां	14. दयालपुरा	15. पांलोट
16. छोटीबेरी	17. भदलिया	18. डाबड़ा
19. दौलतपुरा	20. केराप	21. कयामस
22. खरेश	23. छोटीखाटू	24. खुनखुना
25. कोलिया	26. मोलासर	27. बेडवा
28. निम्बोद	29. पायली	30. तोसीणा
31. बोडवा	32. डेह	33. गोराऊ
34. गोठमांगलोद	35. जायल	36. खिंयाला
37. रोहिणा	38. रोल	39. रोटू
40. सोमणा (सोगड़ा)	41. सुरपालिया	42. तरनाऊ
43. छीलो	44. भुन्डेल	45. अलाय

46. देऊ	47. करणू	48. मकोड़ी
49. श्रीबालाजी	50. टांकला	51. घूंटीसरा
52. बरणगांव	53. जोधियासी	54. साडोकण
55. बलाया	56. भदौरा	57. खजवाना
58. संखवास	59. रूण	60. फिडोद
61. धारणावास	62. पांचला सिद्धा, विश्नोइयों की ढाणी	
63. वार्ड बड़ली–नागौर	64. नाखाखुर्द	65. पांचला सिद्ध
66. आंकला	67. डांगावास	68. गगराना
69. लाम्बा जाटान	70. पून्दलू	71. रेण
72. ढाबा	73. मेड़ता रोड	74. हरसोलाव
75. ओलादन	76. सिहू	77. नोखा चान्दावता
78. डेगाना ग्राम	79. हरसौर	80. जाखेड़ा
81. जालसू खुर्द	82. चम्पाखेड़ी	83. किरोदा
84. निम्बडीकलां	85. पालड़ीकलां	86. डेगाना जंक्शन
87. राजलौता	88. बग्गड़	89. बड़ायली
90. दासावास	91. जसनगर	92. मोरेरा
93. रियांबड़ी	94. रोहिसा	95. आलनियावास
96. भैरून्दा	97. डोडियाना	98. सथानाकलां
99. टेहला	100. थांवला	101 अलतवा
102. भैयाकलां	103. मोरेड़	104. बरवाला
105. आसरवा	106. बोरावड़	107. बुडसू

108. चांडी	109. धानणवा	110. मनाणा
111. रामसिया	112. सबलपुर	113. बागोट
114. बवाल	115. बस्सी	116. बिल्वासिव
117. बिदियाद	118. चारणवास	119. हस्नावा
120. जावला	121. खिंदरपुरा	122. कुराड़ा
123. मंगलाना	124. नेणिया	125. पीलवा
126. पीपलाद	127. रिड	128. रोहिण्ड़ी
129. अडकसर	130. चितावा	131. चौसला
132. दैपुर	133. घाटवा	134. जीजोट
135. खारड़िया	136. लालास	137. लिचाणा
138. लूणवा	139. मारोठ	140. मीण्डा
141. नागवाड़ा	142. पांचोता	143. शिव
144. श्यामगढ़	145. हुडील	146. शिवदानपुरा
147. जिलिया	148. रूपपुरा टोरडा	149. तंवरा

इस प्रकार 5 औषधालय/चिकित्सलायों में (प्रत्येक में दो-दो) कुल 10 पद तथा 149 औषधालयों/चिकित्सालयों में (प्रत्येक में एक-एक) कुल 149 पद कुल 159 पद स्वीकृत हैं।

परिशिष्ट "ख"

नागौर जिलान्तर्गत संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों का विवरण जहां वर्तमान में (दिनांक 3.4.2002) को आयुर्वेद चिकित्सक का पद

क्र.सं.	नाम औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है
1.	कुचामनसिटी	जनवरी, 2002
2.	सांजू	मार्च, 1999
3.	बलाया	जून, 1999
4.	छोटी खाटू	फरवरी, 2001
5.	बेडवा	अगस्त, 2001
6.	चम्पाखेड़ी	दिसम्बर, 2000
7.	शोभना	जून, 1999
8.	गोठ मांगलोद	जुलाई, 2000
9.	चौसला	मार्च, 1999
10.	ढाबा	अगस्त, 2001
11.	मेनाना	मई, 2001
12.	रामसिया	जुलाई, 1999
13.	वार्ड बड़ाली–नागौर	नवीन स्थानान्तरित मार्च, 2002
14.	मोरेरा	अप्रैल, 2001
15.	सिंहू	जुलाई, 2000
16.	राजलौता	जनवरी, 2001
17.	ओलादान	जुलाई, 2001
18.	पायली	अगस्त, 2001
19.	खारड़िया	अगस्त, 2001
20.	धानणवा	मई, 1999
21.	रोटू	मार्च, 1999
22.	टांकला	अगस्त, 2001
23.	कुराड़ा	अगस्त, 2001
24.	हरसोर	जनवरी, 2000
25.	हैड	अगस्त, 2001
26.	मारोठ	1 अप्रैल, 2002

जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में गठित समितियां

344. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में जिलों में समितियां बनी हुई हैं? यदि हां, तो कौन–कौनसी समिति? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों की कम से कम कितने समय में एक बैठक होनी आवश्यक है? समितिवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समितियों की बैठकें नियमानुसार निर्धारित समय पर हो रही हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जिलों में लगभग 80 समितियां गठित की हुई है। कुछ जिलों की स्थानीय आवश्यकतानुसार कुछ अन्य समितियां भी जिलास्तर पर गठित की गई है। समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त समितियों में अधिकांश की बैठकें त्रैमासिक होनी आवश्यक है, परन्तु कुछ समितियों की बैठकें मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक होनी आवश्यक है।

(3) अधिकांश जिलों में महत्त्वपूर्ण समितियों की बैठकें समय पर हो रही हैं, परन्तु समितियों की संख्या अत्यधिक होने से हर समिति की बैठक समय पर नहीं हो पा रही है।

क्र.सं. 1	नाम समिति 2	बैठक का निर्धारित समय 3
1.	उचित मूल्य की दुकानों के कार्य की समीक्षा हेतु सतर्कता समिति	आवश्यकतानुसार
2.	जिला कार्यबल (रसद) समिति	आवश्यकतानुसार
3.	जिला स्तरीय आपराधिक प्रकरण समीक्षा समिति (न्यायालय में विचाराधीन)	त्रैमासिक
4.	फौजदारी एवं दण्डिक प्रकरणों की समीक्षा समिति	त्रैमासिक
5.	जिला अभियोजन एवं पुलिस समन्वय समिति	त्रैमासिक

1	2	3
6.	विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों की अवस्थिति के सम्बन्ध में समिति	त्रैमासिक
7.	अवैध मदिरा व्यवसाय नियंत्रण समिति	त्रैमासिक
8.	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार सतर्कता समिति	त्रैमासिक
9.	जिला पैरोल परामर्शी समिति	त्रैमासिक
10.	बन्धक श्रमिक सतर्कता समिति	द्विमासिक
11.	पुलिस कस्टडी में मृत्यु समीक्षा समिति	
12.	महिला अत्याचार निवारण एवं समीक्षा समिति	त्रैमासिक
13.	महिला विकास अभिकरण (शासकीय परिषद्)	अर्द्धवार्षिक
14.	समेकित बाल विकास एवं जिला पोषाहार समिति	
15.	महिला एवं बाल विकास अभिकरण की कार्यकारी समिति	त्रैमासिक
16.	महिला समृद्धि कार्यक्रम समिति	
17.	जिला राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम समिति	द्विमासिक
18.	मानव शक्ति आयोजना एवं रोजगार सृजन परिषद्	त्रैमासिक
19.	अनुसूचित जाति/जनजाति सह. निगम ऋण संवीक्षा समिति	
20.	जिलास्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति	मासिक
21.	जिलास्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (बीक्रीकर-प्रोत्साहन)	
22.	जिलास्तरीय अनुदान समिति	
23.	जिला हस्तशिल्प विकास समिति	वार्षिक
24.	जिला नगरीय विकास अभिकरण	त्रैमासिक

1	2	3
25.	सिटी मोनीटरिंग कमेटी	द्विमासिक
26.	पेंशन प्रकरण समीक्षा समिति	त्रमासिक
27.	अल्पबचत सलाहकार समिति	
28.	बैंकों की समन्वय समिति	
29.	बैंकों की मूल्यांकन समिति	
30.	बैंकों के डूबत ऋणों की वसूली हेतु समिति	त्रैमासिक
31.	जिला साक्षरता समिति	त्रैमासिक
32.	जिला उत्तर साक्षरता समिति	
33.	अनुसूचति जाति की लड़कियों हेतु शैक्षणिक विकास समिति	
34.	जिला पर्यावरण समिति	त्रैमासिक
35.	जिला पेयजल एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति	
36.	जिला कुष्ठ निवारण कार्यक्रम समिति	त्रैमासिक
37.	जिला अन्धता निवारण कार्यक्रम समिति	
38.	जिला क्षयरोग निवारण कार्यक्रम समिति	
39.	जिला कैंसर निवारण कार्यक्रम समिति	
40.	जिला आर.सी.एच. सोसायटी	प्रतिमाह
41.	जिला चिकित्सालय विकास सलाहकार समिति	
42.	जिला शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम समिति	
43.	जिला स्वास्थ्य समिति	
44.	मौसमी बीमारी निवारण समिति	

1	2	3
45.	प्रधानमंत्री रोजगार समीक्षा समिति	
46.	एस.जी.एस.वाई. समिति	प्रतिमाह
47.	सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) समिति	त्रैमासिक
48.	जे.जी.एस.वाई. समीक्षा समिति	
49.	अनियमित यातायात नियंत्रण समीक्षा समिति	त्रैमासिक
50.	सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति	त्रैमासिक
51.	जिला डेयरी टेक्नोलोजी मिशन समिति	
52.	जिला दुग्ध उत्पादक संघ समीक्षा समिति	
53.	जिला पशुपालन विकास समीक्षा समिति	
54.	मत्स्य विकास समीक्षा समिति	
55.	डेयरी टेक्नोलोजी निगरानी समिति	
56.	विद्युत उपभोक्ता अभाव अभियोग समिति	
57.	पाकिस्तान (आई.एस.आई.) से सम्बन्धित अवैध घुसपैठ समीक्षा समिति	प्रतिमाह
58.	जिलास्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति	त्रैमासिक
59.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम समिति	
60.	जिला जलग्रहण विकास समिति	त्रैमासिक
61.	गांधी ग्राम योजना शासकीय/कार्यकारी परिषद्	
62.	जिला (डी.पी.आई.पी.) परियोजना समन्वय समिति	
63.	इकाई लागत संशोधन समिति	वार्षिक

1	2	3
64.	भूमि मूल्य निर्धारण (रजिस्ट्रेशन एवं बिक्री हेतु) समिति	त्रैमासिक
65.	विद्यालयों के विकेन्द्रीकरण हेतु समिति	
66.	राजीव गांधी परम्परागत जल स्रोत समिति	
67.	जिला पर्यटन विकास समिति	त्रैमासिक
68.	जिला किसान सहायता समिति	
69.	जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्	
70.	जिला सैनिक परिषद्	त्रैमासिक
71.	रैफरल चिकित्सालयों के लिए मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी	
72.	जिला रेडक्रास सोसायटी	द्विमासिक
73.	अतिरिक्त राजस्व सृजन समिति	
74.	जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति	प्रतिमाह
75.	15 सूत्री स्वर्ण जयन्ती प्राथमिकताएं एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक व समीक्षा समिति	
76.	अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति	त्रैमासिक
77.	ग्रामीण रोजगार योजना समीक्षा व सतर्कता समिति	
78.	एस.जे.एस. समीक्षा समिति	
79.	वानप्रस्थ योजना समीक्षा समिति	
80.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम समिति	प्रतिमाह

जिला बारां की तहसील शाहबाद एवं किशनगंज में शराब की अवैध बिक्री

345. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां की तहसील शाहबाद व किशनगंज को ड्राई एरिया घोषित कर रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि ड्राई एरिया घोषित होने के बाद भी उक्त क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री चालू है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हो रही अवैध शराब की बिक्री को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त क्षेत्र ''ड्राई एरिया'' घोषित नहीं हैं, अवैध शराब की बिक्री हेतु जब भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही कर अवैध मदिरा की रोक-थाम की जाती है।

(3) जी हां। उक्त क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के सम्बन्ध में गत वर्ष में प्राप्त हुई शिकायतों एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। गत वर्ष में इस क्षेत्र में 19 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

(4) जी हां। अवैध शराब की बिक्री के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर आबकारी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम शिकायतकर्ता	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत की जिला कार्यालय में प्राप्त दि.	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित विषयक	दूषित शराब पीने से केलवाड़ा क्षेत्र में कई लोग बीमार।	प्रकाशित दिनांक 10.4.2001	प्रकरण की केलवाड़ा जाकर जांच करने तथा केलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर से सम्पर्क करने पर शिकायत झूठी पाई गई।
2.	श्री मनोज चौधरी प्रधान पंचायत समिति किशनगंज	सहंरिया आदिवासी सूखा किशनगंज/शाहबाद क्षेत्र में धड़ल्ले से ही रही अवैध देशी शराब की बिक्री पर रोक लगाने तथा छंटे व्यापारियों को लाखों रुपये लेकर दुकाने सबलेट करने बाबत।	10.5.2001	बाद जांच पाया गया कि उक्त क्षेत्र में अवैध मदिरा की दुकानें न होकर विभाग द्वारा नियमानुसार स्वीकृत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. को देशी मदिरा की 6 दुकानें व अनुज्ञाधारी द्वारा संचालित भा.नि.वि.म./बीयर की 9 दुकानें ही संचालित हैं।
3.	श्री कमल शर्मा पत्रकार एवं सदस्य सर्तकता समिति भंवरगढ़	शाहबाद उपखण्ड में ड्राई एरिया होने के बावजूद आबकारी विभाग व पुलिस की मिलीभगत से चल रहे अवैध शराब के कारोबार के सम्बन्ध में।	10.5.2001	शिकायत गलत व निराधार पाई गई। शिकायतकर्ता का यह कहना कि यह क्षेत्र ड्राई जोन है, गलत है। विभाग द्वारा इस जनजाति क्षेत्र में नियमानुसार देशी मदिरा की 6 दुकानें तथा भा.नि.वि.म./बीयर की 9 दुकानें स्वीकृत कर रखी है। शिकायतकर्ता का यह कथन कि आबकारी विभाग व पुलिस की मिलीभगत से अवैध करोबार संचालित है पूर्णतया गलत है।

1	2	3	4	5
4.	प्रबन्धक वित्त (राज.) राज्य गंगानगर शुगर मिल्स, कोटा	देशी मदिरा दुकान समरानिया के पास मदिरा की अवैध बिक्री के सम्बन्ध में।	4.7.2001	जांच के दौरान देशी मदिरा दुकान समरानिया के सैल्समैन ने बताया कि वर्तमान में अवैध शराब की बिक्री नहीं हो रही है। इस सूचना को तस्दीक मुखविरा से करने पर उनके द्वारा भी शराब के अवैध बेचान की शिकायत को गलत बताया।
5.	श्री हेमाज जैन (मन्नूजी) मण्डल अध्यक्ष भा.ज.पा. छीपाबड़ौद	बारां जिले के शराब ठेकेदार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब के ठेके कायम करने बाबत।	11.7.2001	जिले में अनुज्ञाधारी द्वारा देशी मदिरा की 102 दुकानें तथा 21 स्थानों पर भा.नि.वि.म./बीयर की दुकानें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 6 स्थानों पर राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. को देशी मदिरा की दुकानें नियमानुसार संचालित है। शिकायत में उल्लिखित तथ्य कि विभाग को मिलीभगत से ऐजेंट बनाकर अवैध रूप से शराब का बेचान किया जा रहा है, गलत व निराधार है।
6.	ब्रह्मानन्द शर्मा जिलाध्यक्ष भा.ज.पा. युवा मोर्चा, बारां	बारां जिले के सूखा क्षेत्र घोषित किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में देशी व अंग्रेजी शराब बेची जाने बाबत "ज्ञापन"।	24.7.2001	जिले में कोई भी क्षेत्र सूखा क्षेत्र घोषित किया हुआ नहीं है बल्कि किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में विभाग द्वारा भा.नि.वि.म. एवं बीयर की 9 दुकानें तथा देशी मदिरा की राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा संचालित 6 दुकानें स्वीकृत है।
7.	जिला कलक्टर, बारां	ग्राम दांता जगदीशपुरा से देशी मदिरा की दुकान हटाने बाबत।	29.12.2001	ग्राम दांता जगदीशपुरा में देशी मदिरा की कोई दुकान संचालित नहीं है।

1	2	3	4	5
8.	प्रबन्धक (वित्त) राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि., कोटा	भंवरगढ़ दुकान के पास श्री चन्द्रमोहन गुर्जर द्वारा अवैध मदिरा की बिक्री बन्द करवाने बाबत।	22.11.2002	परिवाद की जांच के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमोहन गुर्जर के घर पर दबिश दी गई तो आबकारी एतराज वस्तु नहीं मिली। चन्द्रमोहन गुर्जर विकलांग है तथा तीन पहियों की बाइसिकल के बिना चल फिर नहीं सकता है। शिकायत झूठी पाई गई।

जिला पाली के राजस्व ग्रामों की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

346. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील रायपुर (पाली) के राजस्व गांव बिरांटिया कलां, रामगढ़, सेडौतान, खींवल तथा तहसील सोजत के राजस्व गांव खोडिया में पेयजल योजना हेतु सरकार द्वारा कौन से वर्ष में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत उक्त योजनाओं से जनता को पेयजल उपलब्ध हो रहा है? यदि नहीं, तो पेयजल उपलब्ध नहीं करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब क्या राज्य सरकार उक्त पेयजल स्कीमों को कब तक चालू करने का विचार रखती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील रायपुर (पाली) के राजस्व गांव बिरांटिया कलां रामगढ़ सोडेतान, खीवल तहसील सोजत के राजस्व गांव खोडिया में विभिन्न वर्षों में स्वीकृत जलयोजना का विवरण मय राशि एवं क्रियान्वित के परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। ग्रामवार पेयजल की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(अ) बिराटिया कलां की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 1766 है। इस गांव को वर्ष 1981-82 में हैण्ड पम्प जलयोजना से लाभान्वित किया गया। वर्ष 1990 में इस गांव हेतु राशि रुपये 12.65 लाख लागत की आगुमेंटेशन योजना स्वीकृत की जिसके अन्तर्गत गांव बर में नलकूप का निर्माण किया गया किन्तु बर के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ग्रामवासियों के विरोध स्वरूप इस नलकूप को बिराटियां कलां हेतु डाली गई वितरण लाइन से नहीं जोड़ने दिया गया। वर्ष 2002 में ग्राम में एक नलकूप का प्रावधान लेकर 1.08 लाख रुपये लागत की योजना स्वीकृत की गई है। अप्रैल, 2002 के प्रथम सप्ताह में इस नलकूप का निर्माण करवाया गया। नलकूप की जल गुणवत्ता पीने योग्य नहीं है। वर्तमान में इस गांव में 5 हैण्ड पम्प कार्यरत है जिनका पानी पीने योग्य है।

(ब) **रामगढ़ साडेतान :** 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 1151 है। इस गांव को वर्ष 1981-82 में हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित किया गया। वर्ष 1990 में 9.37 लाख रुपये लागत की योजना स्वीकृत की गई जिसमें 1 खुले कुएं व भूतल जलाशय का प्रावधान था। खुले कुओं का निर्माण कर उसको विद्युतीकृत किया गया। ग्रामवासियों की मांग थी भूतल जलाशय पहाड़ी पर बनाकर बिखरी बस्ती में भी पी.एस.पी. लगावें। ऐसा प्रावधान स्वीकृत योजनाओं में नहीं होने के कारण इसकी क्रियान्विति सम्भव नहीं थी। अत: गांव वालों ने कुएं को नहीं चलने दिया। वर्तमान में कुआं सूखा है। नीचे चट्टान के कारण गहरा करवाना सम्भव नहीं है। वर्तमान में इस गांव में 10 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं जिनका पानी पीने योग्य है।

(स) **खीवल :** यह रायपुर गांव की ढाणी थी, जिसे बाद में राजस्व गांव घोषित किया गया है। रायपुर शहरी क्षेत्र घोषित होने से इसे रायपुर शहर में शामिल किया गया वर्तमान में रायपुर में ग्राम पंचायत कार्यरत है। इस बस्ती की आबादी लगभग 600 है जिसके लिए वर्ष 1991 में 8.50 लाख रुपये लागत की योजना स्वीकृत हुई जिसे प्रावधानों के अनुसार नलकूप बनाकर वर्ष 1998 में चालू की। जनता जलयोजना के तहत अक्टूबर, 2000 में ग्राम पंचायत को सौंपी गई। जून, 2001 में मोटर पम्प खराब हो जाने से योजना बंद पड़ी है। वर्तमान में इस बस्ती में 6 हैण्ड पम्प कार्यरत है जिनका पानी पीने योग्य है।

(द) **खोडिया :** 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 1723 है। वर्ष 1980 में हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की गई। वर्ष 1998 में 19.58 लाख लागत पर जनता जलयोजना में पनघट योजना स्वीकृत की जिस पर अब तक 15.56 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। 2 कुएं, पाइप लाइन, विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर दिये गये है। भूतल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जलाशय हेतु पंचायत द्वारा 2/2002 में जमीन आबंटित की गई जिसका निर्माण प्रगति में है। मई, 2002 में योजना को पंचायत को सौंपना लक्षित है। वर्तमान में इस गांव में 14 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं जिनका पानी पीने योग्य है।

(2) **(अ) बिराटियां कलां** : वर्तमान में 5 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। यद्यपि इस गांव हेतु बर में नलकूप बनवाकर पाइप लाइन डाल दी गई थी तथापित बर ग्रामवासियों के विरोध के कारण पानी नहीं पहुंचाया जा सका। ग्राम में अभी बनवाये गये नये नलकूप में भी पानी पेयजल गुणवत्ता के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ।

(ब) रामगढ़ सोडेतान : वर्तमान में 10 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। यद्यपि गांव में खुले कुएं का निर्माण करवाया गया तथापि पानी सूख जाने के कारण कुएं का उपयोग नहीं हो सका।

(स) खींवल : वर्तमान में 6 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। जनता जल योजना का पम्पिंग सैट ग्राम पंचायत द्वारा ठीक नहीं करवाने के कारण नलकूप में पेयजल उपलब्ध नहीं हैं।

(द) खोडिया : वर्तमान में 14 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। जनता जलयोजना का निर्माण कार्य प्रगति में है। कार्य पूर्ण कर योजना ग्राम पंचायत को संधारण हेतु मई, 2002 में सौंपना लक्षित है।

(3) बिराटिया कलां तथा रामगढ़ सोडेतान हेतु के भूगर्भ में या तो पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध जल की गुणवत्ता पीने योग्य नहीं है।

बिराटिया कलां के लिए अप्रैल, 2002 में बने नलकूप के असफल हो जाने के पश्चात् भूजल वैज्ञानिक ने झिलमिल बांध (बिराटिया खुर्द) में नलकूप का स्थान तय कर दिया है। इसी अनुसार नलकूप सफल होने पर पाइप लाइन से जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है।

रामगढ़ सोडेतान हेतु भूजल वैज्ञानिक ने ग्राम सेन्दड़ा के नजदीक नलकूप बनाने के लिए स्थान तय कर दिया है। इसी अनुसार नलकूप सफल होने पर पाइप लाइन से जोड़ने की योजना शीघ्र तैयार की जा रही है।

ग्राम खींवल हेतु मोटर पम्प सैट रिपेयर करवा कर शीघ्र पेयजल वितरण पुनः शुरू किया जा रहा है।

ग्राम खोडिया के सन्दर्भ में स्थिति भाग 1 व 2 के उत्तर में निहित है।

परिशिष्ट "अ"

स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि लाखा में	व्यय राशि लाखों में	कार्य जो पूर्ण कर दिए	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	(अ) बिराटिया कलां					
1.	हैण्ड पम्प योजना बिराटिया कलां	1980	0.892	0.892	8 हैण्ड पम्प का निर्माण	प्रावधान के अनुसार योजना को पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया।
2.	आगुमेंटेशन बिराटिया कलां, धोलीधेड़	1990	12.65	11.60	ग्राम बर में नलकूप निर्माण, विद्युतीकरण पाइप जोड़ने बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया।	प्रावधान के अनुसार योजना पूर्ण कर दी किन्तु बर ग्रामवासियों के विरोध के कारण योजना से पेयजल बिराटिया कलां को उपलब्ध नहीं हो पाया। नलकूप का उपयोग ग्राम बर के लिए किया जा रहा है।
3.	हैण्ड पम्प एस.सी./ एस.टी. बस्ती बिराटिया कलां	1994	0.43	0.43	1 हैण्ड पम्प का निर्माण	प्रावधान के अनुसार योजना को पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया।

1	2	3	4	5	6	7
4.	पशु पेयजल योजना बिराटिया कलां	1994	1.14 (डीडीपी)	1.14	50 कि.ली. क्षमता के भूतल जलाशय का निर्माण	निर्माण पूर्ण की वर्ष 1998 में निम्बाज-सेंदड़ा पाइप लाइन से जोड़ा गया है। किन्तु ब्यावर योजना के निम्बाज स्थित स्रोत सूख जाने के निम्बाज सेंदड़ा पाइप लाइन वर्तमान में बन्द है।
5.	ग्रीष्मकालीन योजना बिराटिया कलां	2002	1.08	–	नलकूप निर्माण हेतु स्थान का चयन ज्योफिजिकल सर्वेक्षण पश्चात् कर लिया गया है।	प्रावधान के अनुसार नलकूप का निर्माण करवाया गया किन्तु नलकूप से प्राप्त जल गुणवत्ता पीने योग्य नहीं है।
	(ब) रामगढ़ सोडेतान					
1.	हैण्ड पम्प योजना रामगढ़ सोडेतान	1980	0.89	0.89	8 हैण्ड पम्प निर्माण	निर्माण पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया है।
2.	आगुमेंटेशन योजना रामगढ़ सोडेतान	1985	0.20	0.20	1 हैण्ड पम्प निर्माण	निर्माण पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मानपुरा-रामगढ़ सोडेतान	1990	9.37	10.72	कुआं निर्माण, विद्युतीकरण एवं 200 मीटर पाइप लाइन बिछाई गई। 2 हैण्ड पम्प का निर्माण कर चालू किया गया।	स्वीकृत प्रावधान के विपरीत रामगढ़ सोडेतान में भूतल जलाशय को ग्रामीणों द्वारा पहाड़ी पर बनाकर गांव की बस्तियों में सार्वजनिक नल से पेयजल वितरण की मांग किये जाने के कारण योजना को चालू नहीं किया जा सका। लगातार अकाल पड़ने के कारण अब कुआं सूख गया है एवं नीचे चट्टान आ जाने से इससे पेयजल वितरण करना सम्भव नहीं है।
	(स) खींवल					
1.	जलप्रदाय योजना खींवल (रायपुर की अन्य बस्ती)	1991	8.50	3.80	खींवल में नलकूप निर्माण, विद्युतीकरण, 50 किलो लीटर क्षमता का भूतल जलाशय निर्माण एवं पाइप लाइन कार्य पूर्ण।	प्रावधान के अनुसार योजना का कार्य पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया है। वर्तमान में योजना जनता जलयोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा संधारित की जा रही है। मोटर जल जाने के कारण योजना बन्द है।

1	2	3	4	5	6	7
	(द) खोडिया					
1.	हैण्ड पम्प योजना खोडिया	1980	0.78	0.78	7 हैण्ड पम्प निर्माण	प्रावधान के अनुसार योजना का कार्य पूर्ण कर लाभान्वित कर दिया गया।
2.	कनवर्जेशन पेयजल योजना खोडिया	1998	19.58	15.56	2 खुला कुआं निर्माण, विद्युतीकरण, पाइप लाइन कार्य पूर्ण। भूतल जलाशय निर्माण कार्य प्रगति पर।	प्रावधान के अनुसार योजना का कार्य किया जा रहा है। माह फरवरी, 2002 में उपयुक्त भूमि आबंटन पश्चात् 2 भूतल जलाशय का निर्माण करवाया जा रहा है। शेष कार्य पूर्ण कर दिया गया है। माह मई, 2002 में जनता जलयोजना के तहत हस्तान्तरण लक्षित है।

राज्य में श्रमिक एवं श्रम कल्याण हेतु आबंटित राशि

347. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान राज्य में श्रमिक एवं श्रम कल्याण के तहत रोजगार मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्षों के अन्त तक उक्त आबंटित राशि का उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो कितनी-कितनी बजट राशि अनुपयोगी रही? उक्त के लिए कौन-कौन उत्तरदायी ठहराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्षों में अनुपयोगी रहे बजट से श्रम कल्याण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रम विभाग में रोजगार मद नाम से कोई मद नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या-348

(स्थगित)

ग्राम पिलोवनी (पाली) में निर्मित पशु चिकित्सालय भवन

349. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं जिनके भवन राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित हैं परन्तु वहां पर पशु चिकित्सालय नहीं हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्मित चिकित्सालय भवन कितने समय से अनुपयोगी हैं? क्या ऐसे भवनों में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) ग्राम पिलोवनी में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कब हुआ तथा किन कारणों से वह बेकार पड़ा है? क्या उक्त भवन पर लगाई गई सरकारी राशि का अपव्यय हुआ है? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) अब उक्त भवन में पशु चिकित्सालय कब तक प्रारम्भ हो जाएगा?

उत्तर

(1) जिला पाली में पशु चिकित्सालय, गोदावास का भवन जिला ग्रामीण विकास

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

अभिकरण द्वारा बनाया गया है, वहां पशु चिकित्सालय स्वीकृत है, किन्तु चल नहीं रहा है।

(2) उक्त पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण वर्ष 2000-2001 में पूर्ण हुआ है। जी हां। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन किया जा सकेगा।

(3) ग्राम पिलोवनी में स्वीकृत उप केन्द्र के भवन का निर्माण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2000-2001 में हुआ है जो अभी तक अपूर्ण है। उप केन्द्र में पशुधन सहायक का पदस्थापन नहीं होने के कारण भवन का उपयोग नहीं हो सका है। राशि का अपव्यय नहीं हुआ है।

(4) पदस्थापन होने पर उप केन्द्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

राजस्व अभिलेखों की नकल शुल्क में वृद्धि

350. **श्री जसवंत सिंह गुर्जर** (बाड़ी) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किसान को नक्शा, पर्चा खतोनी, नामान्तरण, फर्द मिसल, क्षेत्रफल खसरा, जमाबन्दी दस्तावेज की नकल लेने हेतु कितनी फीस वर्तमान में देनी पड़ रही है? क्या सरकार राजस्व अभिलेखों की नकल दरों को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी-कितनी?

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अभिलेखों की नकल लेने की दरों में दो गुना व तत्काल नकल लेने पर चार गुना बढ़ोतरी के प्रस्ताव मंत्री स्तर पर अनुमोदित हो चुके हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब से लागू करने का विचार रखती है?

(3) क्या विभिन्न भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी तहसील को कम्प्यूटराइज अब तक किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में किसानों को राजस्व मण्डल एवं जिला कलक्टरों के अधीन कार्यालयों द्वारा संधारित राजस्व रिकार्ड तथा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-प्रबन्ध सम्बन्धी संधारित रिकार्ड की नकलें लेने हेतु वर्तमान में निम्नप्रकार फीस जमा कराने पर वांछित रिकार्ड की नकल उपलब्ध करवाई जाती है :-

नाम अभिलेख	परिमाण	फीस (रुपयों में)
राजस्व मण्डल/जिला कलक्टरों के अधीनस्थ कार्यालय		
नक्शा	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	20.00
नामान्तरकरण	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00
खसरा	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00
जमाबन्दी चौसाला	10 ख.नं. तक	10.00
	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	5.00
भू-प्रबन्ध विभाग से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड		
नक्शा	100 खसरें तक	7.00
पर्चा खतौनी	–	8.00
फर्द मिलान क्षेत्रफल	–	13.00
खसरा	–	13.00
जमाबन्दी (मिसल बंदोबस्त)	–	13.00

फर्द मिसल, क्षेत्रफल खसरा नाम से कोई राजस्व अभिलेख नहीं है।

राजस्व मण्डल एवं जिला कलक्टरों के अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों द्वारा संधारित राजस्व अभिलेखों की नकलें जारी करने की वर्तमान दरों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उनके यहां संधारित उपलब्ध अभिलेख की नकलों की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं, जो परीक्षणाधीन हैं।

(2) राजस्व मण्डल एवं जिला कलक्टरों के अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों द्वारा संधारित राजस्व अभिलेखों की नकलें जारी करने की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी के कोई प्रस्ताव नहीं हैं। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उनके यहां संधारित उपलब्ध अभिलेखों की नकलों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं, जो परीक्षणाधीन हैं।

(3) जी हां। भू-अभिलेख जमाबंदियों का 202 तहसीलों में डेटा एंट्री का कार्य पूर्ण किया जाकर 118 तहसीलों को क्रियाशील (आपरेशनल) किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-'ए' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "ख"

राजस्व भू-अभिलेखों (जमाबंदियों) के कम्प्यूटरीकरण का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	कुल तहसीलों की संख्या	एल.आर.सी. के तहत डेटा एंट्री का कार्य की जा चुकी तहसीलें	क्रियाशील तहसीलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	9	6	4
2.	अलवर	12	7	6
3.	बारां	8	8	3
4.	बांसवाड़ा	5	4	4
5.	बाड़मेर	8	8	8
6.	भरतपुर	10	9	1
7.	भीलवाड़ा	12	12	5
8.	बीकानेर	8	7	3
9.	बून्दी	5	5	2
10.	चित्तौड़गढ़	13	10	6
11.	चूरू	6	6	6
12.	दौसा	5	4	2
13.	धौलपुर	5	4	0
14.	डूंगरपुर	4	3	3
15.	गंगानगर	9	2	0
16.	हनुमानगढ़	7	3	0

1	2	3	4	5
17.	जयपुर	13	12	6
18.	जैसलमेर	3	3	0
19.	जालौर	7	7	7
20.	झालावाड़	7	7	3
21.	झुंझुनूं	6	5	5
22.	जोधपुर	7	6	6
23.	करौली	6	6	3
24.	कोटा	5	3	3
25.	नागौर	10	9	3
26.	पाली	9	9	6
27.	राजसमन्द	7	7	3
28.	सवाईमाधोपुर	7	5	3
29.	सीकर	6	5	3
30.	सिरोही	5	4	4
31.	टोंक	7	7	6
32.	उदयपुर	10	9	4
	योग	**241**	**202**	**118**

इन्दिरा गांधी नहर की पोकरण लिफ्ट के अनुपयोगी पम्पिंग स्टेशन

351. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर की पोकरण लिफ्ट के कितने पम्पिंग स्टेशन निर्मित हो चुके हैं तथा बाकी कितने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पोकरण लिफ्ट का पम्पिंग चौथा स्टेशन जो प्रस्तावित था वह योजना में निरस्त कर दिया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि तीसरे स्टेशन के बाद निर्माण किया गया है, वह निर्माण क्या है तथा उक्त पर कितनी राशि व्यर्थ में व्यय की जा चुकी है?

(4) क्या उक्त अपव्यय की जिम्मेदारी विभागीय निर्णय है? क्या उक्त की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पोकरण लिफ्ट को विद्युत से जोड़कर योजना को प्रारम्भ करने का आगामी वित्तीय वर्ष में विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर की पोकरण लिफ्ट पर छह पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित है। वर्तमान में तीन पम्पिंग स्टेशन निर्माणाधीन हैं। बाकी तीन पम्पिंग स्टेशन बनाने प्रस्तावित हैं।

(2) जी नहीं। मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता वाली इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की निर्देशन समिति ने पोकरण लिफ्ट के चौथे पम्पिंग स्टेशन को निरस्त नहीं किया है, अपितु मात्र यह निर्देश दिया है कि जिन पम्पिंग स्टेशनों का कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहां अभी कार्य आरम्भ नहीं किया जाए।

(3) जी हां। पम्पिंग स्टेशन संख्या 3 के नीचे वितरण प्रणाली, चूडावाली वितरिका, रोला वितरिका एवं ब्रांच नहर का कार्य पूर्ण किया गया है ताकि पम्पिंग स्टेशन संख्या 3 से छोड़ा गया पानी स्व-बहाव से पम्पिंग स्टेशन नं. 4 तक के क्षेत्र को सिंचित कर सकें। इस पर कुल रुपये 769 लाख राशि अब तक खर्च की गई है। यह व्यय व्यर्थ नहीं है, क्योंकि पम्पिंग स्टेशन संख्या 3 के पश्चात् पम्पिंग सं. 3 के पश्चात् पम्पिंग स्टेशन संख्या 4 तक पानी स्वतः ही चलेगा।

(4) जी नहीं। निर्माण कार्य योजनाबद्ध तरीके से ही करवाया जाता है ताकि प्रणाली पूर्ण होते ही उसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। अतः जांच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) जी हां।

उप पंजीयक कार्यालय जयपुर में नियम विरुद्ध कार्य

352. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों पर ''साम्प्रदायिक सद्भाव'' अंकित स्टीकर लगाना अनिवार्य कर रखा है? यदि हां, तो किस प्रकार के आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में स्थानीय कर्मचारियों द्वारा मनचाहे राशि के स्टीकर अंकित करना दस्तावेजों के लिए आवश्यक कर रखा है? यदि हां, तो किसके आदेश से?

(3) क्या उक्त सम्बन्धित अधिकारी को उक्त की शिकायत जनता से प्राप्त हुई? यदि हां, तो उक्त की जांच कब की गई तथा जांच के क्या परिणाम रहे और जांच परिणाम के आधार पर किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्त (ग्रुप-4) विभाग द्वारा जारी पत्रांक एफ. 2(9) ग्रुप-4/99 दिनांक 9.11.2000 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-1) नेशनल फाउण्डेशन कम्यूनल हारमनी, नई दिल्ली के निर्देशों (प्रति संलग्न परिशिष्ट-2) के संदर्भ में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था। (प्रतिं संलग्न परिशिष्ट-3)

(2) जी नहीं। चूंकि जिला कलक्टर, जयपुर ने नेशनल फाउण्डेशन फोर कम्यूनल हारमनी, नई दिल्ली से प्राप्त ''साम्प्रदायिक सद्भावना'' स्टीकर को बेचने हेतु उप पंजीयक के सहयोग की अपेक्षा की गई थी। इन स्टीकर की कोई राशि निश्चित नहीं की गई थी। अतः लोगों की इच्छानुसार योगदान लिया जाकर उन्हें स्टीकर बेचे गये। वर्तमान में दिनांक 2.2.2002 से इस प्रकार की राशि एकत्रित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। जयपुर के समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित होने पर उक्त तथ्य विभाग की जानकारी में आया जिस पर विभाग द्वारा दिनांक 3.1.2002 को जांच करवाई गई। जांच में अवैध वसूली करना साबित नहीं पाया गया। ''साम्प्रदायिक सद्भाव'' स्टीकर जबरन रूप से दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताओं को नहीं दिये गये, ऐच्छिक रूप से ही दिये गये हैं। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभाग द्वारा समस्त उप पंजीयक को परिपत्र क्रमांक 1/2002 दिनांक 2.2.2002 जारी किया गया जिसमें मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई राशि वसूल नहीं करने के निर्देश विभाग द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। (प्रति संलग्न परिशिष्ट-4)

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही की अनुपयोगी टंकियां

353. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में ऐसे कितने गांव हैं जहां के नागरिक 3 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने को अभिशप्त हैं? इन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में ऐसी कितनी टंकियां हैं जिन्हें निर्माण के पश्चात् पेयजल आपूर्ति से अब तक नहीं जोड़ा गया है?

उत्तर

(1) अगस्त, 2001 में विभाग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार जिला सिरोही में 32 गांवों में स्थानीय स्रोत के जल में फ्लोराइड की मात्रा 3 पी.पी.एम. से अधिक है। इन 32 गांवों में से 14 गांवों हेतु क्षेत्रीय योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा इन पर कार्य प्रगति में है। 8 गांवों हेतु उचित जल स्रोत तलाश कर योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। शेष 10 गांवों हेतु भू-जल वैज्ञानिक द्वारा उचित जल स्रोत की खोज करवाई जा रही है। 8 गांवों हेतु योजना सही पाये जाने पर प्राथमिकता एवं संसाधन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव होगा। शेष 10 गांवों हेतु उचित स्रोत मिलने के पश्चात् योजना बनाने आदि की कार्यवाही सम्भव होगी। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सिरोही विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न क्षमता के 41 सर्विस रिजर्वायर, 19 स्वच्छ जलाशय एवं 76 भूतल जलाशय स्थापित हैं जिनमें से 3 भूतल जलाशयों को पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है। ये तीनों माह जनवरी, 2002 में ही बने हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' में संलग्न हैं।

परिशिष्ट "अ"

सिरोही जिले में फ्लोराइडयुक्त गांवों का विवरण पोस्ट मानसून सर्वे
दिनांक 6.8.2001 एवं 8.8.2001

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	कोड नं.	फ्लोराइड की मात्रा (in PPM)	वर्तमान योजना	जनसंख्या 1991	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चुरली खेड़ा	पिण्डवाड़ा	34	6.15	हैण्ड पम्प	339	
2.	खोखरी खेड़ा	पिण्डवाड़ा	37	5.20	हैण्ड पम्प	466	
3.	खाखरवाड़ा	पिण्डवाड़ा	69	3.96	हैण्ड पम्प	1660	योजना स्वीकृति हेतु प्रारूप तैयार है
4.	फुलाभाई का खेड़ा	पिण्डवाड़ा	71	7.55	हैण्ड पम्प	1293	,,
5.	सांगवाड़ा	पिण्डवाड़ा	72	4.63	हैण्ड पम्प	505	,,
6.	पंचदेवल	पिण्डवाड़ा	73	5.05	हैण्ड पम्प	1453	,,
7.	ब्लाक नं. 2	पिण्डवाड़ा	74	4.55	हैण्ड पम्प	120	
8.	कोटड़ा (पी)	पिण्डवाड़ा	75	6.44	हैण्ड पम्प	355	
9.	पीठारी पादर	पिण्डवाड़ा	96	4.01	हैण्ड पम्प	797	
10.	मेरमंडवाड़ा	सिरोही	72	4.18	पाइप्ड	3208	
11.	मोहब्बत नगर	सिरोही	19	6.64	पाइप्ड	3312	संवर्धन योजना स्वीकृति
12.	नुन	सिरोही	44	4.98	क्षेत्रीय	1555	,,
13.	निम्बोड़ा	सिरोही	45	3.89	हैण्ड पम्प	401	,,
14.	कोटड़ा	सिरोही	50	3.56	हैण्ड पम्प	90	योजना स्वीकृति हेतु प्रारूप तैयार है

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पादरू खेड़ा	सिरोही	68	3.51	हैण्ड पम्प	72	
16.	धान्ता	सिरोही	59	3.54	हैण्ड पम्प	1126	योजना स्वीकृति हेतु प्रारूप तैयार है।
17.	माकरोड़ा	सिरोही	60	4.53	हैण्ड पम्प	1492	,,
18.	अनापुरा	रेवदर	6	4.13	हैण्ड पम्प	1332	,,
19.	डांगरली	रेवदर	12	4.98	हैण्ड पम्प	523	क्षेत्रीय जल योजना स्वीकृत
20.	नागाणी	रेवदर	13	3.72	पनघट	1821	,,
21.	सारण का खेड़ा	रेवदर	39	6.86	हैण्ड पम्प	482	,,
22.	जीरावल	रेवदर	40	3.46	हैण्ड पम्प	2034	,,
23.	आमथला	आबूरोड	11	4.73	पाइप्ड	2112	,,
24.	क्यारा	आबूरोड	12	5.08	हैण्ड पम्प	221	
25.	करौली	आबूरोड	16	4.37	क्षेत्रीय	949	योजना स्वीकृत
26.	तलवारों का नाका	आबूरोड	20	5.47	पनघट	1020	योजना स्वीकृत
27.	माही खेड़ा	आबूरोड	30	4.03	हैण्ड पम्प	1072	योजना स्वीकृत
28.	आंदलिया	आबूरोड	34	5.80	हैण्ड पम्प	570	
29.	आवल	आबूरोड	35	3.39	हैण्ड पम्प	1941	योजना स्वीकृत
30.	रेडवाकला	आबूरोड	38	3.60	हैण्ड पम्प	1355	
31.	जुबलीगंज	शिवगंज	3	3.93	पनघट	900	योजना स्वीकृत
32.	वाण	शिवगंज	19	4.16	पनघट	1346	योजना स्वीकृत

परिशिष्ट "ब"

पेयजल योजना से जोड़नी शेष टंकियों की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थान	निर्माण वर्ष	वर्तमान स्थिति
1.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भेव अन्दोर	मोरनी	जनवरी, 2002	नलकूप असफल रहने के कारण नहीं जोड़ी जा सकी। नये नलकूप की स्वीकृति है, खोदा जाना शेष है।
2.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भेव अन्दोर	सगालिया	जनवरी, 2002	पाइप लाइन स्वीकृत है, जोड़ने बिछाने का कार्य शेष है।
3.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भेव अन्दोर	सरदारपुरा	जनवरी, 2002	पाइप लाइन स्वीकृत है, जोड़ने बिछाने का कार्य शेष है।

उदयपुरा सम्भाग के श्रमिकों को श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ

354. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 के तहत उदयपुर सम्भाग के कितने श्रमिकों ने उक्त योजना का लाभ जीवन बीमा निगम के माध्यम से उठाया है? पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सामाजिक सुरक्षा योजना में कृषि श्रमिकों को वर्ष में कितने रुपये देने पड़ते हैं और कितने वर्षों तक वार्षिक राशि जमा कराने पर कृषि श्रमिक को लाभ प्राप्त होता है?

(3) उक्त योजना के तहत सामान्य मृत्यु व दुर्घटना में हुई मृत्यु पर बीमा कराये श्रमिक को कितनी राशि प्राप्त होती है?

(4) क्या उक्त योजना में पेंशन का भी कोई प्रावधान है? यदि हां, तो उसकी अर्हताएं क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना का लाभ प्रत्येक जिले के कृषि श्रमिकों को दिलाये जाने हेतु राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त योजना को लागू करने के सम्बन्ध में अलग-अलग जिले

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के लिये अलग-अलग कृषि श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने की अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई है?

(7) भारत सरकार द्वारा कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 के सम्बन्ध में प्रसारित/प्रकाशित योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 के तहत उदयपुर सम्भाग के उदयपुर जिले के 5001 कृषि श्रमिकों को जीवन बीमा निगम के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। पंचायत वार संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषि श्रमिक को 365 रुपये वार्षिक (1 रुपये प्रतिदिन) अंशदान देना होता है जिसमें भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से 730/- वार्षिक सम्मिलित करती है। यह राशि कृषि श्रमिक को 60 वर्ष की आयु तक जमा करानी होती है। पेंशन लाभ हेतु उसे न्यूनतम 10 वर्ष तक अपना अंशदान जमा कराना आवश्यक है।

(3) इस योजना के तहत 60 वर्ष से पूर्व स्वाभाविक मृत्यु पर श्रमिक को 20 हजार रुपये एवं दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये एकमुश्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त जमा अंशदान और उस पर ब्याज की वापसी अथवा परिवार के लिये पेंशन का भी प्रावधान है।

(4) जी हां। योजनान्तर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कृषि श्रमिक को 100/- से 1900/- की सीमा तक मासिक पेंशन देय है जो कि योजना में प्रविष्टि की आयु के आधार पर निम्न प्रकार से दी जावेगी-

योजना में प्रविष्टि के समय आयु	60 वर्ष अथवा अधिक की आयु से प्रतिमाह पेंशन
50	100/-
40	320/-
30	800/-
20	1900/-

पेंशन की पात्रता के लिए अंशदान की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

(5) उक्त योजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित है। जिलों का चयन भी श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अतः राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

नहीं है। राजस्थान में उदयपुर एवं श्रीगंगानगर जिलों में यह योजना लागू है जिसका क्रियान्वयन जिला कलक्टरों के द्वारा ही किया जाता है।

(6) जी नहीं। इस योजना में राज्य में उदयपुर एवं श्रीगंगानगर जिले का चयन कर वर्ष 2001-2002 में प्रत्येक जिले हेतु 5000 कृषि श्रमिकों को लाभान्वित करने की सीमा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

(7) कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 की प्रकाशित प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति कुचामन में अन्नपूर्णा योजना

355. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत ऐसे लोगों को 10 किलो गेहूं दिया जा सकता है जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था व राज्य वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल सकती हैं? यदि हां, तो ऐसे लोगों को जिनकी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन बन्द कर दी गई है, उन्हें अन्नपूर्णा योजना का लाभ देने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है? अब उक्त योजना को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

(2) प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 व प्रशासन शहरों के संग अभियान 2002 में कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन व नावां नगरपालिका क्षेत्र में कितने लोगों को अन्नपूर्णा योजना में लाभान्वित करना प्रारम्भ करवाया गया है?

उत्तर

(1) जी नहीं। अन्नपूर्णा योजना के निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत ऐसे लोगों को जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था व राज्य वृद्धावस्था पेंशन नहीं प्राप्त हो रही हैं, को ही 10 किलो गेहूं निःशुल्क देने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार की योजनानुसार राज्य में माह अप्रैल, 2000 से यह योजना प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) उक्त अभियानों में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन तथा नावां नगर पालिका क्षेत्र में 187 लोगों को अन्नपूर्णा योजना में चयनित कर लाभान्वित किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नवीन पशु चिकित्सालय

356. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कुल कितनी भैंस, गाय, ऊंट, भेड़ व बकरी हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशुओं की अत्यधिक संख्या को मद्देनजर रखते हुए अभी तक सरकार ने कुल कितने पशु चिकित्सालय खोल रखे हैं?

(3) क्या सरकार पशुधन एवं पशुपालकों की समस्या के समाधान हेतु उक्त क्षेत्र में नये और पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कहां-कहां और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पशुगणना का कार्य राजस्व मण्डल द्वारा पशुपालन विभाग के निमित्त भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। पशुगणना विधान सभा क्षेत्रवार नहीं की जाती है। पशुगणना राजस्व गिरदावर हलकावार (इंस्पैक्टर लैण्ड रिकार्ड) की जाती है। वर्ष 1997 की पशुगणना अनुसार तहसील मुण्डावर के गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ व बकरी की पशु संख्या निम्न प्रकार है :-

1.	गौवंश	11794
2.	भैंसवंश	59257
3.	उष्ट्रवंश	2458
4.	भेड़वंश	7848
5.	बकरीवंश	24212

(2) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में 5 पशु चिकित्सालय खोले गये हैं।

(3) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नये पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अकाल राहत के तहत कराये गये अपूर्ण कार्य

357. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 2001-2002 में अकाल राहत के तहत कौन-कौन से एनीकट्स, तालाब, नाड़ियां कितनी लागत के बनवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं? उक्त की क्या स्थिति है? अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब?

(4) उक्त को पूर्ण कराने में कुल कितनी-कितनी लागत आयेगी।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 2001-2002 में अकाल राहत कार्यों के तहत कुल 16 एनीकट का कार्य 65.94 लाख रुपये एवं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कुल 33 तालाब का कार्य 110.00 लाख रुपये की लागत से कराये गये थे। सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। उक्त 16 एनीकट कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं शेष 10 अपूर्ण हैं। तथा सभी 33 तालाबों के कार्य पूर्ण हो गये हैं। अपूर्ण एनीकट कार्यों की सूची प्रपत्र 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई मद में एनीकट निर्माण कार्य नहीं कराये जाते हैं अत: जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहायता विभाग आदि से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर ही उक्त कार्यों को पूर्ण कराना सम्भव है।

(4) उक्त अधूरे 10 एनीकट्स के कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगभग 96.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-358

(स्थगित)

अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि हस्तान्तरण में मुद्रांक शुल्क

359. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि के हस्तान्तरण के मामलों में दस्तावेजातों का पंजीयन करते समय इसके बाजार मूल्यों की गणना उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार अन्य मामलों में की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के व्यक्तियों द्वारा हस्तान्तरित की जा रही कृषि भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य अन्य हस्तान्तरण के मामलों के बाजार मूल्यों से कम होता है?

(3) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के द्वारा कृषि भूमियों के हस्तान्तरण के मामलों में दस्तावेजों का बाजार मूल्य मुद्रांक कर मापने की दृष्टि से कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सामान्यतया ऐसा नहीं होता है।

(वित्त मंत्री)

(3) जी नहीं। जाति विशेष के आधार पर मुद्रांक मूल्यांकन किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

जिला झुंझुनूं के स्वीकृत हैण्ड पम्प

360. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में सांसद तथा विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से कितने-कितने किस-किस स्थान पर लगाने हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्प हैं जो फरवरी, 2002 के अन्त तक भी लगे नहीं हैं? उक्त की स्वीकृति दिनांक क्या है?

(2) उक्त जिले में जो हैण्ड पम्प लगने हैं क्या उनको लगाने हेतु ठेकेदारों को अथवा सरकारी एजेंसियों को आदेश दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो किसको तथा कब?

(3) उक्त योजनाओं से हैण्ड पम्पों के अतिरिक्त और कौन-कौन से कार्य पीने के पानी की सुविधा हेतु स्वीकृत हैं जो फरवरी, 2002 के अन्त तक पूर्ण नहीं हुए हैं और पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं तथा कौन-कौन से कार्य हैं जिन पर कार्य ही शुरू नहीं किया गया है?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में गत 4 वर्षों में क्रमशः 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 सांसद तथा विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से क्रमशः 188 एवं 26 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए थे। जिनमें से फरवरी, 2002 तक क्रमशः 149 एवं 21 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। शेष क्रमशः 39 एवं 5 लगाया जाना बकाया है। इस प्रकार कुल शेष 44 हैण्ड पम्पों में से 2 हैण्ड पम्प ऐसे हैं जिनकी साइट अप्रोचेबल नहीं है एवं 3 हैण्ड पम्पों का स्थान विवादास्पद होने के कारण लगाना सम्भव न हो सका है। शेष लगाने योग्य 39 हैण्ड पम्प जो कि दिसम्बर, 2001 में ही स्वीकृत हुए थे, में से भी माह मार्च, 2002 में 16 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष 23 का कार्य प्रगति में है। स्वीकृत हैण्ड पम्प में लगाये गये एवं शेष हैण्ड पम्पों का प्रगति विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार है। उपरोक्तानुसार शेष रहे 23 हैण्ड पम्पों को 15 मई, 2002 तक चालू करवाना लक्षित है।

(2) जी हां। उक्त 44 हैण्ड पम्पों को लगाने के कार्य आदेश ठेकेदारों को जारी किये जा चुके हैं, जारी किये गये आदेशों का विवरण परिशिष्ट 'ख' के अनुसार है। इन कार्यादेशों के अन्तर्गत 16 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। दो हैण्ड पम्पों की साइट अप्रोचेबल नहीं है तथा तीन हैण्ड पम्पों के स्थान विवादग्रस्त हैं शेष हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(वित्त मंत्री)

(3) हैण्ड पम्पों के अतिरिक्त इसी अवधि में जल स्रोत, पाइप लाइन एवं जलाशयों के कुल 215 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से सांसद कोटे के 138 एवं विधायक कोटे के 77 कार्य हैं इनमें से फरवरी, 2002 तक सांसद कोटे के 114 कार्य एवं विधायक कोटे के 64 कार्य फरवरी, 2002 तक पूर्ण किये जा चुके हैं। फरवरी, 2002 के अन्त में शेष सांसद कोटे के 24 कार्य एवं विधायक कोटे के 13 कार्य बकाया हैं इस प्रकार कुल बकाया 37 कार्यों में से 27 कार्य प्रगति पर हैं एवं 7 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित/प्राप्त की गई हैं। दो कार्यों के कार्यादेश दिये जा चुके हैं। एक कार्य को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कार्यकारी एजेंसी बदलने के कारण औपचारिक निरस्तीकरण आदेश निकालने हेतु लिखा गया है। सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। शेष रहे सभी कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाना लक्षित है।

(विवरण एवं सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में खराब गेहूं की आपूर्ति

361. श्री कालूलाल खटीक (गंगरार): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा किन–किन योजनाओं के तहत गेहूं का उठाव किया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों से खराब गेहूं के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो किन–किन जिलों में एवं किन–किन योजनाओं के तहत खराब गेहूं दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(3) उक्त शिकायतों की जांच में कौन–कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा काम के बदले अनाज योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्नपूर्णा, राष्ट्रीय पोषाहार योजना कार्यक्रम के तहत गेहूं का उठाव किया जाता है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय पोषाहार योजना के तहत जिला टोंक, नागौर एवं झालावाड़, काम के बदले अनाज योजना के तहत सिरोही एवं कोटा तथा अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना, बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. योजना के अन्तर्गत बाड़मेर, पाली, नागौर, टोंक, चूरू, जालौर, सिरोही, राजसमंद, झालावाड़, उदयपुर एवं कोटा से खराब गेहूं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के बारे में भारतीय खाद्य निगम को सूचित कर अच्छी किस्म के गेहूं वितरण हेतु लिखा गया।

(3) चूंकि उक्त योजनाओं में गेहूं का आबंटन भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही किया जाता है, अतः इस हेतु भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम को लिखा गया है।

राजस्थान सहाकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा दुग्ध दर में वृद्धि

362. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के तहत विभिन्न क्षेत्रीय संघों में वर्ष 1990 से 2000 तक वर्षवार औसतन दुग्ध दर उत्पादक को दी गई व इसमें दस वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में उपभोग में ली जाने वाली वस्तुएं सामग्री यथा चारा, पशु आहार, दवाइयों की दरों आदि में गत वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो दुग्ध दरों व दूसरी दरों में वार्षिक अन्तर कितने-कितने प्रतिशत रहा तथा कुल दस वर्षों का अन्तर प्रतिशत क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दस वर्षों की अवधि में संघ के अन्तर्गत अधिकारियों के वेतन, भत्तों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तथा दुग्ध दर व वेतन, भत्तों की बढ़ोतरी में कितने प्रतिशत का अन्तर है?

(4) क्या संघ अपने संस्थापक खर्चों को कम कर दुग्ध दरें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस वर्ष कितने प्रतिशत दरें बढ़ाने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि संघ की दुग्ध दरें व निजी व्यापार संघ संकलन की दरों में बहुत ज्यादा अन्तर है? यदि हां, तो उक्त अवधि में वार्षिक अन्तर कितना-कितना रहा है?

उत्तर

(1) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा गत 10 वर्षों में दुग्ध उत्पादकों को दी गई दरों का एवं उसमें हुई बढ़ोतरी का विवरण परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है।

(2) विभाग में काम में ली जाने वाली वस्तुओं की दरों में गत वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। विगत 10 वर्षों में आर.सी.डी.एफ. के पशु आहार संयंत्रों पर उत्पादित पशु आहार का (एक्स फैक्ट्री) विक्रय दर का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर प्रस्तुत है। विगत दस वर्षों में पशु आहार की दरों में कमी एवं बढ़ोतरी दोनों हुई हैं। पशु आहार की दर पशु आहार बनाने में काम आने वाले जिन्सों की दरों पर निर्भर करती है। विगत दस वर्षों में दुग्ध दर की तुलना में पशु आहार की दर में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(3) जिला दुग्ध संघों के अधिकारियों में प्रबन्धक पद के वेतन, भत्तों में विगत 10 वर्षों में हुई बढ़ोतरी का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर प्रस्तुत है। वेतन, भत्तों में बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों पर निर्भर करती है। विगत 10 वर्षों में दुग्ध दरों के अनुपात में वेतन

(राज्य मंत्री, डेयरी)

भत्तों की दर में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(4) जी हां। जिला दुग्ध संघ अपने व्यापार को बढ़ाकर प्रति लीटर खर्चों में कमी कर रहा है।

(5) निजी व्यापार की दरें राजस्थान में सभी जगह पर न तो समान है न स्थिर है। अतः निजी व्यापार की दरों एवं संघ की दुग्ध दरों में वार्षिक अन्तर दर्शाना सम्भव नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग बीकानेर द्वारा तैयार अध्ययन रिपोर्ट

363. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग बीकानेर द्वारा वर्ष 1992 से 1999 के मध्य करीबन 26 अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी? यदि हां, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कितना व्यय हुआ?

(2) क्या उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत होने वाले भू-आबंटन, आंवासीय कालोनियों को बसाने, सेम की समस्या के निवारण और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में सहायक सिद्ध हुई है? यदि हां, तो उनकी उपयोगिता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कौन-कौन सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस-किस निजी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा कब-कब तैयार की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उक्त रिपोर्टों पर फिजूल खर्ची बताया है?

(5) क्या उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई? यदि हां, तो कब-कब?

उत्तर

(1) जी हां। इन 26 अध्ययन रिपोर्टों पर 1097.431 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(2) जी हां। इन अध्ययनों के विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है। भू-आबंटन एवं आवास के सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इन अध्ययन रिपोर्ट्स के उपयोग की बाबत जांच कराई जा रही है अतः इनका विवरण देना अभी सम्भव नहीं है।

(3) उक्त अध्ययन अलग-अलग संस्थाओं/फर्मों से करवाए गए हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उक्त अध्ययन रिपोर्टों की बाबत वर्ष 1997–98 की आडिट रिपोर्ट में कुछ आक्षेप, यथा अध्ययन रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति नहीं लगाना, अग्रिम भुगतान करना एवं निरस्त/परित्याग किये गये अध्ययनों हेतु दी गई राशि वापस नहीं लेना आदि लगाये गये हैं। आडिट आक्षेप की प्रति परिशिष्ट ''स'' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं। अध्ययनों की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी कर अध्ययन कार्य संस्थाओं को आबंटित किये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला कलक्टर करौली का कार्यालय भवन

364. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिला बनने के बाद जिला कलक्टर कार्यालय के भवन का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था? यदि हां, तो क्या नवीन भवन बनाने के लिए राशि 54,700 लाख की स्वीकृति दिनांक 31.8.2000 को जारी की गई थी?

(2) उक्त स्वीकृति राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा उक्त राशि में से चालू वित्तीय वर्ष में कितनी उपलब्ध कराई जा रही है?

(3) अब उक्त जिला कलक्टर कार्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राशि 547.00 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 31.8.2000 को जारी की गई थी।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से अब तक 47.80 लाख रुपये का व्यय हो चुका है तथा चालू वित्तीय वर्ष (2002–2003) में 100.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे 19.2.2003 तक पूर्ण कराने का अनुबन्ध ठेकेदार से किया है। परन्तु यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा।

पूर्व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

365. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार को श्री अब्दुल

(श्री ललित भाटी)

हाफीज खान, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(2) क्या यह सही है कि श्री खान एवं श्रीमती मधु झा, वरिष्ठ लिपिक द्वारा अपने पूर्व के पदस्थापन काल में गम्भीर अनियमितताएं की हैं? क्या उक्त में खाली रिटर्न के आधार पर शून्य में कर निर्धारण करके व्यापारियों को लाभ पहुंचा कर राजस्व हानि पहुंचाना, फैसलों को डी.सी.आर. में गलत दर्ज करना आदि हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री खान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पुष्कर में रेडीमेड व्यावसायी की जांच के दौरान दिनांक 19.12.2001 को धारा 72(3) आर.एस.टी. के तहत प्रशमन राशि रुपये 69,895/- के मैसर्स प्रभुदयाल पुत्र श्री रामस्वरूप पारीक, पुष्कर से ट्रक संख्या आर.जे. 01, जी-4554 में परिवहनित रेडीमेड वस्त्रों पर वसूली की गई है? क्या जिस ट्रक पर अभियोग बनाकर शास्ति वसूल की गई, वह डम्पर ट्रक रेलवे विभाग में देबारी, उदयपुर में मिट्टी ढोता है? क्या मै. प्रभुदयाल पुत्र श्री रामस्वरूप नामक कोई व्यक्ति, व्यवसायी अथवा फर्म पुष्कर में अस्तित्व में नहीं है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उनके विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(3) जी हां। श्री खान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पुष्कर में रेडीमेड व्यवसाय की जांच के दौरान रुपये 69,895/- ट्रक संख्या आर.जे.-01/जी-4554 से वसूली की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिस ट्रक का अभियोग बनाकर शास्ति आरोपित कर वूसल की गई है वह डम्पर ट्रक रेलवे विभाग में देबारी, उदयपुर में मिट्टी ढोता है। मै. प्रभुदयाल पुत्र रामस्वरूप नामक कोई व्यक्ति, व्यवसायी अथवा फर्म पुष्कर में अस्तित्व में नहीं है अत: उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जो प्रशमन राशि रुपये 69895.00 वसूल की गई है वह ट्रांसपोर्ट चैकिंग के समय माल प्रभारी श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रामस्वरूप से की गई है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

366. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में कितने ऐसे गांव हैं जहां पेयजल का

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कोई स्रोत नहीं है तथा पेयजल वितरण से वंचित है? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2002–2003 के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां नये नलकूप/हैण्ड पम्प सरकार द्वारा खोदे जाने प्रस्तावित हैं? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनान्तर्गत कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? उक्त क्षेत्र में कितने पद स्वीकृत है और उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना जिला नागौर में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 188 आबाद ग्राम हैं जो विभिन्न पेयजल योजनाओं से निम्नानुसार लाभान्वित हैं:–

क्र. सं.	योजना का प्रकार	लाभांवित गांवों की संख्या
1.	पाइप्ड	19
2.	पम्प एण्ड टैंक	11
3.	क्षेत्रीय	101
4.	टी.एस.एस./जे.जे.वाई.	50
5.	हैण्ड पम्प	7
	योग	188

वर्तमान में 9 गांव ऐसे हैं जहां सर्विस लेवल 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है। इनमें से 5 गांवों के लिए रुपये 33.27 लाख लागत की 5 संवर्धन योजनाएं स्वीकृत हैं जिन पर कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं के कार्य जून, 2002 तक पूर्ण करवाकर लाभान्वित करना लक्षित है। शेष 4 गांवों हेतु योजनाएं बनाई जा चुकी है एवं स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण में है। 9 गांव ऐसे हैं जहां सर्विस लेवल 10 से 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इनमें 6 गांवों की योजनाएं स्वीकृत हैं एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 3 गांवों की योजनाएं स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण में है। शेष सभी 170 ग्रामों में जल सेवा स्तर 35 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। सभी 188 गांवों की सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में कुल 41 संवर्धन जलप्रदाय योजनाएं अनुमानित लागत रुपये 110.56 लाख की स्वीकृत की गई। जिनमें से 31 योजनाएं जनवरी, 2002 के अन्तिम सप्ताह या उसके बाद स्वीकृत हुई हैं इन स्वीकृतियों के अन्तर्गत कुल 12 नलकूप, 1 खुला कुआं एवं 30 हैण्ड पम्प निर्माण का प्रावधान विद्यमान था। जिसमें से कुल 2 नलकूप व 1 हैण्ड पम्प निर्मित करवाया जाकर चालू कर दिये हैं। जिसका लाभ इस गर्मी में सम्बन्धित ग्रामों को मिल सकेगा। शेष नलकूपों व हैण्ड पम्पों का

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्य 2002-2003 में कराया जावेगा। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है। आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा संवर्धन/पुनर्गठित जलप्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जल की उपलब्धता का सर्वेक्षण, प्राथमिकता एवं तकनीकी मापदण्डों को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध बजट एवं संसाधनों के अनुसार की जाती है जो कि इस विभाग की सतत् प्रक्रिया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु कुल 165 पद सृजित हैं, एवं इन योजनाओं पर कुल 165 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। जिसका पद वाइज स्वीकृत पदों व कार्यरत कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट 'ग' में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

367. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में पशु चिकित्सकों के 424 पद रिक्त हैं, जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की जिलेवार सूची
(1.3.2002 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	03
2.	अलवर	–
3.	बांसवाड़ा	22
4.	बारां	16
5.	बाड़मेर	36
6.	भरतपुर	05

1	2	3
7.	भीलवाड़ा	29
8.	बीकानेर	01
9.	बून्दी	07
10.	चित्तौड़गढ़	26
11.	चूरू	08
12.	दौसा	01
13.	धौलपुर	06
14.	डूंगरपुर	21
15.	जयपुर	01
16.	सवाईमाधोपुर	08
17.	जैसलमेर	19
18.	जालौर	22
19.	झालावाड़	15
20.	झुंझुनूं	01
21.	जोधपुर	40
22.	कोटा	07
23.	करौली	13
24.	नागौर/कुचामन सिटी	26
25.	पाली	22
26.	राजसमन्द	18
27.	सीकर	02
28.	सिरोही	11
29.	श्री गंगानगर/अनूपगढ़	01
30.	हनुमानगढ़	–
31.	टोंक	09
32.	उदयपुर	28
	कुल योग	424

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अपूर्ण एनीकट

368. श्री नाथूलाल गूर्जर (हिण्डौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कौन कौन से एनीकट/तालाब नवनिर्माण एवं मरम्मत के प्रस्ताव/आवेदन-पत्र विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि के उक्त सभी प्राप्त प्रस्तावों/पत्रों के तहत निर्माण/मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण एनीकट/तालाब के निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक विभिन्न माध्यमों से 109 एनीकट/तालाबों के प्रस्ताव/आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत कुल 28 कार्यों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई मद के अन्तर्गत एनीकट निर्माण/मरम्मत कार्य नहीं कराया जाता है, अत: जिला विकास अभिकरण सहायता विभाग आदि से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार अथवा अन्य योजनाओं में स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना सम्भव है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शहीदों के नाम सार्वजनिक स्थानों का नामकरण

369. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सैनानियों एवं शहीदों के सम्मान हेतु सार्वजनिक स्थलों (स्कूलों-अस्पतालों, पार्कों, मार्गों) का नामकरण उक्त के नाम पर करने की कोई नीति बना रखी है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब तक उक्त नीति पर अमल किया जाकर स्वतंत्रता सैनानियों एवं शहीदों के नाम पर कोई नामकरण किये

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के नाम पर कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला झुंझुनूं के किडवाना ग्राम तहसील चिड़ावा के कारगिल में शहीद सैनिक श्री हनीफ खां कायमखानी के नाम पर वहां के सैकण्डरी स्कूल का नाम रखना तय हुआ था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ?

(4) क्या निदेशक सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा जिला कलक्टर, नागौर को पत्र क्रमांक 11855/17.9.1999 व जिला कलक्टर, बीकानेर को पत्र क्रमांक 11852-54/17.9.1999 के द्वारा वीर चक्र प्राप्त शहीद ग्रेनेडियर श्री मुराद खां निवासी खारिया (नागौर) व बीकानेर के वीर चक्र प्राप्त शहीद ग्रेनेडियर श्री रफीक खां के स्मारक बनाने बाबत लिखा था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 4(6)साप्र/6/99 दिनांक 27.8.1999 द्वारा समस्त सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टरों से स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से नामकरण के प्रस्ताव मांगे गये थे।

(I) राज्य स्तरीय स्वतंत्रता सेनानी समिति की बैठक दिनांक 24.5.2000 की बैठक में स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों, पार्कों, मार्गों के नामकरण का निर्णय लिया गया।

(II) सामान्य प्रशासन विभाग की आज्ञा सं. प. 4(10)साप्र/6/99 दिनांक 14.6.2000 द्वारा प्रस्ताव भिजवाने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्य रखे गये:-

1. सम्बन्धित क्षेत्र का विधायक।
2. सम्बन्धित क्षेत्र के स्थानीय निकाय के अध्यक्ष या प्रधान।
3. सम्बन्धित क्षेत्र के 2 वरिष्ठ स्वतंत्रता सैनानी।

नीति

1. जीवित स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से प्रस्ताव नहीं भिजवाये जावे।
2. प्रस्तावों में स्वतंत्रता सैनानी स्थानीय निवासी होवे।
3. जिन भवनों, मार्गों, स्कूल, चिकित्सालय आदि का नामकरण किया हुआ है, उनको नवीनतम प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया जावे।
4. प्रस्ताव जिस विभाग से सम्बन्धित होवे, उस विभाग की सहमति प्राप्त की जावे।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

5. एक स्वतंत्रता सैनानी के नाम से एक ही प्रस्ताव भिजवाया जावे।
6. नामकरण किए जाने वाला स्थान विवादास्पद नहीं होवे।
7. राष्ट्रीय नेताओं/राष्ट्रीय स्वतंत्रता सैनानियों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किए जावे।
8. सामान्य प्रशासन विभाग को केवल स्वतंत्रता सैनानियों के नामकरण के प्रस्ताव ही भिजवाये जावें।

(2) जी हां। स्वतंत्रता सैनानियों एवं शहीदों के नाम से नामकरण की सूची का परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 19(42)शिक्षण–6/96 दिनांक 10.11.2000 द्वारा शहीद हनीफ खां के नाम से राजकीय माध्यमिक विद्यालय किडवाना के नामकरण के आदेश जारी हुए थे। आदेश परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

प्रधानाध्यापक, किडवाना के नामकरण की कार्यवाही शुरू की तो ग्रामवासियों को मालूम होने पर आपत्ति जताई तथा स्कूल बन्द करने की धमकी दी तथा कुछ दिन स्कूल भी बन्द रहा है। अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं, उप अधीक्षक पुलिस, चिड़ावा तथा तहसीलदार चिड़ावा द्वारा ग्रामवासियों को समझाया गया किन्तु वर्तमान में गांव में नामकरण को लेकर तनाव की स्थिति होने के कारण यथास्थिति रखी गई है।

(4) जी हां। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, नागौर से शहीद ग्रनेडियर श्री मुराद खां, निवासी खारिया के स्मारक बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भिजवाने हेतु जिला कलक्टर द्वारा लिखा गया। शहीद की पत्नी अपने ग्राम में नहीं रहने एवं न ही उनके परिवार के सदस्यों के मिलने से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अब ग्राम पंचायत से प्रस्ताव व सहमति व्यक्तिशः ली जाकर प्रस्तुत करने हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को पाबन्द किया जा चुका है। शहीद ग्रनेडियर श्री रफीक खां के स्मारक बनाने हेतु लिखा गया था। शहीद ग्रनेडियर श्री रफीक खां के नाम पर स्मारक बनाने की कार्यवाही जैरकार है।

(सूची एवं आदेश प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें

370. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील चौमूं (जयपुर) के ग्रामों व चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में सरकार द्वारा देशी व देश निर्मित विदेशी मदिरा के ठेकों का आबंटन कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) उक्त ठेके कितने समय के लिए कब से कब तक दिये हुये हैं?

(3) क्या उक्त ठेके धार्मिक स्थान व आबादी मोहल्ले में भी दिए जाते हैं? यदि हां, तो वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौमूं में धार्मिक स्थान के पास व आबादी मोहल्लों में कहां-कहां ठेके स्थित हैं?

(4) क्या सरकार वर्तमान स्थान पर स्थित ठेकों का स्थान परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील चौमूं में स्वीकृत दुकानें एवं उनकी अवस्थिति परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है।

(2) वर्तमान ठेके एक वर्ष के लिए दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 तक की अवधि हेतु दिये गये हैं।

(3) दुकानों की अवस्थिति (लोकेशन) सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में हैं जिसके अनुसार आबादी क्षेत्र में दुकान स्वीकृत करने पर प्रतिबंध नहीं है। उचित कारण होने पर नियम 75 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान कर धार्मिक स्थल से 200 मीटर से कम दूरी पर भी दुकान स्वीकृत की जा सकती है।

(4) वर्तमान ठेकों की अवधि दिनांक 31.3.2002 को समाप्त हो रही है। दिनांक 1.4.2002 से नये ठेके की अवधि प्रारम्भ होने पर नये ठेकेदार द्वारा जिन स्थानों पर दुकान लगाया जाना प्रस्तावित किया जायेगा उसके बारे में नियम 75 के प्रावधानों अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

परिशिष्ट ''अ''

तहसील चौमूं में स्वीकृत दुकानें एवं उनकी अवस्थिति निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम दुकान	अवस्थिति
1	2	3
देशी मदिरा		
1.	रावण गेट, चौमूं	चौमूं से कालाडेरा रोड
2.	रेलवे स्टेशन, चौमूं	रेलवे स्टेशन, चौमूं
3.	बस स्टैण्ड, चौमूं	बस स्टैण्ड, चौमूं
4.	खटीक मोहल्ला, चौमूं	खटीक मोहल्ला, चौमूं
5.	सामोद	सामोद गांव

1	2	3
6.	जैतपुरा	जैतपुरा
7.	चीथवाड़ी	चीथवाड़ी
8.	उदयपुरिया मोड़	उदयपुरिया मोड़
9.	ढोढ़सर	ढोढसर
10.	इटावा भोपजी	इटावा भोपजी
11.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
12.	किशनमानपुरा	किशनमानपुरा
13.	कालाडेरा	कालाडेरा
14.	हस्तेड़ा	हस्तेड़ा
15.	बासाकुशलपुरा	बासाकुशलपुरा
16.	खेजरोली	खेजरोली
17.	सांदरसर	सांदरसर
18.	मोरीजा	मोरीजा
19.	उदयपुरिया	उदयपुरिया
20.	जाटावाली मोड़	जाटावाली मोड़
21.	आतेल माता	आतेल माता
22.	साहबरामपुरा	जोगियों की ढाणी
भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर		
23.	चौमूं बस स्टैण्ड	चौमूं बस स्टैण्ड
24.	सामोद मोड़, चौमूं	सामोद मोड़, चौमूं
25.	राधास्वामी बाग, चौमूं	जयपुर रोड, चौमूं
26.	सामोद गांव	सामोद गांव

विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्रामों की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

371. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई के किन-किन गांवों में खारा पानी है?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी स्कीम सरकार के समक्ष लम्बित है? क्या सरकार इनको मंजूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में नदबई तहसील के 114 गांव एवं तहसील बयाना के 43 गांव, कुल 157 गांव हैं जो निम्नानुसार विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है :-

क्र. सं.	योजना का प्रकार	लाभांवित ग्रामों की संख्या
1.	क्षेत्रीय जलयोजना	17
2.	पनघट जलयोजना	18
3.	पाइप्ड जल योजना	2
4.	हैण्ड पम्प योजना	120
	कुल	157

वर्ष 2000-2001 में प्रान्त में किये गये पेयजल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र के 50 ग्रामों के पानी में घुलनशील लवण की मात्रा 3000 पी.पी.एम. से अधिक होने के कारण पानी खारा है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त 50 ग्रामों में से तहसील नदबई के 2 ग्रामों (जहांगीरपुर व रेना) को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जलयोजना क्रमशः राशि रुपये 23.25 लाख एवं 12.27 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह जनवरी, 2002 में जारी कर दी गई है। इन स्वीकृत योजनाओं की क्रियान्वित बजट एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार की जावेगी। 12 गांवों हेतु उचित स्रोत बाबत अन्वेषण भूतल वैज्ञानिक द्वारा करवाकर स्रोत की तलाश कर ली गई है तथा योजना बनाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 36 गांवों हेतु भूजल वैज्ञानिक से उचित स्रोत की तलाश करवाई जा रही है। उचित स्रोत मिलने के बाद योजना बनाकर प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव हो पावेगा।

(3) वर्ष 2001-2002 में राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज बोर्ड से 2 योजनाएं कुल राशि रुपये 35.52 लाख लागत पर स्वीकृत की जा चुकी है। स्वीकृत योजनाओं का विवरण भाग-2 के उत्तर में निहीत है। वर्तमान में कोई योजना लम्बित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत खारे पानी के ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या 1991	योजना का प्रकार	पानी में घुलनशील तत्वों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.	भदीरा	नदबई	4	2274	पम्प एवं टैंक	3120
2.	करीली	नदबई	20	2615	क्षेत्रीय योजना	3162
3.	नगलामई	नदबई	112	1492	पम्प एवं टैंक	3162
4.	खेड़ा	नदबई	66	813	हैण्ड पम्प	3203
5.	पीली	नदबई	83	799	हैण्ड पम्प	3228
6.	झोरोल	नदबई	45	289	हैण्ड पम्प	3328
7.	सामन्तपुरा	नदबई	14	76	क्षेत्रीय योजना	3328
8.	चीता हेड़ीकाशी	नदबई	28	213	हैण्ड पम्प	3411
9.	नूरपुर	नदबई	81	488	हैण्ड पम्प	3453
10.	झारकई	नदबई	85	1944	हैण्ड पम्प	3453
11.	मांझी	नदबई	07	1261	क्षेत्रीय योजना	3453
12.	लुलहारा	नदबई	92	787	क्षेत्रीय योजना	3578
13.	अरोदा	नदबई	86	2010	पम्प एवं टैंक	3619
14.	कोटेन खुर्द	नदबई	97	737	हैण्ड पम्प	3702
15.	कवई	नदबई	54	3655	पम्प एवं टैंक	3744
16.	रैना	नदबई	61	449	हैण्ड पम्प	3744
17.	गांगरौली	नदबई	13	1415	क्षेत्रीय योजना	3827
18.	गुबरूआ	नदबई	23	198	हैण्ड पम्प	3827
19.	मनोहरपुर, खवासपुर	नदबई	40	468	हैण्ड पम्प	3868
20.	नगला खटोटी	नदबई	63	401	हैण्ड पम्प	3952
21.	गुदावली	नदबई	68	1115	हैण्ड पम्प	4077
22.	पहरसर	नदबई	60	1891	हैण्ड पम्प	4576
23.	गाजीपुर	नदबई	43	731	हैण्ड पम्प	4599
24.	बरबारा	नदबई	18	833	हैण्ड पम्प	5408

1	2	3	4	5	6	7
25.	अगनपुरा	नदबई	19	377	हैण्ड पम्प	5820
26.	बीलोउ	नदबई	90	702	पम्प एवं टैंक	6240
27.	ईशापुर	नदबई	24	1057	हैण्ड पम्प	7072
28.	भेसिंगा	नदबई	69	1507	हैण्ड पम्प	7904
29.	उसेर	नदबई	05	861	हैण्ड पम्प	8320
30.	कटारा	नदबई	42	1804	हैण्ड पम्प	8320
31.	नगला वक्ता	नदबई	46	706	हैण्ड पम्प	8320
32.	जहांगीरपुर	नदबई	114	1912	हैण्ड पम्प	9152
33.	गोबरा	नदबई	115	1708	हैण्ड पम्प	9152
34.	बसैया जाट	नदबई	12	102	हैण्ड पम्प	9568
35.	हरनेरा	नदबई	10	498	हैण्ड पम्प	9568
36.	मेढ़ा चौर्ला	नदबई	11	480	हैण्ड पम्प	10400
37.	खेरिया जगा	नदबई	09	561	हैण्ड पम्प	10816
38.	महरमपुर	नदबई	16	375	हैण्ड पम्प	13728
39.	शाहपुर	नदबई	91	1282	हैण्ड पम्प	14560
40.	अलीपुर	नदबई	106	715	हैण्ड पम्प	17472
41.	मूड़िया	बयाना	06	939	हैण्ड पम्प	3078
42.	शेखपुर	बयाना	05	1213	हैण्ड पम्प	3120
43.	सालाबाद	बयाना	50	1511	हैण्ड पम्प	3203
44.	बांसरोली	बयाना	46	386	हैण्ड पम्प	3453
45.	नगला मार्वरिया	बयाना	10	161	हैण्ड पम्प	3744
46.	बाजौली	बयाना	47	487	हैण्ड पम्प	4576
47	खोहरा	बयाना	23	1640	हैण्ड पम्प	6656
48.	नगला खुशालीराम	बयाना	17	304	हैण्ड पम्प	7904
49.	नगला सेवा कुरवारिया	बयाना	13	217	हैण्ड पम्प	9152
50.	नगला कुरवारिया	बयाना	66	357	हैण्ड पम्प	9152

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-607 का विवरण)

राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन मरम्मत
ऋण स्वीकृत करने सम्बन्धी सूचना

	स्वयं के संसाधनों से निर्मित भवन	राज्य सरकार से स्वीकृत ऋण प्राप्त कर बनाया गया भवन
प्रथम बार	10 माह के मूल वेतन के बराबर	7 माह के मूल वेतन के बराबर
द्वितीय बार	5 माह के मूल वेतन के बराबर	5 माह के मूल वेतन के बराबर
तृतीय बार	3 माह के मूल वेतन के बराबर	3 माह के मूल वेतन के बराबर

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-615 का विवरण)

लड़की बांध से पनघटिया तालाब हेतु नहर द्वारा एवं लिफ्ट से लिये गये पानी का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	पानी नहर से ग्रेविटी से लिया गया एम.सी. एफ.टी.	लिफ्ट द्वारा (एम. सी. एफ. टी.)	खर्च (राशि रुपयों में) सिंचाई विभाग को देय भुगतान	सिंचाई विभाग को किया गया भुगतान	लिफ्ट द्वारा	विशेष विवरण
1.	1992-1993	10.10	–	10100.00	10000.00	–	लाइव स्टोरेज से
2.	1993-1994	20.00	–	20000.00	–	–	लाइव स्टोरेज से
3.	1994-1995	15.00	–	15000.00	–	–	लाइव स्टोरेज से
4.	1995-1996	17.70	–	17700.00	–	–	लाइव स्टोरेज से
5.	1996-1997	15.00	–	15000.00	–	–	लाइव स्टोरेज से
6.	1997-1998	15.00	–	15000.00	–	–	लाइव स्टोरेज से
7.	1998-1999	22.00	–	22000.00	–	–	लाइव स्टोरेज से
8.	1999-2000	–	5.00	5000.00	–	207440.00	डेड स्टोरेज से (पानी कम आया)
9.	2000-2001	–	–	–	–	–	पानी नहीं आया
10.	2001-2002	10.00	–	10000.00	10000.00	–	लाइव स्टोरेज से 10 एम.सी.एफ. टी पानी नहर द्वारा लिया
	योग			129800.00	20000.00	207440.00	

परिशिष्ट ''अ''

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-618 का विवरण)

जिला हनुमानगढ़ की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं जो सचिव, आर.डब्ल्यू.एस.एस.एम.बी. जयपुर कार्यालय में स्वीकृति की प्रक्रिया में है जिनका विवरण निम्न है

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	लाभांवित ग्राम	कोड संख्या	जनसंख्या 1991	योजना की अनुमानित लागत (लाखों में)	वर्तमान सर्विस लेवल	प्रस्तावित योजना का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना 2 पीटीपी	संगरिया	2 पीटीपी	55	4226	46.50	32	संवर्धन	वर्तमान में योजना सचिव आर. डब्ल्यू. एस.एस.एम.बी., जयपुर में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
			3 पीटीपी	37	15				
			4 पीटीपी	54	74				
			5 पीटीपी	38	33				
			4 आईडीजी	39	25				
2.	पनघट योजना 1 एन.के.आर.	संगरिया	1. एन.के.आर.	86	901	9.07	30	संवर्धन	योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु दिनांक 4.4.2002 को वित्त समिति की बैठक में विचार किया
			2. 28 ए.एम.पी.	112	30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									गया एवं स्वीकृति हेतु नीति निर्धारण समिति को सिफारिश की गई है।
3.	क्षेत्रीय जलयोजना 2 सी	हनुमानगढ़	2 सी	286	3179	49.98	12	संवर्धन	वर्तमान में योजना सचिव आर. डब्ल्यू. एस.एस.एम.बी., जयपुर में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
			1 सी	283	15				
			1 सीएस	285	77				
			9 एम.डब्ल्यू.एम.	288	75				
			25 एनडीआरबी	289	49				
			30 एनडीआर	290	197				
			31 एनडीआर	281	534				
4.	जलयोजना 5 एम. डब्ल्यू.एम.बी.	हनुमानगढ़	5 एम.डब्ल्यू. एम.बी.	348	1917	25.10	26	संवर्धन	वर्तमान में योजना सचिव आर. डब्ल्यू. एस.एस.एम.बी., जयपुर में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु प्रस्तावित की गई योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभांवित ग्राम	कोड संख्या	जनसंख्या 1991	वर्तमान सर्विस लेवल	प्रस्तावित किये जाने वाले कार्यों का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	क्षेत्रीय जलयोजना, भाड़ी	भाड़ी	198	2389	10	पुनर्गठित योजना	4.32
2	क्षेत्रीय जलयोजना, अजीतपुरा	अजीतपुरा	203	5321	50	इनलेट चैनल रेज्युविनेशन का कार्य	0.39
3.	क्षेत्रीय जलयोजना, खचवाना	खचवाना	16	1787	50	इनलेट चैनल रेज्युविनेशन का कार्य	0.88
4.	क्षेत्रीय जलयोजना, गांधीबड़ी	6 एसडीआर	31	6702	48	स्टोरेज टैंक रेज्युविनेशन का कार्य	1.92
		7 एसडीआर	30	78			
		8 एसडीआर	28	29			
		9 एसडीआर	26	2076			
		10 एसडीआर	27	75			
		2 एसडीआर	37	38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 एसडीआर	36	37				
			4 एसडीआर	35	44				
5.	क्षेत्रीय जलयोजना,	मल्खेड़ा	1 एसडीआर	38	3116	16		स्टोरेज टैंक रेज्युविनेशन का कार्य	0.98
			15 ए एम एस	39	39				
			14 ए एम एस	79	1223				
			16 ए एम एस	80	635				
			10 जे जी डब्ल्यू	110	1668				
			9 जे जी डब्ल्यू	111	29				
6.	क्षेत्रीय जलयोजना,	खचवाना	खचवाना	16	1787	50		स्टोरेज टैंक रेज्युविनेशन का कार्य	1.48
7.	क्षेत्रीय जलयोजना,	भरवाना	8 डीपीएन	91	2399	48		स्टोरेज टैंक रेज्युविनेशन का कार्य	1.73
			1 जीजीएम	90	61				

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-620 का विवरण)

(Rs. in lacs)

1.	A.	Preliminary	45.22
2.	B.	Land	42.28
3.	C.	Work	–
4.	D.	Regulator & Measuring Devised	9.74
5.	E.	Falls	–
6.	F.	Cross Drainage Works	380.30
7.	G.	Bridge	77.15
8.	H.	Escapes	–
9.	K.	Buildings	–
10.	L.	Earth Work	123.55
	L1.	Lining	365.81
	L2.	Service Roads	47.12
11.	M.	Plantation	–
12.	N.	Tanks & Reservoirs	–
13.	O.	Miscellaneous	19.00
14.	P.	Maintenance	26.25
15.	Q.	Special T & P	–
16.	R.	Communication	–
17.	S.	Water Supply	–
18.	U.	Distributories, Minors & Sub Minors	1071.89
19.	V.	Water Courses & Field Channels	499.03
20.	W.	Drainage	25.22
21.	X.	Environment & Ecology	6.00
22.	Y.	Losses on Stock & unforeseen	6.56
		Total	**2745.02**

परिशिष्ट–2

तहसील – देवली

1. कंवरावास

तहसील – टोडारायसिंह

1. ओझापुरा	2. इस्लामपुरा	3. मोडियाला
4. मोर भाटियान	5. जेथल्या	6. खरेड़ा
7. काक्लवाड़	8. रलावता	9. सालगावास
10. रामपुरा	11. कुरासिया	12. छानमय वास सूर्या
13. ढीबरू	14. मोरड़ा	15. राधाबल्लभपुरा
16. सैतीवास	17. बास झरना	18. ठाटा
19. गोलाहेड़ा	20. चन्द्रपुरा	21. बांटुण्डा
22. बनेड़िया	23. बरवास	24. बासेड़ा
25. गणेती	26. रघुनाथपुरा	27. श्रीरामनगर
28. रायसिंहपुरा	29. गणेता	30. बिवलोब
31. कल्याणपुरा	32. माधोगंज	33. जगमाबाद
34. गनेली	35. क्यारिया	36. गनेशगंज
37. लक्ष्मीपुरा		

कुल गांव – 38

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-626 की सूची)

नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्तावों की सूची

नाम तहसील	मूल ग्राम		नवीन ग्राम
बांसवाड़ा	सामरिया	1.	गांधी नगर
		2.	प्रताप नगर
		3.	सुभाष नगर
		4.	राजीव नगर
बांसवाड़ा	नवागांव	5.	बिजलियां
		6.	टाडी महड़ी
बांसवाड़ा	लीमथान	7.	तोरणियां
बांसवाड़ा	सालिया	8.	कंडोला
		9.	खाण्डाडेरा
		10.	कांकरा
बांसवाड़ा	तेजपुर	11.	रघावा
		12.	हड़मतिया
बागीदौरा	खोखरवा	13.	गणेशपुरा
बागीदौरा	झांझरवा कलां	14.	झांझरपाल
बागीदौरा	मुन्द्री	15.	पूंजी खुलड़ी
		16.	खुंटा
कुशलगढ़	कलिंजरा	17.	मुवाल
कुशलगढ़	बगायचा	18.	हथिया दिल्ली
कुशलगढ़	वसुनी	19.	रसोड़ी
कुशलगढ़	राठ धनराज	20.	डूंगरीपाड़ा
कुशलगढ़	डूंगरीपाड़ा	21.	नयापुरा
कुशलगढ़	धरतारा	22.	बईडाफला

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "ए"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-642 की सूची)

ग्राम डूण्डलोद, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं के आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 0-32 हैक्टेयर पर गत 20-25 वर्षों से काबिज व्यक्तियों की सूची

1. श्री इसाक पुत्र उमरदीन जाति कसाई के पुख्ता मकान
2. श्री सफी पुत्र लाला कसाई का खाली प्लाट दो क्षेत्रफल 600 वर्गफुट
3. श्री सतार पुत्र पीरू के पख्ता मकान
4. श्री गुलाब नवी पुत्र अब्दुल हाजी के पुख्ता मकान
5. श्री सलीम पुत्र फतेह मोहम्मद के पुख्ता मकान
6. श्री सतार पुत्र फतेह मोहम्मद के पुख्ता मकान
7. श्री हबीब पुत्र समसू के पुख्ता मकान
8. श्री कासम पुत्र समसू के पुख्ता मकान
9. श्री जबार पुत्र इलाही बक्स के पुख्ता मकान
10. श्री अली मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद के पुख्ता मकान

ह०/-

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

परिशिष्ट–11

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–645 का विवरण)

ग्राम बावड़ी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर पूर्व में मंदिर श्री गोपीनाथ जी बिराजमान पुरानी बस्ती जयपुर के अधीन माफी जागीर में था। सम्वत् 2010 में बन्दोबस्त के दौरान खाता संख्या 55 व 56 में दर्ज भूमि को छोड़कर शेष भूमि काबिज काश्तकारों के नाम दर्ज हो गई तथा कुछ भूमि अन्य मन्दिरों की सेवा-पूजा की व्यवस्था हेतु दी जा चुकी है। जिस प्रकार सम्वत् 2010 में कासिम काश्तकारों को खातेदारी दी गई थी उसमें खाता संख्या 4 के अनुसार 63 बीघा 17 बिस्वा भूमि गोस्वामी गोविन्दलाल देव की भी खातेदारी शामिल है, जो धारा 15 के अन्तर्गत अन्य काश्तकारों के नाम लग चुकी है। मिसल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2010–2023 के खाता संख्या 55 व 56 के कालम नं. 3 (नाम उपभोक्ता) में मंदिर श्री गोपीनाथजी खाता नं. 1 दर्ज है तथा कालम नं. 5 (नाम कृषक) में मकबूजा ठिकाना बिना लगानी दर्ज है। खाता नं. 55 के ख.नं. 3, 6, 51, 52, 56, 148, 157, 168, 195, 225, 227, 228, 229, 230, 297, 298, 322, 323, 324 कुल किता 19 रकबा 101 बीघा 03 बिस्वा व खाता संख्या 56 के ख.नं. 1, 2, 5, 24, 39, 55, 58, 60, 61, 66, 67, 77, 78, 97, 101, 116, 147, 149, 152, 153, 162, 167, 188, 194, 196, 197, 226, 262, 271, 299, 300 से 305, 311, 319, 327 कुल किता 39 रकबा 3331 बीघा 14 बिस्वा अंकित है।

उक्त खाता संख्या 56 की 3331 बीघा 14 बिस्वा में बजरिये एक नोट बन्दोबस्त खतौनी सम्वत् 2010–23 में तहसील की प्रति में दिनांक 13.11.1962 को अंकित किया गया है जो इस प्रकार है "जरिये मिसल नं. 11" बहुक्म ए.एस.ओ. जी तारीख 4.1.1958 जदीद पर्चा बाद दुरुस्ती ख.नं. 300 रकबा 210 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 301 रकबा। बीघा, ख.नं. 302 रकबा 289 बीघा 06 बिस्वा, ख.नं. 303 रकबा 71 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 304 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 602 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी गोस्वामी गोविन्द देव पुरानी बस्ती जयपुर के नाम दर्ज किया।

उक्त नोट का कोइ आधार नहीं है। वर्तमान में मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम व गोस्वामी गोविन्द लाल देव के नाम कोई भूमि नहीं है।

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-653 की सूची)

सिंचाई खण्ड सलूम्बर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में वर्ष 2001-2002 में पूर्ण किये गये तालाबों एवं एनीकटों की सूची

तालाब

1. बलाई वाला तालाब
2. नेवा तालाब
3. जोटिला तालाब

एनीकट

1. चावण्ड एनीकट
2. कालिदरा एनीकट
3. मालवा एनीकट
4. केवड़ा एनीकट
5. ढाक एनीकट
6. करोडिया एनीकट
7. कालीकाकर एनीकट
8. काउजाफला एनीकट
9. खरबर "बी" एनीकट
10. बागथला एनीकट
11. नावडा एनीकट
12. बाणाकलां एनीकट
13. झाडोल एनीकट

सूची ''क''

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या–656 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र, हिण्डौली (बून्दी) के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद का नाम एवं संख्या						भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण					
		पशु चिकि. अधिकारी	पशु चिकि. सहायक	पशुधन सहायक	सईस	जल धारी	सफाई-कर्ता	पशु चिकि. अधिकारी	पशु चिकि. सहा.	पशु धन सहा.	सईस	जलधारी	सफाई-कर्ता
1.	पशु चिकि. हिण्डौली	1	1	–	1	1	1	डा. रामजीलाल मीणा, 1/1997 से	रिक्त 5/2001	–	श्री रामदेव मीणा, 12/1997	श्री रामप्रसाद 5/1999	श्री राजेन्द्र कुमार 1/1999
2.	पशु चिकि. बासोली	1	1	–	1	1	1	डा. गोपाल शर्मा 8/1997 से	श्री सत्य नारायण व्यास, 7/1987	–	श्री हसन मो. 3/1987	श्री रामप्रसाद 9/1986	श्री श्याम लाल 9/1988
3.	पशु चिकि. गोठड़ा	1	1	–	1	–	1	डा. देवराज मीणा 12/2000 से	श्री रामदयाल वर्मा, 12/2001	–	श्री बृजराज सिंह 8/1993	–	रिक्त 12/2000 9/1988
4.	पशु चिकि. दबलाना	1	1	–	1	–	1	डा. कन्हैया लाल खटीक 12/2000 से	श्री रामविलास वर्मा, 9/2001	–	श्री खेमराज 6/1992	–	श्री महावीर 1/1999

सूची "ख"

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के पशु चिकित्सालयों में आवंटन एवं व्यय राशि

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	हिण्डौली	281752.00	283117.00	452949.00
2.	दबलाना	259850.00	253057.00	378517.00
3.	गोठड़ा	138800.00	133800.00	235644.00
4.	बसोली	287745.00	275896.00	312987.00
बीमार पशुओं की चिकित्सा				
1.	हिण्डौली	7809	8258	9065
2.	दबलाना	3097	7954	7656
3.	गोठड़ा	4473	3870	3352
4.	बसोली	3103	2949	5846

परिशिष्ट–14

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–662 का विवरण)

जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर के कार्यालय में स्वीकृत पदों, रिक्त व भरे हुए पदों तथा कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण (स्थिति दिनांक 15.3.2002)

क्र. सं.	पद	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारी का नाम	दिनांक जब से कार्यरत है
1.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	1	–	1	श्री सम्पतराम जोशी (अतिरिक्त चार्ज)	27.11.2001
2.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–	श्री श्रीगोपाल आचार्य	11.3.1996
3.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	–	श्री प्रकाश चन्द भाटी	28.4.2000
4.	कनिष्ठ लिपिक अधिकारी	3	2	1	श्री दिनेश चन्द शर्मा श्री शिवरतन	17.5.2001 29.9.2001
5.	परिचारक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	–	श्री आसूराम श्री छीतर सिंह	11.12.1997 13.3.2002

नोट :

1. जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर श्री सम्पतराम जोशी को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। इनका मूल पदस्थापन स्थान आयुर्वेद औषधालय, पांचला सिद्धा (नागौर) है।

2. वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत श्री प्रकाश चन्द भाटी पूर्व में इसी कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर दिनांक 17.4.1989 से कार्यरत थे।

3. उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त निम्न कार्मिक भी जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित हैं :–

1.	श्री कैलाश चन्द गौड़, परिचारक	व्यवस्था की दृष्टि से
2.	श्री मांगीलाल, परिचारक	
3.	श्रीमती बबीता माथुर, नर्स	परिवार कल्याण प्रकोष्ठ में
4.	श्री ओमप्रकाश, आयुर्वेद चिकित्सक	आदेश प्रतीक्षाधीन

परिशिष्ट-15

सूची "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-667 का विवरण)

विगत 5 वर्षों में मत्स्य पालन हेतु ठेके पर दिए गए बांधों/तालाबों का विवरण

वर्ष	बांधों/तालाबों की संख्या जो ठेके पर रहे			ठेकों से प्राप्त राशि
	तीन वर्ष की अवधि वाले	पांच वर्ष की अवधि वाले	कुल योग	(रुपये लाखों में)
1997-1998	69	695	754	808.98
1998-1999	63	539	602	493.82
1999-2000	63	381	444	534.35
2000-2001	46	328	374	568.64
2001-2002	44	341	385	565.33

परिशिष्ट-16

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को रियायतें

[श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)]

उपरोक्त विषय के तहत निवेदन है कि लैण्ड कंवरजन रूल्स, 1981 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को कंवरजन शुल्क में 50 प्रतिशत शुल्क को रियायत थी किन्तु अधिसूचना 17 जून, 1999 के संशोधित नियम में इस शुल्क को 50 प्रतिशत छूट को लागू नहीं किया गया है। आज भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नागरिकों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है एवं उन्हें इस शुल्क के छूट की आवश्यकता है। कांग्रेस की गहलोत सरकार के द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाये जा रहे व्यापक आवासीय नियमन अभियान के तहत प्रदेशवासियों को भारी राहत मिली है एवं सालों से चल रही लम्बित समस्या का समाधान हुआ है। इसी अभियान के चलते गहलोत सरकार से पुनः निवेदन है कि इस अभियान में तथा 1 जून से चलने वाले अलाटमेंट एवं नियमन कैम्पों में पुनः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत नियमन शुल्क में छूट दी जानी चाहिए। 1981 के रूल्स पुनः लागू किये जाने चाहिए ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पुनः अधिक राहत मिल सके।

1. केन्द्र सरकार द्वारा 1997 में जारी परिपत्र के अनुसार मूल पद की वरिष्ठता को आधार बनाकर पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है तथा पूर्व में पदोन्नत कर्मचारियों की वरिष्ठता को संशोधित कर उनसे कनिष्ठ सामान्य वर्ग के लोगों को पदोन्नतियां दी जा रही हैं। आरक्षित वर्ग के लोगों को पदावन्नत या आगे की पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। अतः मूल पद की वरिष्ठता वाली संशोधित सूचियां निरस्त की जाएं।

2. रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" लागू कर उच्च श्रेणी की नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व के कारण आरक्षित वर्ग को रोका जा रहा जबकि निम्न श्रेणी की नौकरियों में आरक्षित वर्ग के विहित आरक्षित प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग के इन खाली पदों पर पहले से ही अधिक प्रतिनिधित्व वाले सामान्य वर्ग को नियुक्तियां/पदोन्नतियां पूर्ववत जारी रख कर दलितों के साथ पदों पर विद्यमान

कर्मचारियों को नये रोस्टर बिन्दुओं के आधार पर समायोजित कर आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व गणना करने हेतु पद आधारित रोस्टर पंजिकाएं तैयार की जाएं।

3. जिन पदों (संवर्गों) पर अ.जा. का प्रतिनिधित्व (100 कर्मचारियों में 161-12-28 अ.जा., ज.जा. के कर्मचारी) पूरा नहीं है। उनके खाली पदों को अ.जा., ज.जा. के पात्र एवं बेरोजगारों से नहीं भरा जाकर उन्हें समाप्त किया जा रहा है अथवा संविदा (मानदेय) पर पैराटीचर आदि से भरा जा रहा है एवं पातेय वेतन के नाम से पदोन्नतियां दी जा रही हैं जिसमें अ.जा./ज.जा. को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आरक्षित वर्ग के बैकलॉग (प्रतिनिधित्व में शोर्ट फाल) वाले संवर्गों में अन्य किसी वर्ग की भर्ती/पदोन्नति नहीं की जाए। बैकलाग पूर्ति हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।

4. सरकार विभागों का निजीकरण कर दलितों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। अमेरिका के "डाइवर्सिटी" सिद्धान्त की तरह निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए।

5. विद्यालयी तथा उच्च स्तरीय शिक्षा को अत्यधिक महंगा कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग को सभी प्रकार के शुल्क में छूट दी जाए।

जालौर जिले में जीरे की फसल में रोग

[श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस वर्ष काश्तकारों द्वारा ज्यादातर जीरे की फसल बोई गई थी परन्तु जीरे की फसल में भयंकर रोग मेला लगने से करीब 75 प्रतिशत जीरे की फसल बरबाद हो गई है। जिस कारण काश्तकार भयंकर घबराये हुये हैं और निराश हो गये हैं।

कृपया जिला कलक्टर जालौर से एवं कृषि विभाग जालौर से रिपोर्ट मंगवाकर काश्तकारों को कुछ राहत के रूप में मुआवजा या बैंक ऋण की वसूली स्थिगित कराने का आदेश प्रदान करावे जिससे काश्तकारों को कुछ राहत मिल सके।

बीसलपुर परियोजना की पाइप लाइन के टेण्डर

[श्री कय्यूम खान (मसूदा)]

मसूदा में मेरे यहां पर बीसलपुर की योजना, जो भिनाय होती हुई बन्डवाड़ और मसूदा जाने के लिए बनाई गई थी मगर विजयनगर और गुलाबपुरा (इमरजेंसी लाइन) डाली गई उसमें 900 एम.एम. के पाइप बीसलपुर से सरवाड़-भिनाय होती हुई विजयनगर और गुलाबपुरा डालनी थी और पानी विजयनगर और गुलाबपुरा पहुंचाना था। हमारी सरकार ने जनता के हित में जो वायदा किया था उसको पूरा किया। धन्यवाद देती है मसूदा की जनता अशोक गहलोत सरकार और मंत्री महोदय को इन्होंने इमरजेंसी में रेल द्वारा पानी विजयनगर की जनता को पिलाया और मसूदा की जनता को बीसलपुर का पानी पिलाया।

मंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि जो कि 350 एम.एम., 400 एम.एम. की पाइप लाइन सरवाड़ से भिनाय में डाली हुई है। उसको अभी निकाल कर 24 किलोमीटर पाइप लाइन मसूदा डालनी है। एडिशनल चीफ इंजीनियर ने टेण्डर निकालने के दिए हैं, लगाने के नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको निकालने और डालने के टेण्डर एक साथ निकलवाये ताकि मसूदा की भी जल्द पाइप लाइन डाली जा सके। मसूदा की जनता को फ्लोराइड (खारा-पानी) से मसूदा की जनता को मुक्ति मिल जाये। मंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि आप आदेश दें कि दोनों टेण्डर एक साथ निकाले जिससे जनता को राहत प्रदान हो सके।

सधन्यवाद।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा नियम विरुद्ध खरीद

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा जनवरी से मार्च, 2002 में जो गाज बेंडेज, पट्टियां, कम्बल एवं बैडशीट क्रय की गई है उसमें कई तरह की अनियमितताएं की गई हैं। उक्त सामान नियमों के अन्तर्गत बुनकर संघ के माध्यम से ही क्रय की जा सकती है; परन्तु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा बुनकर संघ के अलावा प्राइवेट से बिना निविदा आमंत्रित किये ही क्रय की गई जो नियम विरुद्ध है। इसी प्रकार उक्त सामानों का क्रय ग्रामीण जिलों के अस्पतालों

की मांग व डिमाण्ड के आधार पर क्रय किया जाता है; परन्तु विभाग द्वारा बिना ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों की मांग के बिना ही क्रय किया गया है जो नियम विरुद्ध है। इस प्रकार उक्त सौदों में नियम विरुद्ध क्रय कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया वही घटिया सामग्री भी क्रय की गई है।

अतः आप गाज बेंडेज, पट्टियां, कम्बल एवं बैडशीट के नियम विरुद्ध क्रय से होने वाले राजकोष की हानि व घटिया सामानों की पूर्ण जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

सधन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पेयजल समस्या

[**श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना)]

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र का अधिकतर भाग पहाड़ी है। लगातार तीन साल तक अकाल पड़ने से पहाड़ी क्षेत्र में पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अधिकतर हैण्ड पम्प भी सूख गये हैं। हैण्ड पम्पों की मरम्मत भी सही ढंग से नहीं हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी महसूस की जा रही है। इलाके में हैण्ड पम्प ही पीने के पानी का एक मात्र साधन है। पिछले सत्र में भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था। रामपुरा बेगा की नांगल, काचरेडा, ढानीरामसिंह, रायपुर, जागीर, करैवाली, पुरानाबास की ढाणियां, ढसणी अहिरान, मावण्डा कलां आदि जगहों पर पानी की व्यवस्था करावें। जिस पर विभाग ने जवाब दिया कि रामपुरा व बेगा की नांगल दो अलग-अलग रेवेन्यू विलेज हैं, लेकिन आपस में मिले हुए हैं। क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि उक्त गांवों की पानी की समस्या का समाधान किया जावें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न गांवों में पीने के पानी की विकट समस्या हैं–

1. ग्राम करैवाली (ग्राम पंचायत काटेड़ा) में व पुरानाबास ग्राम पंचायत की ढाणियों में पानी खारा है। यहां पर चारोड़ा जाहेड़ के नाम से जगह है उसमें ट्यूबवैल लगाकर पानी सप्लाई किया जावें।
2. रामपुरा बेगा की नांगल दो अलग-अलग रेवेन्यू विलेज तो है लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। उनमें एक जगह पहाड़ी पर टंकी बनाकर दोनों गांवों में पानी सप्लाई किया जा सकता है।

3. ग्राम काचरेड़ा (ग्राम पंचायत रायपुर-पाटन) में पानी का एक सोर्स है। जिसकी दूरी 1/2 किमी. है जो रायपुर पाटन के लिए बना हुआ है। जिसमें से रायपुर पाटन में पानी सप्लाई होता है। वहां से 1/2 कि.मी. पाइप लाइन डाल कर इस गांव को पानी दिया जा सकता है।

4. ढाणी अहिरान में ट्यूबवैल व टंकी बनवा कर पानी सप्लाई करायें। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकर से पानी सप्लाई करायें।

5. ग्राम पंचायत बिहार में कुम्हारों के मोहल्ले तक पाइप लाइन।

6. श्यामपुरा में ढाणी कोलीवाला में ट्यूबवैल बनायें।

7. ढाणी पुछलावाली में कुएं पर नई टंकी बनवायें।

8. नीमकाथाना में भावरियों की ढाणी में पाइप लाइन डलवायें।

9. नीमकाथाना में पशु चिकित्सालय से गिरधारी के मकान तक पाइप लाइन डलवायें।

10. नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 में रघुनाथजी के मन्दिर के पास कुएं में बोरिंग करायें।

11. रावजी के मोहल्ले में नगरपालिका क्षेत्र में टंकी की मरम्मत व विद्युत कनेक्शन करायें व ट्यूबवैल बनवायें।

12. ढाणी आगरा ग्राम पंचायत गणेश्वर में ट्यूबवैल लगवायें।

13. चुड़ला में पानी खारा है पीने योग्य पानी उपलब्ध करायें।

14. किशोरपुरा, अजमेर में भी पानी की समस्या है हैण्ड पम्पों से व्यवस्था करायें।

15. भराला में टंकी बनी हुई है ट्यूबवैल खुदवाकर भराला व ढाणी मानसिंह की में पानी सप्लाई करायें।

16. रायपुर पाटन में हरिजन बस्ती में पाइप लाइन डलवायी जायें।

17. सांवलपुरा शेखावतान में मोगों व हरिजनों के मोहल्ले में टंकी बनी हुई है। ट्यूबवैल बनवा कर पानी की सप्लाई करायें।

18. पीथलपुर की राइजिंग लाइन टूट जाती है। व्यवस्था करायें।

19. मावण्डा कलां में पानी की समस्या है व्यवस्था करायें।

20. सभी हैण्ड पम्पों का जल स्तर नीचे चला गया है। सभी हैण्ड पम्पों में पाइप बढ़वाये जाएं ताकि पानी मिल सके।

21. जल स्तर नीचे चले जाने से लगभग हैण्ड पम्प नाकारा हो गये हैं उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प स्वीकृत करवाए जाएं।

ग्राम भैंसखेड़ा व कोडकिया बालाजी (केशोरायपाटन) के समीप कुरेल व मेज नदी संगम पर बांध

[श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)]

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के गांव भैंसखेड़ा व कोड किया बालाजी के समीप कुरेल व मेज नदी के संगम पर बांध बनाने की ओर विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इस बांध के बन जाने से बून्दी जिले सहित सवाईमाधोपुर जिले तक के सैकड़ों गांव लाभान्वित होंगे एवं वर्षों से बंजर पड़ी हुई हजारों बीघा जमीन कृषि कार्य हेतु काम में ली जा सकेगी तथा इससे भूमिगत जलस्तर भी बढ़ेगा। इस स्थान को सिंचाई विभाग ने भी बांध बनाए जाने के लिए उपर्युक्त माना है।

इसके साथ ही बून्दी जिले में चम्बल (कोटा बेराज) से आने वाली नहरों की टैल की समस्या का भी समाधान होगा जो पानी बेकार होकर ड्रेनों के माध्यम से मेज एवं कुरेल नदियों में मिलता है बांध बन जाने के बाद इस पानी का सदुपयोग हो सकेगा, इस बांध पर थर्मल प्लांट स्थापित कर बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है।

यह स्थान रामगढ़ अभ्यारण्य से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस बांध के बन जाने से रामगढ़ अभ्यारण्य का तेजी से विकास होगा एवं जंगली जानवरों के लिए पानी, चारा, वनस्पति उपलब्ध रहेगी।

वन एवं पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इसे रामगढ़ अभ्यारण्य के हित में माना है। नींव के लिए स्टोन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

अत: श्रीमान्, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृषि, बिजली, ग्रामीण जीवन उन्नत बनाने के लिए, पेयजल एवं कृषि उन्नयन एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए तथा राजस्थान के विकास में एक चरण और आगे बढ़ाने के लिए उक्त बांध को शीघ्र स्वीकृत कराने की कृपा करें।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के रानी स्टेशन पर उप तहसील कार्यालय

[श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)]

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी जिला-पाली में रानी स्टेशन पर उप तहसील खोलने की कृपा करें। यहां सभी महत्वपूर्ण विभाग स्थापित हैं। यहां पंचायत समिति कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, पश्चिमी रेलवे कार्यालय (महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन) सहायक अभियन्ता कार्यालय, विद्युत विभाग, भू-संरक्षण का विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि सभी विभाग रानी स्टेशन पर स्थापित है। रानी स्टेशन के करीब 29 पटवार मण्डल हैं। यहां पर 400 राजस्व वाद (कोर्ट केसेज) तथा 100 से अधिक फौजदारी वाद प्रति वर्ष दर्ज होते हैं। रानी स्टेशन के अधीन दो थाने स्थापित हैं। इन सब के रोजमर्रा कार्य हेतु देसूरी (जिला पाली) जाना पड़ता है। जिससे वहां की गरीब जनता को बहुत परेशानी होती है तथा वाहनों से आने जाने में बहुत ज्यादा समय व धन खर्च होता है। मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया है कि मेरे रानी स्टेशन (जिला पाली) में उप तहसील खोल कर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र चूरू में पेयजल संकट

[श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)]

मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं नियम 295 के अन्तर्गत जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू में इन दिनों भयंकर पेयजल संकट से गुजर रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों की उदासीनता के कारण चूरू तहसील के लगभग 34-35 गांवों में भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है।

क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना खासोली-दुधवाखारा, घंटेल-सोमाणी, जसरासर सातड़ा, मौलीसर, सहनाली सहित सभी योजनाओं ने दम तोड़ दिया है। चूरू के गांव रिडखला, वीकासी, चारणवासी, रामपुरा रेणु, दुधवाखारा, सिरसला, सिरसिली, रिंविया, खण्डवा, करणपुरा में विगत 2 माह से एक बून्द भी पानी नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग मजबूरन पानी की टंकी 150-150 रुपये में खरीदने को मजबूर है।

चूरू तहसील के लगभग 18 गांवों के 30 कुएं लम्बे समय से खराब पड़े हैं। बड़ी संख्या में जी.एल.आर. बिना जल स्रोत से जुड़े हुए नहीं हैं। कुओं व जी.एल.आर. बिना मरम्मत जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं।

अधिशासी अभियंता एक भी गांव का दौरा नहीं करते हैं। अधिकांश गांवों में जलदाय विभाग के कर्मचारी जाते नहीं हैं। बड़ी संख्या में कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता के पद रिक्त चल रहे हैं।

अत: इस विधान सभा क्षेत्र के प्रक्रिया एवं नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

रायपुर में नहरों से सिंचित भूमि को कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित करने

[श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)]

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर में लघु सिंचाई योजना के रायपुर-दीपावास बांध, झिलमिल बांध, गजनाई बांध आये हुए हैं जिनसे पिछले कई वर्षों से किसान इन बांधों से निकली नहरों से भूमि सिंचित करते रहे हैं, जो निम्नप्रकार है :–

1. रायपुर दीपावास बांध की नहर लगभग 5 किमी. सन् 1970 में किसानों के खातेदारी भूमि में से निकाली गई थी जिसका किसानों ने नहर में उपयोग में आधी भूमि का मुआवजा आज दिन तक नहीं लिया। किसानों की वाजिब मांग को स्वीकार करने में पिछले 10 वर्षों से अधिक अवधि से बांध में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर भी किसानों की लगभग एक हजार बीघा भूमि को भारी मशक्कत बाद नहर के बहते पानी से लिफ्ट द्वारा दिया जाता रहा है लेकिन प्रतिवर्ष जल वितरण कमेटी में जिला कलक्टर, पाली व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को किसानों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी जांच कर नहर के उपयोग ली गई भूमि के नहर से जुड़े किसानों की एक हजार बीघा भूमि कमाण्ड एरिया में सम्मिलित करने की तत्काल व्यवस्था की जावे।

2. झिलमिल बांध बिराटिया खुर्द के पानी का कुओं से सिंचित कमाण्ड क्षेत्र के बाहर के पानी का दुरुपयोग पिछले वर्षों से कर रहे हैं। जबकि बिराटिया कलां के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के 800 से 900 बीघा भूमि को पिछले वर्षों में बांध में अधिक मात्रा में उपलब्ध पानी को देने की व्यवस्था में रुकावट पैदा की जा रही है। इस कारण से बिराटिया कलां के किसानों की भूमि कमाण्ड में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक है ताकि बांध के पानी का उपयोग असिंचित भूमि में पैदावार बढ़ाने के लिए हो सके तथा रेवेन्यू वृद्धि के साथ पानी का दुरुपयोग रोका जा सके।

3. गजराई बांध का निर्माण बीजागुडा पंचायत क्षेत्र में 5-6 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ। इस बांध की नहरें भी सिंचित क्षेत्र के गांवों को नहरों द्वारा पानी दे रही हैं जबकि बीजागुड़ा के किसानों की असिंचित 500 बीघा भूमि ही नहर की डिस्ट्रीब्यूटरी से नहर के द्वारा सिंचित होती है जिसको भी कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित की जावें तथा गलत कमाण्ड के क्षेत्र को डी-कमाण्ड किया जावे।

उक्त विशेष उल्लेख के माध्यम से सिंचाई विभाग के सभी सक्षम अधिकारीगण से निवेदन है कि किसानों के हित में नहरों से सिंचित की जाने वाली भूमि को कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जावे।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में घटता जलस्तर

[श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)]

यह कि जिला चित्तौड़गढ़ की विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में घटते जल स्तर एवं सिंचाई हेतु अपर्याप्त पानी की कमी के कारण आने वाले समय में विकट समस्या भयावह रूप ले सकती है क्योंकि हमारा कृषक जो कि कृषि के माध्यम से जीवन-यापन करता है उसका समस्त जीवन पेयजल स्रोत से ही सम्भव है। गत तीन वर्षों से व्याप्त अकाल और न्यूनतम वर्षा के कारण पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। वहां की जनता का सिंचाई का एकमात्र साधन एनीकट्स और अन्य पानी के स्रोत हैं। बड़ी सादड़ी तहसील में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाये जाने वाले एनीकटों का निर्माण न के बराबर हुआ है, जो पूर्व में बने हुए थे वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा सैकड़ों एनीकटों का शुद्धीकरण भी नहीं हो पा रहा है। वहां की जनता में भारी रोष है कि सिंचाई माध्यमों में जिनमें विशेष पुराने एनीकटों का सुदृढ़ीकरण टूटे-फूटे तथा जीर्ण-शीर्ण एनीकटों का जीर्णोद्धार तथा नये एनीकटों के निर्माण के प्रति इस क्षेत्र की भारी उपेक्षा हुई है। आज इस समस्या के निराकरण की प्राथमिकता के आधार पर बड़ी सादड़ी की 18 पंचायतों के (42) एनीकट्स के निर्माण/जीर्णोद्धार एवं शुद्धीकरण की आवश्यकता है।

अतः बड़ी सादड़ी क्षेत्र के 42 एनीकटों का सुदृढ़ीकरण, जीर्णोद्धार तथा नवीन एनीकटों का निर्माण काश्तकारों और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर सिंचाई विभाग गम्भीरता से इसकी तकनीकी/प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करे जिससे इस क्षेत्र में पानी की समस्या का निराकरण हो सके।

ऐसे लोक महत्व के विषय पर माननीय सिंचाई मंत्री का विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन में चर्चा की अनुमति चाहता हूं।